<u>केवल शासकीय उपयोग के लिए</u>

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965

(दिनांक 25-5-2000 तक संशोधित)

एवं

इन नियमों में समय-समय पर हुए संशोधन

तथा

जारी किये गये निर्देशों

का

संकलन

भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
2001

शुद्धि-पत्र

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965

पृष्ठ क्र.	अंग्रेजी/ हिन्दी	पंक्ति क्र.	संशोधन
1	अं	10	" Services" के स्थान पर "Services"
2	हिं	32	"समस्त समय" के स्थान पर "समय-समय"
2	अं	01	" servent" के स्थान पर "servant"
2	अं	04	" Governement" के स्थान पर "Government"
2	अं	09	" depdndent" के स्थान पर "dependent"
2	अं	11	" integity" के स्थान पर "integrity"
2	अं	13	" unbeoming" के स्थान पर "unbecoming"
2	अं	16	" prformance" के स्थान पर "performance"
2	अं	24	" couteous" के स्थान पर "courteous"
3	हिं	07	"स्वीकर" के स्थान पर "स्वीकार"
3	अं	07	के बाद निम्नानुसार जोड़ा जाय:- "provided that where the acceptance of the employment can not await prior permission of the Government or is otherwise considered urgent, the matter shall be reported to the Government; and the employment may be accepted provisionally subject to the permission of the Government.
3	अं	29	" effect" के स्थान पर "effect"
4	हिं	17	"और उसके संपादन" के स्थान पर "और न उसके संपादन"
4	अं	02	" partonage" के स्थान पर "patronage"
4	अं	05	" prejudical" के स्थान पर "prejudicial"
4	अं	14	" prejudical" के स्थान पर "prejudicial"
4	अं	14	" sovercignty" के स्थान पर "sovereignty"
5	अं	02	" pseudnymously" के स्थान पर "pseudonymously"

निरंतर...2 पर

पृष्ठ क्र.	अंग्रेजी/ हिन्दी	पंक्ति क्र.	संशोधन
5	अं	06	"categery" के स्थान पर "category"
5	अं	09	"seevice" के स्थान पर "service" तथा "[illegible]" के स्थान पर "[illegible]" "sevents" "servants"
5	अं	10	"relaions" के स्थान पर "relations"
6	हिं	07	"स्वीकीय" के स्थान पर "स्वकीय"
6	अं	13	"comformity" के स्थान पर "conformity"
6	अं	18	"holdings" के स्थान पर "holding"
6	अं	24	"holdings" के स्थान पर "holding"
6	अं	38	"testmonial" के स्थान पर "testimonial"
7	हिं	03	"छोटी" के स्थान पर "छोड़ी"
7	हिं	09	"निषिद्ध" के स्थान पर "निषिद्ध"
7	हिं	12	"कारबार" के स्थान पर "कारोबार"
7	हिं	14	"अनियमित" के स्थान पर "अनियमित"
7	हिं	17	"कारबार" के स्थान पर "कारोबार"
7	अं	09	"entertianment" के स्थान पर "entertainment"
8	हिं	06	"क्रिडाओं" के स्थान पर "क्रीड़ाओं"
8	हिं	12	"अंतवर्लित" के स्थान पर "अंतर्वलित"
8	हिं	19	"कारबार" के स्थान पर "कारोबार"
8	हिं	26	"उधानर" के स्थान पर "उधार"
8	अं	04	"amatcure" के स्थान पर "amature"
9	हिं	16	"माध्यम सिवाय" के स्थान पर "माध्यम के सिवाय"
10	हिं	15	"शासकी सेवक" के स्थान पर "शासकीय सेवक"
10	हिं	27	"होन पर" के स्थान पर "होने पर"
10	अं	05	"Rs.1000.00" के स्थान पर Rs. 2000.00"
10	अं	28	"requird" के स्थान पर "required"
11	हिं	29	"किीस" के स्थान पर "किसी"

निरंतर...3 पर

	अंग्रेजी/हिन्दी	पंक्ति क्र.	संशोधन
11	अं	18	" mde" के स्थान पर "made"
12	हिं	04	"निर्दोश" के स्थान पर "निर्दोष"
12	हिं	12	"पंरभ्द" के स्थान पर "पर"
12	हिं	19	"शासीरित" के स्थान पर "शारीरिक"
12	हिं	31	"संबंधि" के स्थान पर "संबंधी"
12	अं	38	" or any act any act" के स्थान पर "or any act"
12	अं	22	" and " विलोपित किया जाय.
12	अं	29	"26.1.2000" के स्थान पर "26.1.2001"
13	हिं	03	"अभ्यासक्त" के स्थान पर "अभ्यासतः"
13	हिं	05	"अनुज्ञाक" के स्थान पर "अनुज्ञात"
13	हिं	10	"प्रत्येयोजन" के स्थान पर "प्रत्यायोजन"
13	हिं	14	"निमयों" के स्थान पर "नियमों"
43	हिं	13	"दिसम्बर" के स्थान पर "सितम्बर"
43	हिं	14	"उद्घाटन§अनावरण§शिलान्यास" के स्थान पर "उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास"
43	हिं	17	-"- -"-
43	हिं	18	-"- -"-
43	हिं	24	"बन्दुया" के स्थान पर "पण्डुया"
49	अं	25	"face...Sh..ey" के स्थान पर "facie Shay"
49	अं	30 के बाद निम्नानुसार जोड़ा जाय :-	

(iii) Similar intimation and application from a class I officer shall be routed to Government in the administrative department by the Head of Department through the Commissioner of the division having jurisdiction at the place where the property to be acquired or disposed of is located. The administrative department will itself dispose of all these cases except those in respect of a [illegible] should be issued

पृ.क्र.	अंग्रेजी/ हिन्दी	पंक्ति क्र.	संशोधन
(iv)			In respect of Deputy Collector and Secretariate gazetted officer (irrespective of his parent service) the Chief Secretary and in respect of a MBFS Officer (irrespective of the establishment on which he may for the time being be borne) the finance secretary shall be the "prescribed authority" under rule 18 of the Madhya Pradesh Government servants (conduct) Rules, 1959.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh

Sd/- L.B.Sarje
Deputy Secretary.

70	हिं	16	"उन पर करने" के स्थान पर "उन पर कार्रवाई करने"
70	हिं	20	"सेवकों द्वारा....नहीं" के स्थान पर "सेवकों द्वारा पालन नहीं"
91	हिं	18	"आचरण अरखने" के स्थान पर "आचरण रखने"
126	हिं	19	"कर्मचारी न.... "कार सेवा" में" के स्थान पर "कर्मचारी ने कथित "कार सेवा" में"

§के0एल0 महोवियाऌ
अनुभाग अधिकारी,
सामान्य प्रशासन विभाग

****
: :GAUTAM: :
****

के. एस. शर्मा
मुख्य सचिव
Chief Secretary

Tel : Off. : 551370
551848
Res : 565475

मध्यप्रदेश शासन
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

Government of Madhya Pradesh
Vallabh Bhavan, Bhopal-462004

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर, 2000

भूमिका

शासकीय सेवकों को अपने सेवाकाल में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार आचरण करना अपेक्षित होता है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुरूप मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 वर्तमान में प्रभावशील हैं। इन नियमों के अंतर्गत आवश्यकतानुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर मार्गदर्शी निर्देश भी जारी किए जाते रहे हैं। प्रत्येक शासकीय सेवक के द्वारा इनका पालन करना अपेक्षित है।

प्रकरणों की जटिलता के कारण संबंधित नियमों/निर्देशों का निर्वचन किए जाने के फलस्वरूप परिपत्रों की संख्या में अभिवृद्धि होना स्वाभाविक है। अतः शासकीय सेवकों के इन सेवा संबंधित ऐसे मामलों में समस्त निर्देशों व अनुदेशों के एकजाई संकलन की आवश्यकता काफी समय से अनुभव की जा रही थी।

यह प्रसन्नता का विषय है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सिविल सेवा आचरण मूल नियमों/संशोधनों/अनुदेशों को एकजाई कर यह संकलन प्रस्तुत किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से यह संकलन तीन भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग में यथा संशोधित आचरण नियमों का हिन्दी एवं अंग्रेजी पाठ सम्मिलित किया गया है। द्वितीय भाग में समय-समय पर संशोधित अधिसूचनाओं तथा तृतीय भाग में इन नियमों के तहत जारी निर्देशों को सम्मिलित किया गया है।

आशा है, इस संकलन से शासकीय सेवकों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता मिलेगी व संकलन आचरण मामलों के निराकरण में उपयोगी सिद्ध होगा।

के. एस. शर्मा
मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भाग-1. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 (पृ. 1 से 14 तक)

भाग-2. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अन्तर्गत किये गये संशोधन. (पृ. 15 से 32 तक)

भाग-3. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अन्तर्गत जारी किये गये निर्देश. (पृ. 33 से 136 तक)

भाग–1

[मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965]

(दिनांक 25–5–2000 तक संशोधित)

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965

(25-5-2000 तक संशोधित)

नियम	शीर्ष	पृष्ठ क्रमांक
1.	संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा प्रयुक्ति.	1
2.	परिभाषाएं.	1
3.	सामान्य.	2
3.क	तत्परता तथा शिष्ट व्यवहार.	2
3.ख	शासन की नीतियों का पालन.	2
4.	शासकीय संरक्षण प्राप्त प्रायवेट उपक्रमों में, शासकीय सेवकों के निकट सम्बंधियों का नौकरी में रखा जाना.	3
5.	राजनीति तथा निर्वाचनों में भाग लेना.	3
6.	प्रदर्शन तथा हड़तालें.	4
7.	शासकीय सेवकों द्वारा अवकाश पर प्रगमन.	4
8.	शासकीय सेवकों द्वारा संघों में सम्मिलित होना.	4
9.	प्रेस तथा अन्य मीडिया से सम्बन्ध.	4
10.	शासन की आलोचना.	5
11.	समिति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य.	5
12.	अप्राधिकृत रूप से जानकारी देना.	5
13.	चन्दा.	6
14.	उपहार.	6
15.	शासकीय सेवकों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन.	6
16.	प्रायवेट कारोबार या नियोजन.	7
17.	विनिधान, उधार देना या उधार लेना.	8
18.	ऋण शोधक्षमता तथा स्वभावत: ऋणग्रस्तता.	9
19.	जंगम, स्थावर तथा मूल्यवान सम्पत्ति.	9
20.	शासकीय सेवकों के कार्यों तथा चरित्र का निर्दोष सिद्ध किया जाना.	12
21.	अशासकीय या अन्य प्रभाव डालना.	12
22.	द्विविवाह.	12
22. क	अवचार की सामान्य धारणा.	12
23.	मादक पेयों तथा औषधियों का उपभोग.	12
23. क	14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार में लगाने पर प्रतिबंध.	13
24.	निर्वचन.	13
25.	शक्तियों का प्रत्यायोजन.	13
26.	निरसन तथा व्यावृत्ति.	13

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई, 1965—श्रावण 1; 1887

क्र. 1539-3015-एक (तीन)-64.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा प्रयुक्ति.**—(1) ये नियम, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 कहलायेंगे.

(2) ये तत्काल प्रवृत्त होंगे.

(3) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित अवस्था को छोड़कर, ये नियम मध्यप्रदेश राज्य के कार्यों के संबंध में सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त समस्त व्यक्तियों को लागू होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात उन शासकीय सेवकों को लागू नहीं होगी, जो :

(क) अखिल भारतीय सेवा के सदस्य हैं,

(ख) किन्हीं भी ऐसे पदों के धारक हैं, जिनके संबंध में राज्यपाल सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह घोषणा करे कि उनको यह नियम लागू नहीं होते :

* परन्तुक विलोपित

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "शासन" से तात्पर्य, मध्यप्रदेश शासन से है.

(ख) "शासकीय सेवक" से तात्पर्य, मध्यप्रदेश राज्य के कार्यों के संबंधों में किसी सिविल सेवा या पद पर नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति से है.

व्याख्या.—ऐसे शासकीय सेवक को, जिसकी सेवाएं शासन द्वारा किसी कम्पनी, निगम, संगठन या स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गई हो, इन नियमों के प्रयोजनों के लिये, शासन के अधीन सेवा करने वाला शासकीय सेवक समझा जायेगा, भले ही उसे राज्य की संचित निधि को छोड़कर अन्य किन्ही स्त्रोतों से वेतन दिया जाना हो.

---

* उपर्युक्त परंतुक सा. प्र. वि. की अधिसूचना क्र. सी-5-1-96-3-एक, दिनांक 25 मई, 2000 द्वारा विलोपित किया गया. म. प्र. (असाधारण) राजपत्र दिनांक 25-5-2000 में प्रकाशित हुआ. पूर्व का प्रावधान निम्नानुसार था :—

परन्तु यह और भी कि नियम 4, 6, 8, 13, 15 नियम 18 का उपनियम (3), नियम 17, नियम 19 के उपनियम (1), (2) तथा (3) नियम 20, 21 और 22 किसी भी ऐसे शासकीय सेवा को लागू होंगे, जो प्रतिमास रुपये 200 या उससे कम वेतन प्राप्त करता हो और शासन की या उसके द्वारा प्रबंधित निम्नलिखित स्थापनाओं में से किसी में भी अराजपत्रित पद धारण करता हो, अर्थात् :—

(एक) भोपाल ट्रेक्टर आर्गनाइजेशन,
(दो) लोक निर्माण स्थापनाएं, जहां तक कि उनका संबंध कार्य प्रभारित कर्मचारी वृन्द (वर्क चाडर्स स्टाफ) से हो,
(तीन) फैक्ट्रीज एक्ट, 1948 (कारखाना अधिनियम, 1948) (क्रमांक 63, सन् 1948) की धारा 2 के खंड (एम) में यथापारिभाषित कारखाने, और
(चार) स्थापनाएं, जो श्रम संबंधी विधियों द्वारा शासित श्रमिकों को काम पर लगाती हों.

व्याख्या.— इस परन्तुक के प्रयोजनों के लिये "स्थापनाएं" में कोई भी ऐसा कार्यालय सम्मिलित नहीं है, जो मुख्यत: प्रशासन, प्रबंध, पर्यवेक्षण, सुरक्षा या कल्याण संबंधी कार्यों से संबंधित हो.

Government of Madhya Pradesh
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Bhopal, the 23rd July 1965—Sravana 1, 1887

No. 1539-3015-I-(iii)-64.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules, namely :—

THE MADHYA PRADESH CIVIL SERVICES (CONDUCT) RULES, 1965

1. **Short Title, Commencement and Application.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965.

(2) They shall come into force at once.

(3) Save as otherwise provided in these rules they shall apply to all persons appointed to civil sevices and posts in connection with the affairs of the State of Madhya Pradesh.

Provided that nothing in these rules shall apply to Government servants who are —

(a) members of the All India Service;

(b) holders of any posts in respect of which the Governor may, by general or special order, declare that these rules shall not apply.

* Proviso omitted

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "the Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(b) "Government Servant" means any person appointed to any civil service or post in connection with the affairs of the State of Madhya Pradesh;

Explanation.—A Government servant whose services are placed at the disposal of a company, corporation, organisation or local authority by the Government shall, for the purpose of these rules, be deemed to be a Government servant serving under the Government notwithstanding that his salary is drawn from sources other than from the Consolidated Fund of the State.

---

* The proviso omitted vide GAD Notification No.C-5-1-96-3-EK dated 25-5-2000 published in M. P. Gazette (Extraordinary) dated 25-5-2000 previous provisions was as follows :—

Provided further that rules 4, 6, 8, 13, 15 sub-rule (3) of rule 16, rule 17 sub-rules (1), (2) and (3) of rule 19, rules 20, 21 and 22 shall not apply to any Government servant drawing a pay of Rs. 200 or less permensem and holding a non-gazetted post in any of the following establishment, owned or managed by Government, namely :—

(i) the Bhopal Tractor Organisation;

(ii) Public Works Establishments, in so far as they relate to work-charged staff;

(iii) factories as defined in clause (m) of Section 2 of the factories Act, 1948 (63 of 1948); and

(iv) establishments employing workmen governed by Labour Laws.

Explanation.—For the purposes of this proviso, 'establishment' does not include any office mainly concened with Administrative, managerial, supervisory, security or Welfare functions.

(ग) शासकीय सेवक के संबंध में ''कुटुम्ब के सदस्यों'' में निम्नलिखित सम्मिलित है :—

(एक) शासकीय सेवक की पत्नी या उसका पति, जैसी भी दशा हो, चाहे वह शासकीय सेवक के साथ रहती/रहता हो या नहीं किन्तु उसमें, यथास्थिति ऐसी पत्नी या ऐसा पति सम्मिलित नहीं है, जिसका कि सक्षम न्यायालय की डिक्री या आदेश द्वारा शासकीय सेवक से पृथक्करण हो गया हो.

(दो) शासकीय सेवक का पुत्र या पुत्री या सौतेला पुत्र या सौतेली पुत्री, जो उस (शासकीय सेवक) पर पूर्णतः आश्रित हो, किन्तु उसमें ऐसा बालक या सौतेला बालक, जो अब शासकीय सेवक पर किसी भी प्रकार आश्रित न रहा हो, या जिसे अभिरक्षा में रखने से शासकीय सेवक को किसी भी विधि द्वारा या उसके अधीन वंचित कर दिया गया हो, सम्मिलित नहीं है.

(तीन) कोई भी अन्य व्यक्ति, जो शासकीय सेवक या शासकीय सेवक की पत्नी या उसके पति से चाहे रक्त द्वारा या विवाह द्वारा, संबंधित हो और शासकीय सेवक पर पूर्णतः आश्रित हो.

3. **सामान्य.**—(1) प्रत्येक शासकीय सेवक सदैव ही —

(एक) पूर्ण रूप से सन्निष्ठ रहेगा,

(दो) कर्तव्यपरायण रहेगा, और

(तीन) ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जो कि शासकीय सेवक के लिये अशोभनीय हो.

(2) (एक) पर्यवेक्षीय पद धारण करने वाला प्रत्येक शासकीय सेवक ऐसे समस्त शासकीय सेवकों की जो कि तत्समय उसके नियंत्रण तथा प्राधिकार के अधीन हो, सन्निष्ठा तथा कर्तव्यपरायणता को सुनिश्चित करने के हेतु समस्त संभव उपाय करेगा.

(दो) कोई भी शासकीय सेवक, अपने पदीय कर्तव्यों के पालन में या उसकी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में, उस अवस्था को छोड़कर जबकि वह अपने पदीय वरिष्ठ के निर्देश के अधीन कार्य कर रहा हो, अपने सर्वोत्तम विवेकानुसार न करके अन्यथा कार्य नहीं करेगा और जहां वह ऐसे निर्देश के अधीन कार्य कर रहा हो, ऐसे निर्देश, जहां के व्यवहार्य हो, लिखित में प्राप्त करेगा, और जहां निर्देश लिखित में प्राप्त करना व्यवहार्य नहीं हो, वहां वह उस निर्देश के दिये जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र उस निर्देश का लिखित पुष्टिकरण प्राप्त करेगा.

व्याख्या.—उपनियम (2) के खण्ड (दो) की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जावेगा, कि वह शासकीय सेवक को इस बात के लिये सशक्त करती है कि वह वरिष्ठ पदाधिकारी या प्राधिकारी से अनुदेश या उसका अनुमोदन चाहकर अपने उत्तरदायित्वों से बच जाय, जबकि ऐसे अनुदेश व्यक्तियों तथा उत्तरदायित्वों के विभाजन की योजना के अधीन आवश्यक न हों.

* 3-क. **तत्परता तथा शिष्ट व्यवहार.**—कोई भी शासकीय सेवक—

(क) अपने पदीय कृत्यों के पालन में अशिष्टता से कार्य नहीं करेगा,

(ख) जनता के साथ अपने पदीय संव्यवहार में या अन्यथा विलंबकारी कार्यनीति नहीं अपनाएगा और उसे सौंपे गए कार्य को निपटाने में जानबूझकर विलंब नहीं करेगा,

(ग) ऐसा कुछ नहीं करेगा जो अनुशासनहीनता का द्योतक हो,

(घ) शासकीय आवास को, जो उसे आवंटित किया गया है, उसे भाड़े पर नहीं देगा, पट्टे पर नहीं देगा या किसी व्यक्ति द्वारा अधिलाभ के लिए अधिभोग या उपयोग को अन्यथा अनुज्ञात नहीं करेगा.

* 3-ख. **शासन की नीतियों का पालन**—

प्रत्येक शासकीय सेवक, समस्त समय पर—

(क) विवाह की आयु, पर्यावरण के परिरक्षण, वन्य जीव और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित शासन की नीतियों के अनुसार कार्य करेगा,

(ख) महिलाओं के विरुद्ध अपराध के निवारण से संबंधित शासन की नीतियों का पालन करेगा.''

---

* **उपनियम 3 क एवं 3 ख**— सा. प्र. वि. की अधिसूचना क्र. सी 5-1-96-3-एक दिनांक 25 मई, 2000 द्वारा अंतःस्थापित [म. प्र. (असाधारण) राजपत्र दिनाक 25-5-2000]

(c) "members of family" in relation to a Government servent includes.—

(i) the wife or husband, as the case may be, of the Government servant, whether residing with the Government servant or not but does not include a wife or husband, as the case may be, separated from the Governement servant by a decree or order of a competent court;

(ii) son or daughter or step-son or step-daughter of a Government servant and wholly dependent on him, but does not include a child or step-child who is no longer in any way dependent on the Government servant or of whose custody Government servant has been deprived by or under any law;

(iii) any other person related, whether by blood or marriage, to the Government servant or to the Government servant's wife or husband and wholly depdndent on the Government servant.

3. **General.**—(1) Every Government servant shall at all times.—

(i) maintain absolute integity;

(ii) maintain devotion to duty; and

(iii) do nothing which is unbeoming of a Government Servant.

(2) (i) Every Government Servant holding a supervisory post shall take all possible steps to ensure the integrity and devotion to duty of all. Government servants for the time being under his control and authority;

(ii) No Government Servant shall, in the prformance of this official duties or in the exercise of powers conferred on him, act otherwise than in his best judgemet except that when he is acting under the direction of his official superior and shall, where he is acting under such direction obtain the direction in writing. Wherever practicible and where it is not practicable to obtain the direction in wirting, he shall obtain written confirmation of the direction as soon as thereafter as possible.

Explanation.—Nothing in clause (ii) of sub-rule (2) shall be construed as empowering the Government servant to evade his responsibilities by secking instructions from or approval of, a superior officer or authotiry when such instructions are not necessary under the scheme of distribution of powers and responsibilities.

*3 A. **Promptness and couteous behavior.**—

No. Government servant shall,—

(a) act discourteously in the performance of his/her official functions;

(b) adopt deletory tacties in his/her official dealing with the public or otherwise and shall make deliberate delay in disposing of the work assigned to him;

(c) do nothing which denote indiscipline;

(d) sub-let, lease or otherwise allow occupation or use for gain by any person of Government accomodation which has been allotted to him.

*3 B. **Observance of Government's Policies.**—

Every Government Servant shall, at all times—

(a) act inaccordancewith the Government's policies regarding age of marriage, preservation of enviornment, protection of wildlife and cultural heritage;

(b) obeserve the Government's policies regarding prevantion of crime against women."

* Sub rule '3-A' and '3-B' inserted vide GAD Notification No. C-5-1-96-3-EK dated 25-5-2000. Published in [M. P. Gazette (Extraordinary) dated 25-5-2000]

4. **शासकीय संरक्षण प्राप्त प्राइवेट उपक्रमों में, शासकीय सेवकों के निकट संबंधियों का नौकरी में रखा जाना.—**

(1) कोई भी शासकीय सेवक किसी कम्पनी या फर्म में अपने परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दिलाने के लिये अपने पद का या प्रभाव का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में प्रयोग नहीं करेगा.

(2) (एक) प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी का कोई भी पदाधिकारी किसी भी ऐसी कम्पनी या फर्म में, जिसके साथ उसका पदीय संव्यवहार हो अथवा किसी ऐसे अन्य कम्पनी या फर्म में, जिसका शासन के साथ शासकीय तौर पर संव्यवहार हो, शासन की पूर्व मंजूरी के बिना अपने पुत्र, पुत्री या अन्य आश्रित व्यक्ति को नौकरी स्वीकार करने की अनुज्ञा नहीं देगा, परन्तु जब नौकरी स्वीकर करने के हेतु शासन की पूर्व मन्जूरी लेने के लिये प्रतीक्षा करना शक्य न हो या नौकरी स्वीकर करना अन्यथा आवश्यक समझा जाय, तो मामले की रिपोर्ट शासन को की जायेगी और नौकरी, शासन की अनुज्ञा प्राप्त होने के अध्यधीन, अस्थायी रूप से स्वीकार की जा सकेगी.

(दो) शासकीय सेवक, जैसे ही उसे ज्ञात हो कि उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा किसी प्राइवेट उपक्रम में नौकरी स्वीकार कर ली गई है, नौकरी के इस प्रकार स्वीकार किये जाने का प्रज्ञापन विहित प्राधिकारी को देगा और यह भी प्रज्ञापित करेगा कि क्या उस उपक्रम के साथ उसका कोई पदीय संव्यवहार है या था :

परन्तु प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी के मामले में ऐसा प्रज्ञापन देना आवश्यक नहीं होगा, यदि उसने खण्ड (एक) के अधीन पूर्व में ही शासन की मंजूरी प्राप्त कर ली है या शासन को उसकी रिपोर्ट भेज दी है.

(3) ऐसा कोई भी शासकीय सेवक, अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किसी कम्पनी या फर्म या किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित किसी विषय के संबंध में कार्यवाही नहीं करेगा और किसी कम्पनी या फर्म या कि अन्य व्यक्ति को कोई संविदा न तो देगा और न मंजूर करेगा. यदि उसके कुटुम्ब का कोई भी सदस्य उस कम्पनी या फर्म या उस व्यक्ति के अधीन नियोजित हो या यदि वह या उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य किसी अन्य रीति में ऐसे विषय या संविदा में हित रखता हो और शासकीय सेवक प्रत्येक ऐसा विषय या ऐसी प्रत्येक संविदा अपने पदीय वरिष्ठ को निर्देशित करेगा और उसके पश्चात् वह विषय या संविदा का निपटारा उस प्राधिकारी के अनुदेशों के अनुसार किया जायेगा, जिसको कि वह निदेश किया गया हो.

5. **राजनीति तथा निर्वाचनों में भाग लेना.—**

(1) कोई भी शासकीय सेवक, किसी राजनैतिक दल या किसी ऐसे संगठन का, जो राजनीति में भाग लेता हो, न तो सदस्य होगा न उससे अन्यथा संबंध रखेगा और न वह किसी राजनैतिक आंदोलन या कार्यकलाप में भाग लेगा, न उसकी सहायतार्थ चन्दा और न किसी अन्य रीति में उसकी सहायता करेगा.

(2) प्रत्येक शासकीय सेवक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने कुटुम्ब के किसी भी सदस्य को किसी ऐसे आंदोलन या कार्यकलाप में, जो विधि द्वारा स्थापित शासन के लिये विध्वंसकारी हो या जिसका आशय प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में विध्वंसकारी होने का हो, भाग लेने, उसकी सहायता के लिए चन्दा देने या किसी अन्य रीति में उसकी सहायता करने से रोकने का प्रयत्न करे और जहां शासकीय सेवक अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य को किसी ऐसे आन्दोलन या कार्यकलाप में भाग लेने या उसकी सहायतार्थ चन्दा देने या किसी अन्य रीति में उसकी सहायता करने से रोकने में असमर्थ हो, वहां वह शासन को इस आशय की रिपोर्ट करेगा.

(3) यदि कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो जाये कि क्या कोई दल राजनैतिक दल है या क्या कोई संगठन राजनीति में भाग लेता है या क्या कोई आंदोलन अथवा कार्यकलाप उपनियम (2) की व्याप्ति के भीतर आता है तो उस पर शासन का निर्णय अन्तिम होगा.

(4) कोई भी शासकीय सेवक, किसी विधान मण्डल या स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचन में, न तो मत याचना करेगा, न अन्यथा हस्तक्षेप करेगा, न उसके सम्बंध में अपने प्रभाव का उपयोग करेगा और न उसमें भाग लेगा :

परन्तु—

(एक) ऐसे निर्वाचन में मत देने के लिये अर्ह शासकीय सेवक मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेगा, किन्तु जहां वह ऐसा करे, वहां उस रीति का, जिसमें वह मत देना चाहता हो या उसने मत दिया हो, कोई संकेत नहीं देगा,

(दो) कोई भी शासकीय सेवक, केवल इस कारण से इस उपनियम के उपबंधों का उल्लंघन करता हुआ नहीं समझा जायेगा कि वह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उस पर आरोपित कर्तव्य के सम्यक पालन में किसी निर्वाचन के संचालन में सहायता देता है.

4. **Employment of near relatives of Government Servants in Private undertaking Enjoying Government Partonage.—**

(1) No Government servant shall use his position or influence directly or indirctly to secure employment for any member of his family in any company or firm.

(2) (i) No Class I or Class II officer shall except with the previous sanction of the Government, permit his son, daughter or other dependent to accept employment in any company or firm with which he has official dealings or in any other company or firm having official dealings with the Government :

(ii) A Government servant shall, as soon as he becomes aware of the acceptance by a member of his family of an employment in any company or firm intimate such acceptance to the prescribed authority and shall also intimate whether he has or has had any official dealings with the company or firm :

Provided that no such intimation shall be necessary in the case of a Class I or Class II officer if he has already obtained the sanction of, or sent a report to, the Government under clause (i).

(3) No Government servant shall in the discharge of his official duties deal with any matter or give or sanction any contract to any company or firm or any other person if any member of his family is employed in that undertaking or under that person or if, he or any member of his family is interested in such matter or contract in any other manner and the Government servant shall refer every such matter or contract to his official superior and the matter or contract shall thereafter be disposed of according to the instructions of the authority to whom the reference is made.

5. **Taking part in politics and Elections.—**

(1) No Government servant shall be member of, or be otherwise associated with, any political party or any organisation which takes part in politics nor shall he take part in, subscribe in aid of, or assist in any other manner, any political movement or activity.

(2) It shall be the duty of every Government servant to endeavour to prevent any member of his family from taking part in subscribing in aid of or assisting in any other manner any movement or activity which is, or tends directly or indirectly to be subversive of the Government as by law established and where a Government servant is unable to prevent a member of his family from taking part in, or subscribing in aid of or assisting in any other manner, any such movement or activity, he shall make a report to that effct to the Government.

(3) If any question arises whether a party is a political party or whether any organisation takes part in politics or whether any movement or activity falls within the scope of sub-rule (2), the decision of the Government thereon shall be final.

(4) No Government servant shall canvass or otherwise interfere with, or use his influcence in connection with or take part in, an election to any legislature or local authority :

Provided that —

(i) a Government servant qualified to vote at such election may exercise his right to vote, but where he does so, he shall give no indication of the manner in which he proposes to vote or has voted;

(ii) a Government servant shall not be deemed to have contravened the provisions of this sub-rule by reason only that he assists in the conduct of an election in the due performance of a duty imposed on him by or under any law for the time being in force.

व्याख्या.—शासकीय सेवक द्वारा अपने शरीर, वाहन या निवास-स्थान पर, किसी निर्वाचन चिन्ह का प्रदर्शन इस उपनियम के तात्पर्य के अन्तर्गत इस बात के समान होगा कि वह निर्वाचन के संबंध में अपने प्रभाव का उपयोग कर रहा है.

6. **प्रदर्शन तथा हड़तालें.**—कोई भी शासकीय सेवक—

(एक) स्वयं को किसी भी ऐसे प्रदर्शन में नहीं लगायेगा या उसमें भाग नहीं लेगा, जो कि भारत की प्रभुता तथा अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था शिष्टता या नैतिकता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो या जिसमें न्यायालय का अपमान, मानहानि या किसी अपराध का उद्दीप्त किया जाना अन्तर्ग्रस्त हो, या;

(दो) अपनी सेवा या किसी अन्य शासकीय सेवक की सेवा से संबंधित किसी मामले के संबंध में न तो किसी भी तरह की हड़ताल का सहारा लेगा और न किसी भी प्रकार से उसे अभिप्रेरित करेगा.

7. **शासकीय सेवकों द्वारा अवकाश पर प्रगमन.**—कोई भी शासकीय सेवक अवकाश (आकस्मिक अथवा अन्य) पर उसके स्वीकृत हो जाने के पूर्व प्रगमन नहीं करेगा, परन्तु आपात की दशा में अवकाश स्वीकार करने के लिये सक्षम प्राधिकारी, उन कारणों से, जो लेखबद्ध किये जायेंगे, पहले ही लाभ उठाये गये अवकाश को, भूत-प्रभावी स्वीकृति दे सकेगा.

8. **शासकीय सेवकों द्वारा संघों में सम्मिलित होना.**—कोई भी शासकीय सेवक किसी संघों में न तो सम्मिलित होगा और न उसका सदस्य रहेगा, जिसके कि उद्देश्य तथा कार्यकलाप भारत के प्रभुत्व तथा अखण्डता या सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले हों.

*9. **प्रेस तथा अन्य मीडिया से सम्बन्ध.**—

(1) कोई भी शासकीय सेवक शासन की पूर्व मंजूरी के बिना किसी समाचार-पत्र या अन्य नियतकालिक का प्रकाशन तथा कोई अन्य मीडिया का पूर्णत: या अंशत: न तो स्वामित्व रखेगा और न उसका संचालन करेगा और उसके संपादन अथवा प्रबंध में भाग लेगा.

(2) कोई भी शासकीय सेवक शासन या विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, या अपने कर्तव्यों का सद्भावनापूर्वक निर्वहन करने की स्थिति को छोड़कर, न तो कोई अन्य मीडिया प्रसारण में भाग लेगा और न किसी समाचार-पत्र या नियतकालिक पत्रिका में, अपने स्वयं के नाम से या गुमनाम तौर पर, कल्पित नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से कोई लेख देगा या कोई पत्र लिखेगा :

परन्तु ऐसी कोई मंजूरी अपेक्षित नहीं होगी यदि ऐसा प्रसारण (ब्राडकास्ट) या ऐसा लेख, विशुद्ध साहित्य कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकार का हो.

---

* यह संशोधन सा. प्र. वि. की अधिसूचना क्र. सी-5-1-96-3-एक दिनांक 25-5-2000 द्वारा किया गया जो म. प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 25-5-2000 द्वारा प्रकाशित किया गया. पूर्व प्रावधान में निम्नानुसार संशोधन किया गया है :—

3. नियम 9 में,—

(एक) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"प्रेस तथा अन्य मीडिया से संबंध"

(दो) उपनियम (1) में शब्द "प्रकाशन" के स्थान पर शब्द "प्रकाशन तथ कोई अन्य मीडिया" स्थापित किया जाय.

(तीन) उप नियम (2) में शब्द "रेडियो प्रसारण" के स्थान पर शब्द "कोई अन्य मीडिया प्रसारण" स्थापित किया जाए.

4. नियम 10 में शब्द "रेडियो प्रसारण (ब्राडकास्ट)" के स्थान पर शब्द "रेडियो प्रसारण (ब्राडकास्ट) या अन्य मीडिया प्रासरण" स्थापित किए जाएं.

Explanation.—The display by a Government servant on his person, vehicle or residence of any electoral symbol shall amount to using his influence in connection with an election within the meaning of this sub-rule.

6. **Demonstrations and strikes.**—

No Government servant shall —

(i) engage himself or participate in any demonstration which is prejudical to the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, or which involves contempt of court, defamation or incitement to an offence, or

(ii) report to or in any way abet any form of strike in connection with any matter Pertaining to his service or the service of any other Government servant.

7. **Proceeding on leave by Government servants.**—No Government servant shall proceed on leave (Casual or otherwise) before it has been sanctioned; provided that in a case emergency the authority competent to sanction leave may for reasons to be recorded in writing accord ex-post facto sanction to leave already a vailed of.

8. **Joining of Associations by Government Servants.**—No Government servant shall join, or continue to be a member of, an association the objects or activities of which are prejudical to the interests of the sovercignty and integrity of India or public order or morality.

*9. **Connection with press and other media.**—

(1) No Government servant shall, except with the previous sanction of the Government, own wholly or in part, or conduct or participate in the editing or management of, any newspaper or other periodical publication and any other media.

(2) No Government servant shall, except with the previous sanction of the Government or the prescribed authority, or in the *bonafide* discharge of his duties participate in any other media broadcast or contribute any article or write any letter either in his own name or anonymously, pseudonymously or in the name of any other person to any newspaper or periodical :

Provided that no such sanction shall be required if such broadcast or such contribution is of a purely literary, artistic or scientific character.

---

* Amended vide GAD Notificaiton No. C-5-1-96-3-EK-dated 25-5-2000 published in M. P. Gazette (Extraordinary) dated 25-5-2000. Previous was as follows.—

3. In rule 9,—

(i) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substitued, namely :—

"Connection with press and other media."

(ii) in sub-rule (1) for the word "publication" the words "publication and any other media" shall be substituted;

(iii) in sub-rule (2) for the words "a radio broadcast" the words "any other media broadcast" shall be substituted.

4. In rule 10 for the words "radio broadcast" the words "radio broadcast or other media broadcast" shall be substituted.

10. **शासन की आलोचना.**—कोई भी शासकीय सेवक किसी रेडियो प्रसारण (ब्राडकास्ट) या अन्य मीडिया प्रसारण अपने स्वयं के नाम से या गुमनाम तौर पर कल्पित नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्रकाशित किसी दस्तावेज में या समाचार-पत्र को दी गई किसी संसूचना में या सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त किसी उद्‌गार में कोई ऐसा तथ्य या राय प्रकट नहीं कर करेगा.—

(एक) जिसका परिणाम केन्द्रीय सरकार या राज्य शासन की किसी प्रचलित या तात्कालिक नीति या कार्य की प्रतिकूल आलोचना करता हो :

परन्तु नियम 1 के उपनियम (3) के द्वितीय परन्तुक में उल्लिखित शासकीय सेवकों के किसी भी प्रवर्ग में सम्मिलित किसी शासकीय सेवक की दशा में, इस खण्ड में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, ऐसे शासकीय सेवकों की सेवा की शर्तों की सुरक्षा करने के प्रयोजन के लिये या उनमें सुधार करने के लिये ऐसे शासकीय सेवकों के कर्मचारी संघ के पदाधिकारी के रूप में उसके द्वारा सद्‌भावना से व्यक्त किये गये विचारों को लागू नहीं होगी, या

(दो) जिससे कि राज्य शासन तथा केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य शासन के आपसी संबंधों में उलझन पड़ जाय, या

(तीन) जिससे कि केन्द्रीय सरकार तथा किसी विदेशी राज्य शासन के आपसी संबंधों में उलझन पड़ जाय

परन्तु इस नियम की कोई बात, शासकीय सेवक द्वारा अपनी पदीय हैसियत में या उसे सौंपे गये कर्तव्यों के सम्यक् पालन में दिये गये किसी वक्तव्य या व्यक्त किये गये विचारों को लागू नहीं होगी.

11. **समिति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य.**—

(1) उपनियम (3) में उपबंधित अवस्था को छोड़कर कोई भी शासकीय सेवक, शासन की पूर्व मंजूरी के बिना किसी व्यक्ति, समिति या प्राधिकारी द्वारा की गई किसी जांच के संबंध में साक्ष्य नहीं देगा.

(2) जहां उपनियम (1) के अधीन कोई मंजूरी दे दी गई हो, वहां ऐसा साक्ष्य देने वाला कोई भी शासकीय सेवक, केन्द्रीय सरकार या राज्य शासन की नीति या किसी कार्य की आलोचना नहीं करेगा.

(3) इस नियम की कोई भी बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी :—

(क) शासन, संसद या राज्य विधान मंडल द्वारा नियुक्त किये गये प्राधिकारी के समक्ष जांच में दिया गया साक्ष्य, या

(ख) किसी न्यायिक जांच में दिया गया साक्ष्य, या

(ग) शासन के अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा आदेशित किसी विभागीय जांच में दिया गया साक्ष्य.

12. **अप्राधिकृत रूप से जानकारी देना.**—कोई भी शासकीय सेवक, शासन के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसरण में कार्य करने की अवस्था को छोड़कर उसे सौंपे गये कर्तव्यों का सद्‌भावना से पालन करने की स्थिति को छोड़कर, किसी भी शासकीय सेवक या किसी अन्य व्यक्ति को जिसको कि ऐसी दस्तावेज या जानकारी देने के लिये वह प्राधिकृत न हो, कोई शासकीय दस्तावेज या उसका कोई भाग या जानकारी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देगा.

* "स्पष्टीकरण.—किसी शासकीय सेवक द्वारा (किसी न्यायालय या अधिकरण या किसी प्राधिकारी के समक्ष या अन्यथा अपने अभ्यावेदन में) किसी पत्र, परिपत्र या कार्यालय ज्ञापन या किसी अन्य शासकीय दस्तावेज का या उससे या किसी ऐसी फाइल के टिप्पणों से उद्धरण देना, जिस तक पहुंच के लिए वह प्राधिकृत नहीं है या जिसे वह अपनी वैयक्तिक अभिरक्षा में या वैयक्तिक प्रयोजनों के लिए रखने हेतु प्राधिकृत नहीं है, इस नियम के अर्थ के अन्तर्गत जानकारी की अप्राधिकृत संसूचना की कोटि में आएगा."

---

* यह संशोधन सा. प्र. वि. की अधिसूचना क्र. सी-5-1-96-3-एक, दिनांक 25-5-2000 द्वारा किया गया जो म. प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 25-5-2000 में प्रकाशित हुआ.

10. **Criticism of Government.**—No Government servant shall, in any radio broadcast or other media broadcast or in any document published in his own name or anonymously, pseudnymously or in the name of any other person or in any communication to the press or in any public utterance, make any statement of fact or opinion.—

(i) Which has the effect of an adverse criticism of any current or recent policy or action of the Central Government or a State Government :

Provided that in the case of any Government servant included in any categery of Government servants specified in the second proviso to sub-rule (3) of rule 1, nothing contained in this clause shall apply to bonafide expression of views by him as an office bearer of a trade union of such Government servants for the purpose of safeguarding the conditions of sevice of such Government sevants or for securing an improvement thereof; or

(ii) which is capable of embarrassing the relaions between the State Government and the Central Government or the Government of any State; or

(iii) which is capable of embarrassing the relations between the Central Government and the Government of any foreign State :

Provided that nothing in this rule shall apply to any statements made or views expressed by a Government servant in his official capacity or in the due performance of the duties assigned to him.

11. **Evidence before Committee or any other Authority.**—

(1) Save as provided in sub-rule (3), no Government servant shall, except with the previous sanction of the Government, give evidence in connection with an enquiry conducted by any person, committee or authority.

(2) Where any sanction has been accorded under sub-rule (1), no Government servant giving such evidence shall criticise the policy or any action of the Central Government or of a State Government.

(3) Nothing in this rule shall apply to—

(a) evidence given at an enquiry before an authority appointed by the Government, Parliament or a State Legislature; or

(b) evidence given in any judicial enquiry; or

(c) evidence given at any departmental enquiry ordered by authorities sub-ordinate to the Government.

12. **Unauthorised Communication of Information.**—No Government servant shall, except in accordance with any general or special order of the Government or in the performance in good faith of the duties assigned to him, communicate, directly or indirectly, any official document or any part thereof or information to any Government servant or any other person to whom he is not authorised to communicate such document or information.

* "Explanation.—Quotation by a Government servant (in his representation before any Court or Tribunal or any authority or otherwise) of, or from any letter, circular or office memorandum or any other official document or from the notes of any file to which he is not authorised to have access, or which he is not authorised to keep in his personal custody or for personal purposes, shall amount to unauthorised commuication of information within the meaning of this rule."

---

* Added vide GAD Notification No. C-5-1-96-3-EK dated 25-5-2000 and published in M. P. Gazette (Extraordinary) dated 25-5-2000.

13. **चन्दा.**—कोई भी शासकीय सेवक शासन की या विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, किसी भी प्रकार के उद्देश्य के अनुसरण में किन्हीं निधियों के लिये या नकदी में या वस्तु के रूप में अन्य संग्रहणों के लिये न तो अंशदान मांगेगा, न अंशदान स्वीकार करेगा और न उनके इकट्ठा किये जाने में स्वयं को अन्यथा सम्बद्ध करेगा.

14. **उपहार.**—(1) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित अवस्था को छोड़कर कोई भी शासकीय सेवक कोई भी उपहार न तो स्वीकार करेगा और न उसे स्वीकार करने के लिये अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य को या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को अनुज्ञा देगा.

व्याख्या.—अभिव्यक्ति उपहार में ऐसे निःशुल्क परिवहन, भोजन, आवास या अन्य सेवा या कोई अन्य आर्थिक प्रलाभ सम्मिलित होंगे, जब कि वे शासकीय सेवक से कोई पदीय संव्यवहार न रखने वाले निकट संबंधी या स्वीकीय मित्र को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिये गये हों.

टिप्पणी.—(एक) आकस्मिक भोजन, उद्वहन (लिफ्ट) या अन्य सामाजिक आतिथ्य, उपहार नहीं समझा जावेगा.

(दो) शासकीय सेवक किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जिसके कि साथ उसका पदीय संव्यवहार हो या औद्योगिक या वाणिज्यिक फर्मों, संगठनों आदि से मुक्तहस्त आतिथ्य या बारंबार आतिथ्य स्वीकार करने से बचेगा.

*(2) विवाह, वर्ष दिवस, अन्त्येष्टि या धार्मिक कृत्यों जैसे अवसरों पर जब कि उपहार का दिया जाना प्रचलित धार्मिक या सामाजिक प्रथा के अनुरूप हो, शासकीय सेवक अपने निकट संबंधियों से उपहार स्वीकार कर सकेगा, किन्तु वह शासन को उपहार की रिपोर्ट **उपहार प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अंदर करेगा, यदि किसी ऐसे उपहार का मूल्य निम्नलिखित से अधिक हो :—

(एक) प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी का कोई पद धारण करने वाले शासकीय सेवक के मामले में 1,500 रुपये.

(दो) तृतीय श्रेणी का कोई पद धारण करने वाले शासकीय सेवक के मामले में 700 रुपये, और

(तीन) चतुर्थ श्रेणी का कोई पद धारण करने वाले शासकीय सेवक के मामले में 250 रुपये.

(3) ऐसे अवसरों पर, जो कि उपनियम (2) में उल्लिखित किये गये हैं, शासकीय सेवक अपने ऐसे स्वकीय मित्रों से, जिनका कि उसके साथ कोई पदीय संव्यवहार न हों, उपहार स्वीकार कर सकेगा, किन्तु वह शासन को उपहार को रिपोर्ट ***उपहार प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अंदर करेगा, यदि किसी ऐसे उपहार का मूल्य निम्नलिखित से अधिक हो :—

(एक) प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी का कोई पद धारण करने वाले शासकीय सेवक के मामले में 500 रुपये.

(दो) तृतीय श्रेणी का कोई पद धारण करने वाले शासकीय सेवक के मामले में 200 रुपये.

(तीन) चतुर्थ श्रेणी का कोई पद धारण करने वाले शासकीय सेवक के मामले में 100 रुपये.

(4) किसी भी अन्य मामले में कोई शासकीय सेवक, शासन की मंजूरी के बिना, कोई उपहार प्रतिगृहीत नहीं करेगा अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य को अथवा अपनी ओर से कार्य करने वाले किसी सदस्य को प्रतिगृहीत करने की अनुज्ञा ही देगा, यदि उसका मूल्य.—

(एक) प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी का कोई पद धारण करने वाले शासकीय सेवक के मामले में 200 रुपये, और

(दो) तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी का कोई पद धारण करने वाले शासकीय सेवक के मामले में 50 रुपये से अधिक है.

(5) "कोई भी शासकीय सेवक पेयी अकाउण्ट चैक के माध्यम के सिवाय रुपये 2,000 से अधिक का कोई उपहार नकदी में स्वीकार नहीं करेगा या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य को या उसकी ओर से या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य की ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को स्वीकार करने की अनुज्ञा नहीं देगा."

14 क. **कोई शासकीय सेवक.**—

(1) दहेज न तो देगा या लेगा अथवा उसके देने या लेने के लिये प्रेरित ही करेगा, अथवा

(2) यथास्थिति वधु-वर के माता-पिता या संरक्षक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दहेज की मांग करेगा :—

स्पष्टीकरण.—इस नियम के प्रयोजनार्थ "दहेज" का वही अर्थ होगा, जो उसे दहेज प्रतिरोध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) में दिया गया है.

15. **शासकीय सेवकों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन.**—कोई भी शासकीय सेवक शासन की पूर्व मंजूरी के बिना, न तो कोई अभिनन्दन-पत्र या बिदाई मान-पत्र ग्रहण करेगा, न कोई प्रशंसा-पत्र स्वीकार करेगा और न यह अपने सम्मान में या किसी अन्य शासकीय सेवक के सम्मान में आयोजित किसी सभा या सत्कार समारोह में उपस्थित होगा :

---

* यह संशोधन सा. प्र. वि. की अधिसूचना क्र. 370-सी-आर-309-एक (3)-72 दिनांक 29 जून 1972 द्वारा जोड़ा गया जो म.प्र. राजपत्र दिनांक 28 जुलाई 1972 में प्रकाशित किया गया.

** (1) नियम 14 के उपनियम (2) की तीसरी पंक्ति में "उपहार की रिपोर्ट" शब्द के बाद "उपहार प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अंदर" शब्द जोड़ा जाए;

*** (2) नियम 14 के उपनियम (3) की तीसरी पंक्ति में "उपहार की रिपोर्ट" शब्द के बाद "उपहार प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर" शब्द जोड़ा जाय.

13. **Subscriptions.**—No Government servant shall, except with the previous sanction of the Government or of the prescribed authority, ask for or accept contributions to, or otherwise associate himself with the raising of, any funds or other collections in cash or in kind in pursuance of any object whatsoever.

14. **Gifts.**—Save as otherwise provided in these rules, no Government servant shall accept, or permit any member of his family or any other person acting on his behalf to accept, any gift.

Explanation.—The expression "gift" shall include free transport, boarding, lodging or other service or any other pecuniary advantage when provided by any person other than a near relative or personnal friend having no official dealings with the Government servant.

Note.—(I) A casual meal lift or other social hopspitality shall not be deemed to be a gift,

(II) A Government servant shall avoid accepting lavish hospitality or frequent hospitality from any individual having official dealings with him or from industrial or commercial firms, organisations etc.

*(2) On occasions, such as weddings, anniversaries, funerals or religious functions, when the making of a gift is in comformity with the prevailing religious or social practice, a Government servant may accept gifts from his near relatives but he shall make a report a period of one month from the date of receipt of the **gift to the Government if the value of any such gift exceeds—

(i) Rs. 1500.0, in the case of the Government servant holding any Class I or Class II post;

(ii) Rs. 700.00, in the case of a Government servant holding any Class III post, and

(iii) Rs. 250.00, in the case of a Government servant holdings any Class IV post.

(3) On such occasions as are specified in sub-rule (2), a Government servant may accept gift from his personal friends having no official dealings with him, but he shall make a report within a period of one month from the date of rceipt of the ***gifts to the Government if the value of any such gift exceeds—

(i) Rs. 500.00, in the case of a Government servant holding any Class I or Class II posts;

(ii) Rs. 200.00, in the case of a Government servant holding any Class III posts; and

(iii) Rs. 100.00, in the case of a Government servant holdings any Class IV post.

(4) In any other case, a Government servant shall not accept any gift without the sanction of the Government if the value thereof exceeds—

(i) Rs. 200.00, in the case of a Government servant holding any Class I or Class II post; and

(ii) Rs. 50.00, in the case of a Government servant holding any Class III or Class IV post.

(5) No Government servant shall accept or permit any member of his family or any person acting on his behalf or on behalf of any member of his family to accept any gift in cash exceeding Rs. 2000 except throught a payee account cheque.

14 A. **No Government servant shall.**—

(i) give or take or abet the giving or taking of dowry; or

(ii) demand, directly or indirectly, from the parents or guardian of a bride or bride groom as the case may be any dowry.

Explanation.—For the purposes of this rule, "dowry" has the same meaning as in the Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961).

15. **Public Demonstration in Honour of Government servants.**—No Government servant shall, except with the previous sanction of the Government, receive any complimentary or valedictory address or accept any testmonial or attend any meeting or entertainment held in his honour, or in the honour of any other Government servant :

---

* Added vide GAD Notification No. 370-CR-309-EK (3)-72 dated 29-6-1972 and published in M. P. Gazette 28-7-1972.

** (1) in sub-rule (2) of rule 14, after the words "make a report" occuring in the fourth line, the words "within a period of one month from the date of recipt of the gift shall be added;

*** (2) in sub-rule (3) of rule 14, after the workds "make a report" occuring in the third line, the words "within a period of one month from the date of receipt of the gift" shall be added.

परन्तु इस नियम की कोई भी बात निम्नलिखित को लागू नही होगी—

(एक) वस्तुतः प्रायवेट तथा अनौपचारिक प्रकार का बिदाई संबंधी सत्कार समारोह, जो किसी शासकीय सेवक या अन्य किसी शासकीय सेवक की सेवा निवृत्ति या स्थानान्तरण के अवसर पर उसके सम्मान में या किसी ऐसे व्यक्ति के सम्मान में, जिसने हाल ही में किसी शासन की सेवा छोटी हो आयोजित किया गया हों, या

(दो) सार्वजनिक निकायों या संस्थाओं द्वारा आयोजित सादा तथा सस्ते सत्कार समारोह का स्वीकार किया जाना.

टिप्पणी.—किसी भी शासकीय सेवक पर, उसे किसी बिदाई संबंधी सत्कार समारोह के लिये, भले ही वह वस्तुतः प्राइवेट या अनौपचारिक प्रकार का हो चन्दा देने हेतु उसे उत्प्रेरित करने के लिये किसी भी प्रकार का दबाव या प्रभाव डालना तथा ऐसे किसी शासकीय सेवक के सत्कार समारोह के लिये भी तृतीय या चतुर्थ श्रेणी का न हो, तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से, किन्हीं भी परिस्थितियों में चन्दा इकट्ठा करना निषिध्ध है.

*16. **प्राइवेट कारोबार या नियोजन.**—

(1) कोई शासकीय सेवक, उपनियम (2) के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए शासन के पूर्व अनुमोदन के बिना—

(क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वह कोई कारबार या व्यापार नहीं करेगा; या

(ख) कोई अन्य सेवा नहीं करेगा; या

(ग) किसी निकाय में चाहे वह निगमित निकाय या अनियमित निकाय हो, कोई पदधारण नहीं करेगा या किसी निर्वाचन के लिए किसी अभ्यर्थी/किन्ही अभ्यर्थियों के लिए प्रचार नहीं करेगा; या

(घ) अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के स्वामित्व को या उसके द्वारा प्रबंधित किसी बीमा कंपनी कमीशन एजेन्सी आदि के किसी कारबार के समर्थन में प्रचार नहीं करेगा, या

(ङ) अपने पदीय कर्तव्यों के संबंध में के सिवाय, किसी बैंक या किसी अन्य कम्पनी के, जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए स्थापित किसी सहकारी सोसाइटी के संप्रवर्तन या प्रबंध में भाग नही लेगा.

---

* यह संशोधन सा. प्र. वि. की अधिसूचना क्र. सी.-5-1-96-3-एक दिनांक 25-5-2000 द्वारा किया गया जो राजपत्र (असाधारण) दिनांक 25-5-2000 में प्रकाशित हुआ. पूर्व प्रावधान निम्नानुसार था :—

16. निजी व्यापार या नौकरी.—(1) कोई भी शासकीय सेवक शासन की पूर्व मंजूरी के बिना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई व्यापार या कारोबार नहीं करेगा या कोई भी अन्य नौकरी नहीं करेगा.

परन्तु कोई भी शासकीय सेवक, ऐसी मंजूरी के बिना, सामाजिक या पूर्व प्रकार का अवैतनिक कार्य अथवा साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकार का कभी-कभी होने वाला कार्य इस शर्त के अधीन रहते हुए हाथ में ले सकेगा कि उससे उसके पदीय कर्तव्यों को कोई हानि नहीं पहुंचेगी, किन्तु शासन द्वारा इस प्रकार निर्देशित किये जाने पर वह ऐसा कार्य हाथ में नहीं लेगा या उसे बन्द कर देगा.

व्याख्या.—शासकीय सेवक द्वारा, उसकी पत्नी या उसके कुटुम्ब के किसी अन्य सदस्य के स्वामित्व की या उसके द्वारा प्रबंधित बीमा, एजेन्सी, आढ़त (कमीशन एजेन्सी) आदि के कारोबार के समर्थन में किया गया प्रचार इस उपनियम का उल्लंघन समझा जायेगा.

(2) प्रत्येक शासकीय सेवक शासन को रिपोर्ट करेगा, यदि उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य किसी व्यापार या कारोबार में लगा हो या किसी इन्श्योरेन्स एजेन्सी या आढ़त (कमीशन एजेन्सी) का स्वामित्व रखता हो या प्रबन्ध करता हो.

(3) कोई भी शासकीय सेवक, शासन की पूर्व मंजूरी के बिना, अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने की स्थिति को छोड़कर, किसी बैंक या अन्य कम्पनी के, जिसका कि कम्पनीज एक्ट, 1956 (कम्पनी अधिनियम, 1956) क्रमांक 1, 1956), या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित हो या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये किसी सहकारी संस्था के रजिस्ट्रीकरण प्रवर्तन या प्रबन्ध में भाग नहीं लेगा.

परन्तु कोई भी शासकीय सेवक मध्यप्रदेश को-आपरेटिव सोसाइटी एक्ट, 1960 (मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960) (क्र. 17, सन् 1961), या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी ऐसी सहकारी संस्था के, जो कि वस्तुतः शासकीय सेवकों के फायदे के लिये, या मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1959) मध्यप्रदेश संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1959 (क्रमांक 1 सन् 1960) या प्रवृत्त किसी तत्स्थानीय विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी साहित्यिक वैज्ञानिक या पूर्व संस्था के रजिस्ट्रीकरण, प्रवर्तन य प्रबन्धक में भाग ले सकेगा :

''परन्तु यह और भी कि इस नियम की कोई भी बात शासकीय सेवक द्वारा, शासन की पूर्व मन्जूरी से सपने आपको आबद्ध किए गए लेन-देन के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी.''

(4) कोई भी शासकीय सेवक, किसी लोक नियम या किसी प्रयावेट व्यक्ति के लिये उशके द्वारा किये गये किसी कार्य के लिये, विहित प्राधिकारी की मंजूरी के बिना कोई फीस नहीं ले सकेगा.

Provided that nothing in this rule shall apply to —

(i) a farewell entertainment of a substantially private and informal character held in honour of a Government servant or any other Government servant on the occasion of his retirement or transfer or any person who has recently quit the service of any Government; or

(ii) the acceptance of simple and inexpensive entertainment arranged by public bodies or institutions.

Note.—Exercise of pressure or influene of any sort on any Government servant to induce him to subscribe towards any farewell entertainment even if it is of a substantial private or informal character and the collection of subscriptions from Class III or Class IV employees under any circumstances for the entertianment of any Government servant not belonging to Class III or Class IV, is forbidden.

*16. **Private business or employment.—**

(1) No Government servant shall, subject to the provisions of sub-rule (2), without prior approval of the Government.—

(a) engage himself/herself in any business or trade, directly or indirectly; or

(b) do any other service; or

(c) hold any post in any body, whether it be a corporate body or non-corporate body, or canvass for any candidate/candidates for any election; or

(d) canvass in support or any business of any insurance company, commission agency etc. owned or managed by any member of his/her family, or

(e) except in connection with his official duties, take part in promoting or managing any bank or any other company, which is registered under the companies Act, 1956 (No. 1 of 1956) or under any other law for the time being in force or any co-operative society established for commercial purposes.

---

* Amended vide GAD Notification No. C-5-1-96-3-EK dated 25-5-2000 and published in M. P. Gazette (Extraordinary) dated 25-5-2000 previous provision was as follows.—

16. Private Trade or Emp;oyment.—(1) No Government servant shall except with the previous sanction of the Government, engage directly or indirectly in any trade or business or undertake any other employment :

Provided that a Government servant may without such sanction, undertake honour any work of a social or charitable nature or occasional work of a literary, artistic or scientific character, subject to the condition that his official duties do not thereby suffer, but he shall not undertake, or shall discontinued such work if so directed by the Government.

Explanation.—Canvassing by a Government servant in support of the business of the insurance agency, commission agency, etc. owned or managed by his wife or any other member of his family shall be deemed to be a breach of this sub-rule.

(2) Every Government servant shall report to the Government if any member of his family is engaged in a trade or business or owns or manages an insurance agency or commission agency.

(3) No Government servant shall, without the previous sanction of the Government except in the discharge of his official duties, take part in the registration promotion or management of any bank or other company which is required to be registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or any other law for the time being in force or any co-operative society for commercial purposes :

Provided that a Government servant may take part in the registration, promotion or management of a co-operative society substantially for the benefit of Government servants, registered under the Madhya Pradesh, Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) or any other law for the time being in force, or of a literary, scientific or charitable society registered under the Madhya Pradesh Societies Registration Act, 1959 (No. 1 of 1960) or any other corresponding law in force.

(4) No Government servant may accept any fee for any work done by him for any public body or any private person without the sanction of the prescribed authority.

(2) कोई भी शासकीय सेवक शासन की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त किये बिना :—

(क) किन्हीं भी सामाजिक या खैराती (चैरिटेबिल) प्रकृति के क्रियाकलापों में भाग ले सकेगा; या

(ख) किन्हीं भी साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति के यदा-कदा होने वाले क्रियाकलापों में भाग ले सकेगा; या

(ग) खेल-कूद के क्रियाकलापों में अध्यवसायी के रूप में भाग ले सकेगा; या

(घ) साहित्यिक, वैज्ञानिक या पूर्व सोसायटी या क्लबों या उसी प्रकार के अन्य संगठनों के (जिसमें कि कोई निर्वाचन पद धारण करना अंतर्वतित न हो) रजिस्ट्रीकरण, संप्रवर्तन या प्रबंध में जिनके कि लक्ष्य या उद्देश्य खेलों/क्रिडाओं से संबंधी क्रियाकलापों या सांस्कृतिक अथवा आमोद-प्रमोद की प्रकृति के ऐसे क्रियाकलापों को बढ़ावा देने से संबंधित हों और जो कि मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किये गये हों, भाग ले सकेगा; या

(ङ) किन्हीं ऐसी सहकारी सोसाइटियों के, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हों और जो कि सारभूत रूप से शासकीय सेवकों के फायदे के लिए स्थापित की गई हों (जिसमें कोई निर्वाचन पद धारण करना अंतवर्तित न हो), रजिस्ट्रीकरण, संप्रवर्तन या प्रबंध में भाग ले सकेगा :

परन्तु —

(एक) वह ऐसे क्रियाकलापों में भाग लेना बंद कर देगा यदि शासन द्वारा उसे इस प्रकार निर्देशित किया गया हो; और

(दो) इस उपनियम के खण्ड (घ) और (ङ) के अधीन आने वाले मामलों में, उसके पदीय कर्तव्य प्रतिकूलतः प्रभावित नहीं होंगे तथा यह ऐसे क्रियाकलापों में भाग लेने के पश्चात् एक माह के भीतर उसके भाग होने की प्रकृति का ब्यौरा देते हुए शासन को रिपोर्ट भेजेगा :

(3) यदि किसी शासकीय सेवक के कुटुम्ब का कोई सदस्य किसी कारबार या व्यापार में लगा हुआ है या उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य किसी बीमा कंपनी या कमीशन एजेन्सी का स्वामित्व रखता है या उसका प्रबंध करता है तो यह शासन को रिपोर्ट देगा;

(4) शासन के साधारण या विशेष आदेशों द्वारा, जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो, कोई भी शासकीय सेवक किसी प्राइवेट संस्था या लोक निकाय या प्राइवेट व्यक्ति के लिए उसके द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए प्राधिकारी का अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना, कोई विहित फीस स्वीकार नहीं करेगा;

स्पष्टीकरण.—इस उपनियम के प्रयोजन के लिए शब्द "फीस" का वही अर्थ होगा जो कि मध्यप्रदेश फण्डामेण्टल रूल्स के नियम 46 (ए) में उसके लिए दिया गया है.

17. **विनिधान, उधार देना तथा उधानर लेना** :—(1) कोई भी शासकीय सेवक किसी स्टाक, अंश या अन्य विनिधान में सट्टा नहीं लगाएगा व्याख्या—अंशों, प्रतिभूतियों/अन्य विनिधानों का बार-बार क्रय या विक्रय दोनों ही इस उपनियम के तात्पर्य के अन्तर्गत सट्टा समझे जायेंगे.

(2) कोई भी शासकीय सेवक न ही ऐसा कोई विनिधान करेगा और न अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य को या उसकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति को उसका अनुज्ञा देगा जिससे कि वह संभावना हो कि वह उसके शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में उसे उलझन में डाल देगा या प्रभावित कर देगा.

(3) यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो जाय कि कोई लेन-देन उपनियम (1) या उपनियम (2) में निर्दिष्ट किये गये प्रकार का है या नहीं तो उस पर शसन का विनिश्चय अन्तिम होगा.

(2) Any Government servant may, without obtaining prior permission of the Government—

(a) take part in any activities of social or charitable nature; or

(b) take part in any occasional activities of literary, artistic or scientific nature; or

(c) take part in sports activities as an amatcure; or

(d) take part in the registration, promotion or management of any literary, scientific or charitable society or clubs or similar other organisations (wherein holding of any election post is not involved) whose aims or objects relate to promotion of any games/sports activities or activities of cultural or recreational nature and which are registered under the Madhya Pradesh Societies Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973) or under any other law for the time being in force, or

(e) take part in the registration, promotion or management of any co-operative societies which are registered under the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) or under any other law for the time being in force and which are established substantially for the benefit of the Government servant (wherein holding of any election post is not involved).

Provided that —

(i) he/she shall stop taking part in such activities, if he/she is directed to do so by the Government; and

(ii) in the cases coming under clause (d) and (e) of the sub-rule, his/her official duties shall not be affected adversely within onemonth after taking part in such activities he/she shall send a report to the Government giving the particulars of the nature of his/her participation.

(3) If any member of the family of any Government servant is engaged in any business or trade or if any member of his/her family owns or manages any insurance agency or commission agency, he/she shall report to the Government:

(4) Unless otherwise provided by any general or special orders of the Government, no Government servant shall accept any prescribed fee if for any work done by him/her in any private institution or public body or private person, without obtaining approval of the authority.

Explanation.—For the purpose of this sub-rule, the word "fee" shall have the same meaning as assigned to it in rule 48 (a) of the Madhya Pradesh Fundamental Rules."

17.**Investment, Bending and Borrowing.**—(1) No Government servant shall speculated in any stock, share or other investment.

Explanation.—Frequent purchase or sale or both, of shares, securities or other investments shall be deemed to be speculation within the meaning of this sub-rule.

(2) No Government servant shall make, or permit any member of his family or any person acting on his behalf to make, any investment which is, likely to embarrass or influence him in the disharge of his offcial duties.

(3) If any question arises whether any transactions of the nature referred to in sub rule (1) of sub-rule (2), the decision of the Government thereon shall be final.

(4) (एक) कोई भी शासकीय सेवक किसी बैंक या सम्यक् रूप से बैंक का कारोबार करने के लिये प्राधिकृत किसी सुस्थित फर्म के साथ कारोबार के साधारण क्रम की स्थिति छोड़कर, न तो स्वयं और अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के मार्फत :—

(क) किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि उसके प्राधिकारी की स्थानीय सीमाओं के भीतर हो या जिसके साथ उसका पदीय संव्यवहार होने की संभावना हो प्रतिनियोक्ता या अभिकर्ता के रूप में धन उधार लेगा और न अन्यथा ऐसे व्यक्ति का अपने ऊपर आर्थिक आभार लेगा, या

(ख) किसी व्यक्ति को ब्याज पर अथवा ऐसी रीति में धन उधार नहीं देगा जिससे कि उसकी वापसी धन के रूप में वस्तु के रूप में ली जाय या की जाय :

परन्तु शासकीय सेवक किसी संबंधी या स्वकीय मित्र को बिना अल्प रकम का बिल्कुल अस्थाई प्रकार का ऋण बिना ब्याज के दे सकेगा या उससे ले सकेगा या किसी वास्तविक व्यापारी के यहां उधार खाता रख सकेगा या अपने प्राइवेट नौकर को वेतन अग्रिम में दे सकेगा.

*परंतु यह और भी कि इस उपनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात शासन के पूर्व अनुमोदन से किसी शासकीय सेवक द्वारा किये गये किन्हीं संव्यवहारों को लागू नहीं होगी.

(दो) जब कोई शासकीय सेवक किसी ऐसे प्रकार के पद पर नियुक्त या स्थानांतरित किया जाय कि जिससे उसके द्वारा उपनियम (2) या उपनियम (4) के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध का उल्लंघन होता हो, तो वह तुरन्त ही उन परिस्थितियों की रिपोर्ट शासन को करेगा और तत्पश्चात् ऐसे आदेशों के अनुसार कार्य करेगा जो कि शासन द्वारा दिये जाये.

(5) "कोई भी शासकीय सेवक पेयी अकाउन्ट चैक के माध्यम सिवाय रुपये 2,000 से अधिक की धनराशि उधार नहीं लेगा."

18. **ऋण शोधक्षमता तथा स्वभावतः ऋणग्रस्तता.**—शासकीय सेवक अपने निजी कार्यों का इस प्रकार प्रबंध करेगा कि स्वभावतः ऋणग्रस्तता या ऋण शोधक्षमता टल सके, ऐसा शासकीय सेवक, जिसके विरुद्ध उसके द्वारा शोध्य किसी ऋण की वसूली के लिए या उसे ऋण शोधाक्षम न्यायनिर्णित करने के लिए कोई विधि कार्यवाही प्रारम्भ की हो जाय, विधि कार्यवाही के पूर्ण तथ्यों की रिपोर्ट तुरन्त ही शासन को करेगा.

टिप्पणी.—यह सिद्ध करने का भार शासकीय सेवक पर होगा कि ऋण शोधक्षमता या ऋणग्रस्तता ऐसी परिस्थितियों का परिणाम थी जिनका कि शासकीय सेवक का, सामान्य समवेक्षा के प्रयोग से पूर्व बोध नहीं हो सका था या जिनके ऊपर उसका कोई नियंत्रण न था और जो अपव्यय करने या धन उड़ाने की आदतों से उत्पन्न नहीं हुई थी.

19. **जंगम स्थावर तथा मूल्यवान सम्पत्ति.**—(1) प्रत्येक शासकीय सेवक किसी भी सेवा या पद पर उसके पहलीबार नियुक्त होने पर तथा उसके पश्चात् ऐसे अन्तरालों पर, जो कि शासन द्वारा उल्लिखित किये जाय, अपनी आस्तियों तथा दायित्वों की विवरणी निम्नलिखित के संबंध में पूर्ण विशिष्टियां देते हुए, ऐसे फार्म में जो कि शासन द्वारा विहित किया जाय, प्रस्तुत करेगा.—

(क) उसके द्वारा दाय में प्राप्त की गई या उसके स्वामित्व की या उसके द्वारा अर्जित की गई या उसके स्वयं के नाम से अथवा उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बन्धक पर उसके द्वारा धारित स्थावर संपत्ति.

(ख) उसके द्वारा दाय में प्राप्त किये गये या उसी प्रकार उसके स्वामित्व के, उसके द्वारा अर्जित या धारित अंश, ऋण-पत्र तथा नकदी, जिसमें बैंक निक्षेप भी सम्मिलित होंगे.

* यह परंतुक सा. वि. की अधिसूचना क्र. सी-5-1-96-3-एक दिनांक 25-5-2000 द्वारा जोड़ा गया जो म. प्र. राजपत्र दिनांक 25-5-2000 में प्रकाशित हुआ.

(4) (i) No Government servent shall save in the ordinary course of business with a bank or a firm of standing duly authorised to conduct, banking, business, either himself or through any member of his family or any other person acting on his behalf.—

(a) lend or borrow money as principal or agent to or from any person within the local limits of his authority or with whom he is likely to have official dealings, or otherwise place himself under any pecuniary obligation to such person, or

(b) lend money to any person at interest or in a manner where by return in money or in kind is charged or paid :

Provided that a Government servant may, give to, or accept from, a relative or a personal friend, a purly temporary loan of a small amount free of interest, or operate a credit account with a bonafide tradesman or make an advance :

* Provided further that nothing contained in this sub-rule shall apply to any transactions done by the Government servant with the prior approval of the Government.

(ii) When a Government servant is appointed or transferred to a post of such nature as would involve him in the breach of any of the provisions of sub-rule (2) or sub-rule (4), he shall forthwith report the circumstances to the Government and shall act in accordance with such orders as may be made by the Government :

Provided further that nothing in this sub-rule shall apply in respect of any transaction entered in to by a Government servant with the previous sanction of the Government.

(5) No Government servant shall borrow money exceeding Rs. 2000.00 except through a payee account cheque.

18. **Insolvency and Habitual Indebtedness.**—A Government servant shall so manage his private affairs as to avoid habitual indebtedness or insolvency. A Government servant against whom any legal proceeding is instituted for the recovery of any debt due from him or for adjudging him as an insolvant shall forthwith report the full facts of the legal proceeding to the Government.

Note.—The burden of proving that the insolvency or indebtendness was the result of circumstances which, with the exercise of ordinary deligence, the Government servant could not have forseen, or over which he had no control, and had not proceeded from extravagent or Dissipated habits, shall be upon the Government servant.

19. **Movable, immovable and Valuable Property.**—(1) Every Government servant shall on his first appointment to any service post and thereafter at such intervals as may be specified by the Government, submit a return of his assets and laibilities, in such form as may be prescirbed by the Government, giving the full particulars regarding.—

(a) the immovable property inherited by him, or owned or acquired by him or held by him on lease or mortage, either in his own name or in the name of any member of his family or in the name of any other person;

(b) shares, debentures and cash including bank deposits in herited by him or similarly owned, acquired or held by him;

* This proviso added vide GAD notifiation No. C-5-196-3-Ex dated 25-5-2000 and published in M. P. Gazette (extraordinary) dated 25-5-2000.

(ग) उसके द्वारा दाय में प्राप्त की गई या उसी प्रकार उसके स्वामित्व की, उसके द्वारा अर्जित की गई या उसके द्वारा धारित अन्य जंगम सम्पत्ति.

(घ) उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से लिये गये ऋण या अन्य दायित्व.

टिप्पणी.—(एक) उपनियम (1) मामूली तौर से चतुर्थ श्रेणी के सेवकों को लागू नहीं होगा किन्तु शासन यह निर्देश दे सकेगा कि वह उप नियम (1) किसी ऐसे शासकीय सेवकों की या ऐसे शासकीय सेवकों की श्रेणी को लागू होगा.

टिप्पणी.—(दो) समस्त विवरणियों में, 2,000 रुपये से कम मूल्य की जंगम संपत्ति की मदों का मूल्य जोड़ा जाय तथा एक मुश्त दर्शाया जाये, दैनिक उपयोग की वस्तुओं में से वस्त्र, बर्तन, चीनी (मिट्टी के बर्तन क्राकरी) पुस्तकों आदि मूल्य की ऐसी विवरणी में सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं है.

टिप्पणी.—(तीन) प्रत्येक शासकीय सेवक, जो इन निमयों के प्रारंभ ही के दिनांक को सेवा में हो, इस उप-नियम के अधीन विवरणी ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व जो कि शासन द्वारा ऐसा प्रारंभ होने के पश्चात् उल्लिखित किया जाय, प्रस्तुत करेगा.

(2) कोई भी शासकीय सेवक, विहित प्राधिकारी की पूर्व जानकारी के बिना न तो स्वयं अपने नाम से या न अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से पट्टा, बन्धक, क्रय-विक्रय, दान द्वारा या अन्यथा कोई भी स्थावर संपत्ति न तो अर्जित करेगा और न उसे हस्तांतरित करेगा :

परन्तु शासकीय सेवक द्वारा विहित प्राधिकारी की पूर्व मन्जूरी प्राप्त कर ली जाये यदि कोई ऐसा लेन-देन—

(एक) ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो, शासकी सेवक के साथ पक्षीय संव्यवहार रखता हो, या

(दो) किसी नियमित या ख्यात व्यापारी के मारफत न होकर अन्यथा हो.

(2-क) यदि कोई शासकीय, सेवक या उसके नियोजन अवधि के दौरान उसकी संपत्ति से, मोनता से, या अन्यथा उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य —

(1) कोई स्थावर संपत्ति क्रय करता है या अपने स्वामित्व में किसी गृह को चाहे अपने स्वयं के नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से बेनामी रूप से निर्मित या पुनर्निर्मित करता है, या

(2) पूर्व से ही अपने स्वामित्व की स्थावर संपत्ति में से किसी में भी चाहे अपने द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से बेनामी रूप से या अपने परिवार के किसी सदस्य के द्वारा जैसी भी स्थिति हो रुपये 5000 से अधिक का कोई परिवर्तन या मरम्मत करता है तो ऐसा शासकीय सेवक, यथा स्थिति, ऐसे निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्तन या मरम्मत की पूर्व सूचना यथास्थिति उक्त अर्जन, निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्तन या मरम्मत के लिये प्राक्कलित कुल रकम को प्रकट करते हुए विहित प्राधिकारी को देगा और वह स्त्रोत जहां से कि यथा स्थिति वह या उसके परिवार का सदस्य इस प्रयजन के लिये अपेक्षित निधि जुटाना प्रस्तावित करता है, भी प्रकट करेगा. यदि यथास्थिति, निर्माण, पुनःनिर्माण, परिवर्तन या मरम्मत के दौरान पुनरीक्षित प्राक्कलन मूल प्राक्कलन से 10 प्रतिशत से अधिक होना संभावित हो, तो वह आगे और इसकी पूर्व सूचना देगा. कार्य पूर्ण होन पर शासकीय सेवक, ऐसे कार्य की अन्तिम लागत और वह स्त्रोत जहां से कि वास्तविक रूप से निधि जुटाई गई थी उसके समर्थन में दस्तावेजों की, यदि कोई हो, प्रतियों के साथ प्रस्तुत करेगा.

(3) प्रत्येक शासकीय सेवक जंगम संपत्ति के संबंध में उसके द्वारा या तो उसने स्वयं के नाम से या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से अपने आप को आबद्ध किए गए प्रत्येक लेन-देन की रिपोर्ट विहित प्राधिकारी को करेगा, यदि ऐसी संपत्ति का मूल्य प्रथम या द्वितीय श्रेणी का कोई पद धारण करने वाले शासकीय सेवक के मामले में 10000 रुपये से* अधिक हो या तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी का कोई पद धारण करने वाले शासकीय सेवक के मामले में 5000 रुपये से* अधिक हो :

परन्तु विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी प्राप्त कर ली जाय कि यदि कोई ऐसा लेन-देन,—

(एक) किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका कि शासकीय सेवक के साथ पदीय संव्यवहार हो; या

(दो) किसी नियमित या ख्याति व्यापारी की मार्फत न होकर अन्यथा हो;

---

* यह संशोधन सा. प्र. वि. की अधिसूचना क्र. सी-5-1-96-3-एक दिनांक 25-5-2000 द्वारा किया गया जो म. प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 25-5-2000 में प्रकाशित हुआ.

पूर्व प्रावधान में यह राशि क्रमशः रुपये 5000 एवं 2500 थी.

(c) other movable property inherited by him or similarly owned, acquired or held by him;.

(d) debts or other liabilities incurred by him directly or indirectly.

Note.—I. Sub-rule (1) shall not ordinarily apply to Class IV servants but the Government may direct that it shall apply to any such Government servant or class of such Government servants.

Note.—II In all returns, the value of items of movable property worth less than Rs. 1000.00 may be added and shown as a lump sum. The value of articles of daily use such as cloths, utensils, crockery, books etc. need not included in such return.

Note.—III Every Government servant who is in service on the date of the commencement of these rules shall submit a return under this sub-rule on or before such date as may specified by the Government after such commencement.

(2) No Government servant shall, except with the previous knowledge of the prescribed authority, acquire or dispose of any immovable property by lease, mortgage, purchase, sale, gift or otherwise either in his own name or in the name of any member of his family :

Provided that the previous sanction of the prescribed authority shall be obtained by the Government servant if any such transaction is —

(i) with a person having official dealings with the Government servant; or

(ii) otherwise than through a regular or reputed dealer.

(2-A) If a Government servant or, with his consent, tacit or otherwise during the term of his employment, any member of his family —

(1) Purchases any immovable property or gets any house owned by him whether in his own name or benami in the name of any other person erected, or re-erected, or

(2) Makes any alteration or repairs exceeding Rs. 5000.00 in any of the immovable property already, owned by him, whether in his own name or benami in the name of any other person or as the case may be, by any member of his family, such Government servant shall give prior intimation of such erection, re-erection, alteration or repairs, as the case may be, to the prescribed authority, disclosing the total amount estimated for the said acquisition, erection, re-erection, alteration or as the case may be, repairs and also disclose the source from which he, or as the case may be, the member of his family, proposes to raise the requird funds for the purposes. He shall further give prior intimation if during erection, re-erection, alteration or as the case may be, repairs, the revised estimates are likely to exceed by more than 10% of the original estimates. At the completion of the work, the Government servant shall furnish the final cost of such work and the source from which the funds were actually raised, with copies of documents, if any, in support thereof.

(3) Every Government servant shall report to the prescribed authority every transaction entered into by him either in his own name or in the name of a member of his family in respect of movable property, if the value of such property exceeds Rs. 10000.00* in the case of a Government servant, holding any Class I or Class II post or Rs. 5000.00* in the case of a Government servant holding any Class III or Class IV post :

Provided that the previous sanction of the perscribed authority shall be obtained if any such transaction is—

(i) with a person having official dealings with the Government servant; or

(ii) otherwise than through a regular or reputed dealer.

---

* Amended vide GAD Notification No. C-5-1-96-3-EK dated 25-5-2000 and published in M. P. Gazette (Extraordinary) dated 25-5-2000.

(3-क) ''यदि कोई शासकीय सेवक या तो उप नियम (1) में विहित विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है या किसी वर्ष के लिये ऐसी विवरणी प्रस्तुत करता है, जो समस्त संपत्ति को प्रकट नहीं करता है, जिसका उपदर्शित किया जाना अपेक्षित है या अन्यथा ऐसी कोई संपत्ति छिपाता है तो उसे अवचार माना जावेगा.''

(3-ख) ''उप नियम (3-क) के अधीन अवचार के कारण की जा रही आनुशासनिक कार्यवाही में यह माना जाएगा कि संपत्ति जिसे विवरणी में सम्मिलित न किया गया हो या जिसका मूल्य गलत दर्शाया गया हो, इन नियमों के उल्लंघनकारी साधनों से उपार्जित की गई है. ऐसी कार्यवाही में यह सिद्ध करने का भार कि संपत्ति वैधत: उपार्जित की गई है, शासकीय कर्मचारी पर होगा.''

(4) (एक) प्रशासन या विहित प्राधिकारी किसी भी समय, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा शासकीय सेवक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसके द्वारा या उसकी ओर से या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा धारित या अर्जित की गई ऐसी जंगम या स्थावर संपत्ति के पूरे और सम्पूर्ण विवरण, जैसी कि आदेश में उल्लिखित की जाए, आदेश में उल्लिखित की गई कालावधि के भीतर प्रस्तुत कर दें. ऐसे विवरण में उन साधनों के जिनके द्वारा या स्त्रोत के जिससे कि ऐसी संपत्ति अर्जित की गई थी, ब्यौरे दिये जायेंगे यदि शासन या विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए.

(दो) यदि जंगम या स्थावर संपत्ति का, उसकी आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक होना पाया जाय, या किसी भी समय पाया गया हो, तो जब तक कि शासकीय सेवक द्वारा उसके विपरीत प्रमाणित न कर दिया जाय, यह धारणा की जायेगी कि वह अर्जन भ्रष्ट स्त्रोत से था.

(5) शासन तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवकों के किसी प्रवर्ग को उप नियम (4) को छोड़कर इस नियम के उपबंधों में से किसी भी उपबंध से छूट दे सकेगा, तथापि कोई भी ऐसी छूट शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति के बिना नहीं दी जायेगी.

व्याख्या.—इस नियम के प्रयोजन के लिये —

(1) अभिव्यक्ति ''जंगम संपत्ति'' में सम्मिलित है —

(क) रत्नाभूषण (ज्वेलरी) बीमा पालिसिया, जिनका वार्षिक प्रीमियम 1,000.00 रुपये से या शासन से प्राप्त हुई संपूर्ण वार्षिक उपलब्धियों के एक छठवांश से, जो भी कम हो अधिक हो, अंश प्रतिभूतियां और ऋण-पत्र.

(ख) ऐसे शासकीय सेवकों द्वारा दिये गये ऋण, चाहे वे प्रतिभूति हों या नहो;

(ग) मोटरकारों, मोटर साइकिलों, घोड़े या सवारी के कार्य, अन्य साधन और

(घ) प्रशीतक (रेफ्रीजरेटर्स) रेडियो और रेडियोग्राम.

*(ङ) टेलिविजन सेट तथा अन्य विद्युत् और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुऐं.

(2) ''विहित प्राधिकारी'' से तात्पर्य.—

(क) (एक) उस स्थिति को छोड़कर जबकि कोई निम्न प्राधिकारी किसी प्रयोजन के लिये शासन द्वारा विशेष रूप से उल्लिखित किया जाय, प्रथम श्रेणी के किसी पद को धारण करने वाले शासकीय सेवक की दशा में शासन.

(दो) द्वितीय श्रेणी के किसी पद को धारण करने वाले शासकीय सेवक की दशा में विभागाध्यक्ष.

(तीन) तृतीय श्रेणी के कीस पद को धारण करने वाले शासकीय सेवक की दशा में कार्यालय प्रमुख.

---

* यह संशोधन सा. प्र. वि. की अधिसूचना क्र. सी-5-1-96-3-एक, दिनांक 25-5-1000 द्वारा जोड़ा गया जो म. प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 25-5-2000 में प्रकाशित हुआ.

(3-A) If a Government servant either fails to file a return prescribed in sub-rule (1) or files a return for any year which does not fully disclose all the property that is required to be indicated or otherwise conceals any such property it would amount to misconduct;

(3-B) In a disciplinary proceeding on account of misconduct under sub-rule (3-A) it shall be presumed that the property not included in the return or the value of which is incorrectly shown was acquired through means in contravention of these rules. In such proceeding the burden of proof of establishing that the property was acquired legitimately shall lie on the Government servant.

(4) (i) The Government or the prescribed authority may, at any time, by general or special order, require a Government servant to furnish, within a period specified in the order, a full and complete statement of such movable or immoable property held or acquired by him or on his behalf or by any member of his family as may be specified in the order. Such statement shall, if so required by the Government or by the prescribed authority, include the details of the means by which or the source from which such property was acquired.

(ii) If, the movable and immovable property is; or at any time, was, found to be beyond his konwn sources of income, it shall be presumed, unless the contrary is proved by the Government servant, that the acquisition was from a corrupt source.

(5) The Government may exempt any category of Government servants belonging to Class III or Class IV from any of the provisions of this rule except sub-rule (4). No such exemption shall, however, be mde without the concurrence of the Government in the General Administration Department.

Explanation.—For the purpose of this rule—

(1) The expression "movable property" includes,—

(a) jewellery, insurance policies the annual premium of which exceeds Rs. 1000.00 or one-sixth of the total annual emoluments received from Government whichever is less, shares, securities and debentures;

(b) loans advanced by such Government servants whether secured or not;

(c) motor, cars, motor cycles, horses or any other means of conveyance; and

(d) refrigerators, radios; and radiograms

*(e) television sets and other electrical and electronic items.

(2) "Prescribed authority" means,—

(a) (i) the Government, of the case of a Government servant holding any Class I post, except where any lower authority is specifically specified by the Government for any purpose;

(ii) Head of Department, in the case of a Government servant holding any Class II post;

(iii) Head of Office, in the case of a Government servant holding any Class III or Class IV post;

* Inserted vide GAD Notification No. C-5-1-96-3-EK, dated 25-5-2000 and published in M. P. Gazette (Extraordinary) dated 25-5-2000.

(ख) किसी भी ऐसे शासकीय सेवक के संबंध में जो कि विदेश सेवा में हो या किसी अन्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर हो, वह मूल विभाग, जिसके कि संवर्ग (केडर) में ऐसा शासकीय सेवक रखा गया हो या शासन का वह प्रशासकीय विभाग, जिसके कि वह उस संवर्ग के सदस्य के रूप में, प्रशासकीय तौर पर अधीनस्थ हो.

20. **शासकीय सेवकों के कार्यों तथा चरित्र का निर्दोश सिद्ध किया जाना.**—(1) कोई भी शासकीय सेवक शासन को पूर्व मन्जूरी के बिना किसी भी ऐसे शासकीय कार्य की, जो प्रतिकूल आलोचना या मानहानिकारक आक्षेप का विषय बन गया हो, निर्दोष सिद्ध करने के लिए किसी न्यायालय या समाचार पत्र का सहारा नहीं लेगा.

(2) इस नियम की कोई भी बात किसी शासकीय सेवक का, उसके निजी चरित्र या अपनी, निजी हैसियत में उसके द्वारा किए गए किसी कार्य को निर्दोष सिद्ध करने से प्रतिसिद्ध करती हुई नहीं समझी जायगी और जहां उसके निजी चरित्र या अपनी निजी हैसियत में उसके द्वारा किये गये किसी कार्य को निर्दोष सिद्ध करने के लिये कार्यवाही की गई हो, वहां शासकीय सेवक ऐसी कार्यवाही के बारे में विहित प्राधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.

21. **अशासकीय या अन्य प्रभाव डालना.**—कोई भी शासकीय सेवक शासन के अधीन अपनी सेवा से संबंधित मामलों के विषय में अपने हितों की वृद्धि के लिये किसी वरिष्ठ प्राधिकारी परद्ध कोई राजनैतिक या अन्य प्रभाव न तो डालेगा और न डलवाले का प्रयत्न करेगा.

22. **द्विविवाह.**—(1) कोई भी शासकीय सेवक जिसकी कि पत्नी जीवित हो, शासन की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना दूसरा विवाह नहीं करेगा, भले ही ऐसा पश्चात्वर्ती विवाह तत्समय उसको लागू होने वाली वैयिक्तिक विधि के अधीन अनुज्ञेय हो.

(2) कोई भी स्त्री शासकीय सेविका ऐसे किसी व्यक्ति से जिसकी कि पत्नी जीवित हो, शासन की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना विवाह नहीं करेगी.

"(3) कोई भी शासकीय सेवक ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जो कि महिला शासकीय सेवक के यौन उत्पीड़न की कोटि में आता हो. यौन उत्पीड़न में निम्नलिखित अशिष्ट, कामुक क्रियाकलाप सम्मिलित हैं :—

(क) शारीरित संपर्क तथा कामासक्त व्यवहार;

(ख) यौन सहमति की मांग या निवेदन;

(ग) कामासक्त फब्ती;

(घ) अश्लील साहित्य दिखाना;

(ङ) कामासक्त प्रकृति का कोई भी अन्य अशिष्ट, शारीरिक, शाब्दिक या सांकेतिक आचरण."

(4) प्रत्येक शासकीय सेवक भारत सरकार तथा राज्य सरकार के परिवार कल्याण से संबंधित नीतियों का पालन करेगा.

स्पष्टीकरण.—इस उपनियम के प्रयोजन के लिए शासकीय सेवक के दो से अधिक बच्चे होने को अवचार माना जायेगा यदि उनमें से एक का जन्म 26-1-2001 को या उसके पश्चात् हो.

22-क. **अवचार की सामान्य धारणा.**—अवचार की सामान्य धारणा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों में अधिनियमित निर्देशों या प्रतिशेधों का उल्लंघन कर दिया गया कोई भी कृत या अकृत मध्यप्रदेश सिविल सेवा, (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अधीन दण्डनीय अवचार माना जाएगा.

23. **मादक पेयों तथा औषधियों का उपभोग.**—शासकीय सेवक—

(क) मादक पेयों या औषधियों संबंधि किसी विधि का, जो किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवृत्त हो, जिसमें कि वह तत्समय हो, सम्यक् रूपेण पालन करेगा;

(b) in respect of a Government servant on foregin service or on deputation to any other Government, the parent department on the cadre of which such Government servant is borne or the administrative department of Government to which he is administratively subordinate as member of that cadre.

20. **Vindication of Acts and Character of Government Servants.**—(1) No Government servant shall, except with the previous sanction of the Government, have recourse to any court or to the press for the vindication of any official act which has been the subject matter of adverse criticis or an attack of a defamatory character.

(2) Nothing in this rule shall be deemed to prohibit a Government servant from vindicating his private character or any act any act done by him in his privato capacity and where any action for vindicating his private character or any act done by him in private capacity is taken, the Government Servant shall submit a report to the prescribed authority regarding such action.

21. **Canvassing of Non-Official or other influence.**—No Government servant shall bring or attempt to bring may political or other influence to bear upon any superior authority to further his interests in respect of matters pertaining to his service under the Government.

22. **Bigamous, Marriages**—(1) No Government servant who has a wife living shall contract another marriage without first obtaining the permission of the Government notwithstanding that such, subsequent marriage is permissible under the personal law for the time being applicable, to him.

(2) No female Government servant shall marry any person who has a wife living without first obtaining the permission of the Government.

"(3) No Government servant shall do anything which may amount to sexual harrassment of women Government servant. Sexual harrassment include the following indecent erotic activities.—

(a) physical contact and lecherous behaviour,

(b) demand or request of and sexual consent,

(c) lecherous remarks,

(d) showing pornographic literature,

(e) any other indecent physical, verbal or gestural conduct of lecherous nature."

(4) Every Government servant shall observe the policies regarding family welfare of the Government of India and the State Government.

Explanation.—For the purpose of this sub-rule, Government Servant having more than two children shall be deemed to be misconduct, if one of them is born on or after 26-1-2000".

22-A. **General concept of Mis conduct.**—Without prejudice to the generality of the concept of mis-conduct, any act or ommission in breach of directions or prohibition enacted in these rules shall amount to mis-conduct punishable under the M. P. Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966.

23. **Consumption of intoxicating drinks and drugs.**—A Government servant shall—

(a) strictly abide by any law relating to intoxicating drinks or drugs in force in any area in which he may happen to be for the time being;

(ख) अपने कर्तव्यों का पालन करते समय कोई मादक पेय या औषधि नहीं पीयेगा और न उसके प्रभाव में रहेगा;

(ग) किसी भी सार्वजनिक स्थान में नशे की हालत में उपस्थित नहीं होगा;

(घ) किसी मादक पेय या औषधि का अभ्यासक्त अति उपयोग नहीं होगा;

*स्पष्टीकरण.—इस नियम के प्रयोजनों के लिए ''सार्वजनिक स्थान'' से अभिप्रेत है ऐसा कोई स्थान या परिसर (जिसमें कोई वाहन सम्मिलित है), जिसमे जनता का संदाय करने पर या अन्यथा प्रवेश है या प्रवेश के लिए अनुज्ञाक है.''

* 23-क 14 **वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार में लगाने पर प्रतिबंध.**—कोई भी शासकीय सेवक 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को रोजगार पर नहीं लगायेगा.

24. **निर्वचन.**—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न हो, तो वह शासन को निर्दिष्ट किया जायगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा.

25. **शक्तियों का प्रत्योयोजन.**—शासन सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि इन नियमों के अधीन उसके द्वारा किसी विभागाध्यक्ष द्वारा प्रयोक्तव्य कोई भी शक्ति (नियम 23 तथा इन नियमों के अन्तर्गत शक्ति को छोड़कर) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, जैसी कि आदेश में उल्लिखित की जाय, ऐसे पदाधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य होगी जो कि उस आदेश में उल्लिखित किया जाय.

26. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**—इन निमयों के अनुरूप कोई भी नियम, जो कि इन नियमों के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त हों तथा उन शासकीय सेवकों को लागू हो जिनको कि ये नियम लागू होते हों, एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानीय उपबन्धों के अधीन दिया गया या की गई समझी जायगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ल. सरजे, अपर सचिव.

* यह संशोधन सा. प्र. वि. की अधिसूचना क्र. सी-5-1-96-3-एक, दिनांक 25-5-2000 द्वारा जोड़ा गया जो म. प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 25-5-2000 में प्रकाशित हुआ.

(b) neither take any intoxicating drink or durg nor shall remain under the influence of it at the time of the performance of his duties;

(c) not appear in a public place in a state of intoxication;

(d) not habitually use any intoxacating drink or drug to excess.

*"Explanation.—For the purpose of this rule "Public Place" means any place or premises (including a conveyance) to which the public have, or are permitted to have, access, whether on payment or otherwise."

*23-A **Prohibition regarding employment of children below 14 years of age.**—No Government servant shall employ to work any child below the age of 14 years.

24. **Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

25. **Delegation of powers.**—The Government may, by general or special order, direct that any power exercisable by it or any head of department under these rules (except the power under rule 23 and this rule) shall subject to such conditions, if any, as may be specified in the order, be excercisable also by such officer or authority as may be specified in the order.

26. **Repeal and saving.**—Any rules corresponding to these rules in force immediately before the commencement of these rules and applicable to Government servants to whom these rules apply are hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
L. B. SARJE, Additional Secretary.

* This Amemendment inserted *vide* GAD Notificaiton No. C-5-1-96-3-EK, dated 25-5-2000 and published in M. P. Gazette (Extraordinayr) dated 25-5-2000.

भाग-2

[मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अन्तर्गत समय-समय पर किये गये संशोधन]

(दिनांक 25-5-2000 तक)

भाग-2

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अन्तर्गत समय-समय पर किये गये संसाधनों की सूची

स. क्र.	अधिसूचना क्रमांक	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1.	क्र. 370-सी-आर-309 एक (3)-72, दिनांक 29-6-1972	मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन (क्रमांक 1)	18
2.	एफ सी-5-1-83-3-एक दिनांक 7-12-1983	मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन (क्रमांक 2)	19
3.	एफ-सी-5-2/85/3/1 दिनांक 25-4-1986	मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन (क्रमांक 3)	22
4.	एफ-सी-4-1-87-3-उनन्चास, दिनांक 19-9-1988	मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन (क्रमांक 4)	24
5.	एफ-सी-5-1-96-3-एक, दिनांक 25-5-2000	मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन (क्रमांक 5)	26

संशोधन क्र. 1

[मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 4 (ग), दिनांक 28 जुलाई 1972 में प्रकाशित]

भाग 4 (ग)

अन्तिम नियम

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 29 जून 1972

क्र. 370-सी. आर.-309-एक (3)-72.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में निम्नलिखित और संशोधन करते है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम में :—

(1) नियम 14 के उपनियम (2) की तीसरी पंक्ति में "उहार की रिपोर्ट" शब्द के बाद "उपहार प्राप्त होने की तिथि से एक माह केअंदर" शब्द जोड़ा जाए;

(2) नियम 14 के उपनियम (3) की तीसरी पंक्ति में "उपहार की रिपोर्ट" शब्द के बाद "उपहार प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर" शब्द जोड़ा जाय.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हनुमन्तराव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 जून 1972

क्र. 371-एक (3).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 370-सी. आर.-309-एक (3)-72, तारीख 29 जून 1972 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वार प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हनुमन्तराव, सचिव.

Bhopal, the 29th June 1972

No. 370-CR-309-I (3)-72.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Civil Serivces (Conduct) Rules, 1965, namely :—

AMENDMENTS

In the said Rules—

(1) in sub-rule (2) of rule 14, after the words "make a report" occuring in the fourth line, the words "within a period of one month from the date of receipt of the gift" shall be added;

(2) in sub-rule (3) of rule 14, after the words "make a report" occuring in the third line, the words "within a period of one month form the date of receipt of the gift" shall be added.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M. H. RAO, Secy.

संशोधन क्र. 2

[मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 4 (ग), दिनांक 23 दिसम्बर 1983 में प्रकाशित]

भाग 4 (ग)

अन्तिम नियम

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 1983

एफ. क्र. सी-5-1-83-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 14 के उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"(5) कोई भी शासकीय सेवक पेयी अकाउन्ट चैक के माध्यम से सिवाय रुपये 2,000 से अधिक का कोई उपहार नकदी में स्वीकार नहीं करेगा या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य को या उसकी ओर से या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य की ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को स्वीकार करने की अनुज्ञा नहीं देगा."

2. नियम 17 के उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"(5) कोई भी शासकीय सेवक पेयी अकाउन्ट चैक के माध्यम से सिवाय रुपये 2,000 से अधिक की धनराशि उधार नहीं लेगा."

3. नियम 19 के उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"(2-क) यदि कोई शासकीय सेवक या उसके नियोजन की अवधि के दौरान उसकी सम्मत्ति से, मौनता से, या अन्यथा उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य—

(1) कोई स्थावर संपत्ति क्रय करता है या अपने स्वामित्व में के किसी गृह को चाहे अपने स्वयं के नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से बेनामी रूप से निर्मित या पुनर्निर्मित करता है, या

(2) पूर्व से ही अपने स्वामित्व की स्थावर संपत्ति में से किसी में भी चाहे अपने द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से बेनामी रूप से या अपने परिवार के किसी सदस्य के द्वारा जैसी भी स्थिति हो रु. 5000 से अधिक का कोई परिवर्तन या मरम्मत करता है,

तो ऐसा शासकीय सेवक, यथास्थिति, ऐसे निर्माण पुनःनिर्माण, परिवर्तन या मरम्मत की पूर्व सूचना यथास्थिति उक्त अर्जन, निर्माण, पुनः निर्माण, परिवर्तन या मरम्मत के लिये प्राक्कलित कुल रकम को प्रगट करते हुए विहित प्राधिकारी को देगा और वह स्त्रोत, जहां से कि यथास्थिति वह या उसके परिवार का सदस्य इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित निधि जुटाना प्रस्तावित करता है, भी प्रगट करेगा. यदि यथास्थिति, निर्माण, पुनः निर्माण, परिवर्तन या मरम्मत के दौरान पुनरीक्षित प्राक्कलन, मूल प्राक्कलन से 10 प्रतिशत से अधिक होना संभावित हों, तो वह आगे और इसकी भी पूर्व सूचना देगा. कार्य पूर्ण होने पर शासकीय सेवक ऐसे कार्य की अंतिम लागत और वह स्त्रोत जहां से कि वास्तविक रूप से निधि जुटाई गई थी, उसके समर्थन में दस्तावेजों की, यदि कोई हों, प्रतियों के साथ प्रस्तुत करेगा."

4. नियम 19 के उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किये जायें, अर्थात् :—

"(3-क) यदि कोई शासकीय सेवक या तो उपनियम (1) में विहित विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है या किसी वर्ष के लिये ऐसी विवरणी प्रस्तुत करता है, जो उस समस्त संपत्ति को प्रगट नहीं करता है जिसका कि उपदर्शित किया जाना अपेक्षित है या अन्यथा ऐसी कोई संपत्ति छिपाता है, तो उसे अवचार माना जायगा.

(3-ख) उपनियम (3-क) के अधीन अवचार के कारण की जा रही आनुशासनिक कार्यवाही में यह माना जाएगा कि वह संपत्ति, जिसे विवरणी में सम्मिलित न किया गया हो या जिसका मूल्य गलत दर्शाया गया हो, इन नियमों के उल्लंघनकारी साधनों से उपार्जित की गई है. ऐसी कार्यवाही में यह सिद्ध करने का भार कि संपत्ति वैधत: उपार्जित की गई है, शासकीय कर्मचारी पर होगा."

5. नियम 22 के पश्चात् निम्नलिखित नियम जोड़ा जाय, अर्थात् :—

"(22-क) अवचार की सामान्य धारण.—अवचार की धारणा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन निमयों में अधिनियमित निर्देशों या प्रतिषेधों का उल्लंघन कर किया गया कोई भी कृत या अकृत (मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अधीन दंडनीय अवचार माना जाएगा."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्हे सिंह, विशेष सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 1983

एफ. क्र. सी-5-1-83-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. सी-5-1-83-3-एक, दिनांक 7 दिसम्बर 1983 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एन. श्रीवास्तव, विशेष सचिव.

Bhopal, the 7th December 1983

F. No. C-5-1-83-3-I.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the follwong further amendments in the Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. after sub-rule (4) of rule 14, the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(5) No Government servant shall accept or permit any member of his family or any person acting on his behalf or on behalf of any member of his family to accept, any gift in cash exceeding Rs. 2000 except through a payee account cheque."

2. after sub-rule (4) of rule 17, the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(5) No Government servant shall borrow money exceeding Rs. 2000 except through a payee account cheque."

3. after sub-rule (2) of rule 19, the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(2-A) If a Government servant or, with his consent, tacit or otherwise during the term of his employment any member of his family —

(1) purchases any immovable property or gets any house owned by him whether in his own name or benami in the name of any other person erected, or re-erected, or

(2) makes any alteration or repairs exceeding Rs. 5000 in any of the immovable property already owned by him, whether in his own name or benami in the name of any other person or as the case may be, by any member of his family; such Government servant shall give prior intimation of such

erection, re-erection, alteration or repairs, as the case may be, to the prescribed authority, disclosing the total amount estimated for the said acquisition, erection, re-erection, alteration or as the case may be, repairs and also disclose the source from which he, or as the case may be, the member of this family, proposes to raise the required funds for the purpose. He shall further give prior intimation if during erection, re-erection, alteration or as the case may be, repairs, the revised estimates are likely to exceed by more than 10% of the original estimates. At the completion of the work, the Government servant shall furnish the final cost of such work and the source from which the funds were actually raised, with copies of documents, if any, in support thereof."

4. after sub-rule (3) of rule 19, the following sub-rules shall be inserted, namely :—

"(3-A) If a Government servant either fails to file a return prescribed in sub-rule (1) or files a return for any year which does not fully disclose all the property that is required to be indicated or otherwise conceals any such property it would amount to misconduct;

(3-B) In a disciplinary proceeding on account of misconduct under sub-rule (3-A) it shall be presumed that the property not included in the return or the value of which is incorrectly shown was acquired through means in contravention of these rules. In such proceeding the burden of proof of establishing that the property was acquired legitimately shall lie on the Government servant."

5. after rule 22, the following rule shall be inserted, namely :—

"22-A. General concept of mis-conduct.—without prejudie to the generality of the concept of misconduct, any act or ommission in breach of directions or prohibition enated in these rules shall amount to mis-conduct punishable under the M. P. Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
NANHY SINGH, Spl.Secy.

संशोधन क्र. 3

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल, 1986

एफ. क्रमांक सी. 5-2/85/3/1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में;

(1) नियम 14 में,—

(क) उपनियम (2) में,—

(एक) खंड (एक) में, अंक "500.00" के स्थान पर अंक "1500.00"

(दो) खंड (दो) में, अंक "250.00" के स्थान पर अंक "700.00" और

(तीन) खंड (तीन) में, अंक "100.00" के स्थान पर अंक "250.00"

स्थापित किये जाय.

(ख) उपनियम (3) में,—

(एक) खंड (एक) में, अंक "200.00" के स्थान पर अंक "500.00"

(दो) खंड (दो) में, अंक "100.00" के स्थान पर अंक "200.00" और

(तीन) खंड (तीन) में, अंक "50.00" के स्थान पर अंक "100.00"

स्थापित किये जाय.

(ग) उपनियम (4) में,—

(एक) खंड (एक) में, अंक "75.00" के स्थान पर अंक "200.00" और

(दो) खंड (दो) में, अंक "25.00" के स्थान पर अंक "50.00"

स्थापित किये जाय.

(2) नियम 19 में, उपनियम (3) में,—

(एक) अंक "1,000.00" के स्थान पर अंक "2,000.00" और

(दो) अंक "500.00" के स्थान पर अंक "1,000.00"

स्थापित किये जाय.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-

(के. एन. श्रीवास्तव)

उपसचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Bhopal, dated the 25the April, 1986

F. No. C-5/2/85/3/1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Civil Services (conduct) Rules, 1965, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

(1) in rule 14,—

(a) in sub rule (2),—

(i) in clause (i), for the figures "500.00", the figures "1500.00",

(ii) in clause (ii), for the figures "250.00", the figures "700.00", and

(iii) in clause (iii), for the figures "100.00" the figures "250.00", shall be substituted.

(b) in sub rule (3),—

(i) in clause (i), for the figures "200.00" the figures "500.00",

(ii) in clause (ii), for the figures "100.00" the figures "200.00 and

(iii) in clause (iii), for the figures "50.00" the figures "100.00", shall be substituted.

(c) in sub rule (4),—

(i) in clause (i), for the figures "75.00" the figures "200.00", and

(ii) in clause (ii), for the figures "25.00" the figures "50.00", shall be substituted.

(2) in rule 19, in sub rule (3),—

(i) for the figures "1000.00" the figures "2000.00", and
(ii) for the figures "500.00" the figures "1000.00", shall be substituted.

By order and in the name of the Governor
of Madhya Pradesh
Sd./-
(K. N. SHRIVASTAVA),
Deputy Secretary to Government Madhya Pradesh,
General Administration Department.

संशोधन क्र. 4

[मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 4 (ग) दिनांक 14 अक्टूबर 1988 में प्रकाशित]

भाग 4 (ग)

अन्तिम नियम

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 1988

एफ. क्र. सी-4-1-87-3-उनन्चास.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 19 में,—

(1) उपनियम (2) में विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु, शासकीय सेवक द्वारा विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी उस दशा में अभिप्राप्त की जायेगी, जबकि ऐसा कोई लेन-देन ऐसे व्यक्ति के साथ हो, जिसका शासकीय सेवक के साथ पदीय संव्यवहार है."

(2) उपनियम (3) में,—

(क) अंक "2000.00" के स्थान पर अंक "5000.00" और

(ख) अंक "1000.00" के स्थान पर अंक "2500.00" स्थापित किए जाए.

(3) उपनियम (3) में विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु, शासकीय सेवक द्वारा विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी उस दशा में अभिप्राप्त की जायेगी, जबकि ऐसा कोई लेन-देन ऐसे व्यक्ति के साथ हो, जिसका शासकीय सेवक के साथ पदीय संव्यवहार है."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एन. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 1988

एफ. क्र. सी-4-1-87-3-उनन्चास.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्र. सी-4-1-87-3-उनन्चास, दिनांक 19 सितम्बर 1988 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एन. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 19th September 1988

F. No. C-4-1-87-3-XLIX.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965, namely

AMENDMENTS

In the said rules, in rule 19,—

(1) In sub-rule (2), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that the previous sanction of the prescribed authority shall be obtained by the Government Servant is any such transaction is with a person having official dealings with him."

(2) In sub-rule (3),—

(a) for the figures "2000.00", the figures "5000.00"; and

(b) for the figures "1000.00", the figures "2500.00" shall be substituted.

(3) In sub-rule (3), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that the previous sanction of the prescribed authority shall be obtained by the Government Servant if any, such transaction is with a person having official dealings with him."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. N. SHRIVASTAVA, Dy.Secy.

[मध्यप्रदेश राजपत्र, (असाधारण) क्रमांक 335, दिनांक 25 मई 2000 में प्रकाशित]

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 मई 2000

एफ. क्र. सी-5-1-96-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 1 के उपनियम (3) के द्वितीय परन्तुक का लोप किया जाए.

2. नियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"3 (क) तत्परता तथा शिष्ट व्यवहार—

कोई भी शासकीय सेवक—

(क) अपने पदीय कृत्यों के पालन में अशिष्टता से कार्य नहीं करेगा,

(ख) जनता के साथ अपने पदीय संव्यवहार में या अन्यथा विलंबकारी कार्यनीति नहीं अपनाएगा और उसे सौंपे गए कार्य को निपटाने में जानबूझकर विलंब नहीं करेगा,

(ग) ऐसा कुछ नहीं करेगा जो अनुशासनहीनता का द्योतक हो,

(घ) शासकीय आवास को, जो उसे आवंटित किया गया है, उप भाड़े पर नहीं देगा, पट्टे पर नहीं देगा या किसी व्यक्ति द्वारा अधिलाभ के लिए अधिभोग या उपयोग को अन्यथा अनुज्ञात नहीं करेगा.

3 (ख) शासन की नीतियों का पालन—

प्रत्येक शासकीय सेवक, समस्त समय पर—

(क) विवाह की आयु, पर्यावरण के परिरक्षण, वन्य जीव और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित शासन की नीतियों के अनुसार कार्य करेगा,

(ख) महिलाओं के विरुद्ध अपराध के निवारण से संबंधित शासन की नीतियों का पालन करेगा."

3. नियम 9 में,—

(एक) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"प्रेस तथा अन्य मीडिया से संबंध"

(दो) उप-नियम (1) में शब्द "प्रकाशन" के स्थान पर शब्द "प्रकाशन तथा कोई अन्य मीडिया" स्थापित किया जाए;

(तीन) उप-नियम (2) में शब्द "रेडियों प्रसारण" के स्थान पर शब्द "कोई अन्य मीडिया प्रसारण" स्थापित किया जाए.

4. नियम-10 में शब्द "रेडियों प्रसारण (ब्राडकास्ट)" के स्थान पर शब्द "रेडियो प्रसारण (ब्राडकास्ट) या अन्य मीडिया प्रसारण" स्थापित किए जाएं.

5. नियम 12 में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत में जोड़ा जाए, अर्थात् :—

स्पष्टीकरण.—किसी शासकीय सेवक द्वारा (किसी न्यायालय या अधिकरण या किसी प्राधिकारी के समक्ष या अन्यथा अपने अभ्यावेदन में) किसी पत्र, परिपत्र या कार्यालय ज्ञापन या किसी अन्य शासकीय दस्तावेज का या उससे या किसी ऐसी फाइल के टिप्पणों से उद्धरण देना, जिस तक पहुंच के लिए वह प्राधिकृत नहीं है या जिसे वह अपनी वैयक्ति अभिरक्षा में या वैयक्तिक प्रयोजनों के लिए रखने हेतु प्राधिकृत नहीं है, इस नियम के अर्थ के अन्तर्गत जानकारी की अप्राधिकृत संसूचना की कोटि में आएगा."

6. नियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(16) प्राइवेट कारबार या नियोजन :—

(1) कोई शासकीय सेवक, उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए शासन के पूर्व अनुमोदन के बिना—

(क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वह कोई कारबार या व्यापार नहीं करेगा; या

(ख) कोई अन्य सेवा नहीं करेगा; या

(ग) किसी निकाय में, चाहे वह निगमित निकाय या अनिगमित निकाय हो, कोई पद धारण नहीं करेगा या किसी निर्वाचन के लिए किसी अभ्यर्थी/किन्हीं अभ्यर्थियों के लिए प्रचार नहीं करेगा; या

(घ) अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के स्वामित्व की या उसके द्वारा प्रबंधित किसी बीमा कंपनी, कमीशन एजेन्सी आदि के किसी कारबार के समर्थन में प्रचार नहीं करेगा; या

(ङ) अपने पदीय कर्तव्यों के संबंध में के सिवाय, किसी बैंक या किसी अन्य कंपनी के, जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए स्थापित किसी सहकारी सोसाइटी के संप्रवर्तन या प्रबंध में भाग नहीं लेगा.

(2) कोई भी शासकीय सेवक शासन की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त किये बिना :—

(क) किन्हीं भी सामाजिक या खैराती (चेरिटेबिल) प्रकृति के क्रियाकलापों में भाग ले सकेगा; या

(ख) किन्हीं भी साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति के यदा-कदा होने वाले क्रियाकलापों में भाग ले सकेगा; या

(ग) खेल-कूद के क्रियाकलापों में अध्यवसायी के रूप में भाग ले सकेगा; या

(घ) साहित्यिक, वैज्ञानिक या पूर्व सोसाइटी या क्लबों या उसी प्रकार के अन्य संगठनों के (जिसमें कि कोई निर्वाचन पद धारण करना अंतर्वलित न हो) रजिस्ट्रीकरण, संप्रवर्तन या प्रबंध में, जिनके कि लक्ष्य या उद्देश्य खेलों/क्रीड़ाओं से संबंधी क्रियाकलापों या सांस्कृतिक अथवा आमोद-प्रमोद की प्रकृति के ऐसे क्रियाकलापों को बढ़ावा देने से

संबंधित हों, और जो कि मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किये गये हों, भाग ले सकेगा; या

(ङ) किन्हीं ऐसी सहकारी सोसाइटियों के, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हों और जो कि सारभूत रूप से शासकीय सेवकों के फायदे के लिए स्थापित की गई हों (जिसमें कोई निर्वाचन पद धारण करना अंतर्वलित न हो), रजिस्ट्रीकरण, संप्रवर्तन या प्रबंध में भाग ले सकेगा :

परन्तु—

(एक) वह ऐसे क्रियाकलापों में भाग लेना बंद कर देगा यदि शासन द्वारा उसे इस प्रकार निर्देशित किया गया हो; और

(दो) इस उपनियम के खण्ड (घ) और (ङ) के अधीन आने वाले मामलों में, उसके पदीय कर्तव्य प्रतिकूलत: प्रभावित नहीं होंगे तथा वह ऐसे क्रियाकलापों में भाग लेने के पश्चात् एक मास के भीतर उसके भाग लेने की प्रकृति का ब्यौरा देते हुए, शासन को रिपोर्ट भेजेगा;

(3) यदि किसी शासकीय सेवक के कुटुम्ब का कोई सदस्य किसी कारबार या व्यापार में लगा हुआ है या उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य किसी बीमा कंपनी या कमीशन एजेन्सी का स्वामित्व रखता है या उसका प्रबंध करता है तो वह शासन को रिपोर्ट देगा;

(4) शासन के साधारण या विशेष आदेशों द्वारा, जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो, कोई भी शासकीय सेवक किसी प्राइवेट संस्था या लोक निकाय या प्राइवेट व्यक्ति के लिए उसके द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए, प्राधिकारी का अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना, कोई विहित फीस स्वीकार नहीं करेगा;

स्पष्टीकरण.—इस उपनियम के प्रयोजन के लिए शब्द "फीस" का वही अर्थ होगा जो कि मध्यप्रदेश फण्डामेण्टल रूल्स के नियम 46 (ए) में उसके लिए दिया गया है.

7. नियम 17 में, उपनियम (4) के खण्ड (एक) के विद्यमान परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"परन्तु यह ओर भी कि इस उपनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात शासन के पूर्व अनुमोदन से किसी शासकीय सेवक द्वारा किये गये किन्हीं संव्यवहारों को लागू नहीं होगी."

8. नियम 19 में,—

(एक) उपनियम (3) में शब्द तथा अंक "रु. 5000=00" के स्थान पर शब्द तथा अंक "रु. 10,000=00" तथा शब्द तथा अंक "रु. 2500=00" के स्थान पर शब्द तथा अंक "रु. 5000=00" स्थापित किए जाएं.

(दो) उपनियम (5) में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (1) में, उपखण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ङ) टेलिविजन सेट तथा अन्य विद्युत् और इलेक्ट्रानिक वस्तुएं."

9. नियम 22 के उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किये जाएं, अर्थात् :—

"(3) कोई भी शासकीय सेवक ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जो कि महिला शासकीय सेवक के यौन उत्पीड़न की कोटि में आता हो. यौन उत्पीड़न में निम्नलिखित अशिष्ट, कामुक क्रियाकलाप सम्मिलित हैं :—

(क) शारीरिक संपर्क तथा कामासक्त व्यवहार;

(ख) यौन सहमति की मांग या निवेदन;

(ग) कामासक्त फब्ती;

(घ) अश्लील साहित्य दिखाना;

(ङ) कामासक्त प्रकृति का कोई भी अन्य अशिष्ट, शारीरिक, शाब्दिक या सांकेतिक आचरण.''

(4) प्रत्येक शासकीय सेवक भारत सरकार तथा राज्य सरकार के परिवार कल्याण से संबंधित नीतियों का पालन करेगा.

स्पष्टीकरण.—इस उपनियम के प्रयोजन के लिए शासकीय सेवक के दो से अधिक बच्चे होने को अवचार माना जायेगा यदि उनमें से एक का जन्म 26-1-2001 को या उसके पश्चात् हो.

10. नियम 23 के खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''**स्पष्टीकरण.**—इस नियम के प्रयोजनों के लिए ''सार्वजनिक स्थान'' से अभिप्रेत है ऐसा कोई स्थान या परिसर (जिसमें कोई वाहन सम्मिलित है), जिसमें जनता का संदाय करने पर या अन्यथा प्रवेश है या प्रवेश के लिए अनुज्ञात है.''

11. नियम 23 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''23-क. 14 वर्ष कम आयु के बच्चों को रोजगार में लगाने पर प्रतिबंध.

कोई भी शासकीय सेवक 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को रोजगार पर नहीं लगायेगा.''

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. व्ही. ग्वालियरकर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 मई, 2000

क्र. सी-5-1-96-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक सी-5-1-1996-3-एक, दिनांक 25 मई 2000 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. व्ही. ग्वालियरकर, उपसचिव.

Bhopal, the 25th May 2000

No. F-C-5-1-96-3-EK.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

(1) The second proviso to sub-rule (3) of rule 1 shall be omitted.

(2) After rule 3, the following rules shall be inserted, namely :—

"3-A. Promptness and courteous behaviour:—

No Government servant shall,—

(a) act discourteously in the performance of his/her official functions;

(b) adopt deletory tactics in his/her official dealing with the public or otherwise and shall make deliberate delay in disposing of the work assigned to him;

(c) do nothing which denote indiscipline;

(d) sub-let, lease or otherwise allow occupation or use for gain by any person of Government accomodation which has been allotted to him.

3-B Observance of Government's Policies :—

Every Government Servant shall, at all times—

(a) act inaccordance with the Government's policies regarding age of marriage, preservation of environment, protection of wildlife and cultural heritage;

(b) observe the Government's policies regarding prevention of crime against women."

3. In rule 9,—

(i) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely :—

"Connection with press and other media."

(ii) in sub-rule (1) for the word "publication" the words "publication and any other media" shall be substituted;

(iii) in sub-rule (2) for the words "a radio broadcast" the words "any other media broadcast" shall be substituted.

4. In rule 10 for the words "radio broadcast" the words "radio broadcast or other media broadcast" shall be substituted.

5. In rule 12, the following explanation shall be added at the end, namely :—

"**Explanation**.—Quotation by a Government servant (in his representation before any Court or Tribunal or any authority or otherwise) of, or from any letter, circular or office memorandum or any other official document or from the notes of any file to which he is not authorised to have access, or which he is not authorised to keep in his personal custody or for personal purposes, shall amount to unauthorised communication of information within the meaning of this rule."

6. For rule 16, the following rule shall be substituted, namely :—

"16. Private business or employment—

(1) No Government servant shall, subject to the provisions of sub-rule (2), without prior approval of the Government—

(a) engage himself/herself in any business or trade, directly or indirectly; or

(b) do any other service; or

(c) hold any post in any body, whether it be a corporate body or non-corporate body, or canvass for any candidate/candidates for any election; or

(d) canvass in support or any business of any insurance company, commission agency etc. owned or managed by any member of his/her family; or

(e) except in connection with his official duties, take part in promoting or managing any bank or any other company, which is registered under the companies Act, 1956 (No. 1 of 1956) or under any other law for the time being in force or any co-operative society established for commercial purposes.

(2) Any Government servant may, without obtaining prior permission of the Government—

(a) take part in any activities of social or charitable nature; or

(b) take part in any occasional activities of literary, artistic or scientific nature; or

(c) take part in sports activities as an amateur; or

(d) take part in the registration, promotion, or management of any literary, scientific or charitable society or clubs or similar other organisations (wherein holding of any election post is not involved), whose aims or objects relate to promotion of any games/ sports activities or activities of cultural or recreational nature and which are registered under the Madhya Pradesh Societies Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973) or under any other law for the time being in force, or;

(e) take part in the registration, promotion or management of any co-operative societies which are registered under the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) or under any other law for the time being in force and which are established substantially for the benefit of the Government servant (wherein holding of any election post is not involved).

provided that—

(i) he/she shall stop taking part in such activities, if he/she is directed to do so by the Government; and

(ii) in the cases coming under clause (d) and (e) of this sub-rule, his/her official duties shall not be affected adversely within one month after taking part in such activities he/she shall send a report to the Government giving the particulars of the nature of his/her participation;

(3) If any member of the family of any Government servant is engaged in any business or trade or if any member of his/her family owns or manages any insurance agency or commission agency, he/she shall report to the Government;

(4) Unless otherwise provided by any general or special orders of the Government, no Government servant shall accept any prescribed fee if for any work done by him/her in any private institution or public body or private person, without obtaining approval of the authority.

Explanation.—For the purpose of this sub-rule, the word "fee" shall have the same meaning as assigned to it in rule 48 (a) of the Madhya Pradesh Fundamental Rules."

7. In rule 17, after the existing proviso to clause (i) of sub-rule (4) the following proviso shall be inserted namely :—

"Provided further that nothing contained in this sub-rule shall apply to any transactions done by any Government servant with the prior approval of the Government."

8. In rule 19,—

(i) in sub-rule (3) for the words and figures "Rs. 5000.00" the words and figures "Rs. 10,000/-" and for the words and figures "Rs. 2500.00" the words and figures "Rs. 5000/-" shall be substituted.

(ii) in sub-rule (5), in the explanation, in clause (1), after sub-clause (d), the following sub-clause shall be inserted, namely :—

"(e) Television sets and other electrical and electronic items."

9. After sub-rule (2) of rule 22, the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(3) No Government servant shall do anything which may amount to sexual harrassment of women Government sevant. Sexual harrassment include the following indecent erotic activities—

(a) physical contact and lecherous behaviour,

(b) demand or request of sexual consent;

(c) lecherous remarks,

(d) showing pornographic literature,

(e) any other indecent physical, verbal or gestural conduct of lecherous nature."

(4) Every Government servant shall observe the policies regarding family welfare of the Government of India and the State Government.

Explanation.—For the purpose of this sub-rule, government servant having more than two children shall be deemed to be misconduct, if one of them in born on or after 26-1-2001."

10. After clause (d) of rule 23 the following explanation shall be inserted, namely :—

"**Explanation.**—For the purpose of this rule "Public Place" means any place or premises (including a conveyance) to which the public have, or are permitted to have, access, whether on payment or otherwise."

11. After rule 23, the following rule shall be inserted, namely :—

"23-A **Prohibition regarding employment of children below 14 years of age.**

No Government servant shall employ to work any child below the age of 14 years."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
A. V. GWALIORKAR, Dy. Secy.

भाग–3

[मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अन्तर्गत समय-समय पर जारी निर्देश]

(दिनांक 27-9-2000 तक)

भाग-3

आचरण नियमों से संबंधित जारी किये गये निर्देश

स. क्र. (1)	ज्ञाप क्रमांक एवं दिनांक (2)	विषय (3)	पृष्ठ क्रमांक (4)
1.	No. 9019-5116-I, Dated 8-7-1957	Oppertunities for Government Servants to improve their educational qualifications.	40
2.	No. 4826-1540-I, Dated 12-6-1958	Prohibition of Government Servants from biding (Either privately or by proxy) at Government auctions.	41
3.	No. 7190-9221-I/57, Dated 8-9-1958	Public demonstrations in honour of Government Servants Clarification of provions contained in Government Servant's Conduct Rules.	42
4.	क्र. 6644/748/1(3)/9, दिनांक 16-4-1969	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन (अनावरण) शिलान्यास आदि.	43
5.	No. 1680-2375/I (iii), Dated 6-8-1959	Transfers and postings of Government Servants	44
6.	No. 1933-1505-I (iii) 60, Dated 27-8-1960	The M. P. Government Servants (conduct) Rules, 1959 Rule 18 (3)—Immovable property form of return Prescription of and instructions regarding.	45
7.	No. 413-268-I (iii)/60, Dated 9-2-1961	Dealings of a Government Servant with a registered Co-operative Society.	48
8.	No. 614-1131-I (iii)/60 Dated 27-2-1961	Purchase and disposal of immovable property by Government Servants.	49
9.	No. 1482-945-I (iii)/61, Dated 6-6-1961	Plural marriages Requests of Government Servants for permission to remarry while first wife is still living.	50
10.	No. 2412/1270-I (iii) 61, Dated 22-9-1961	Permission for attending classes in educational institution and taking higher examinations.	51
11.	No. 204/49/1 (iii), Dated 25-1-1962	Immovable property Transactions relating to	52
12.	No. 1568/1044/I (iii) Dated 18-7-1962	Government Servants role in the eradication of untouchability.	53
13.	No. 1857/CR-227/I (iii), 62 Dated 22-8-1962	Immovable property Transactions relating to	55
14.	No. 2351/1734-I (iii) 62, dated 9-11-1962	Immovable property returns prescribed under the Conduct Rules Maintenance of	56

(1)	(2)	(3)	(4)
15.	No. 137/1988/I (iii) 64, Dated 15-1-1965	Recognition of Technical and Professional Qualifications.	57
16.	क्र. 1950/2521/1 (3)/ 85, दिनांक 15-9-1965	म. प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अंतर्गत मकान बनाने या उसका विस्तार करने के लिये जमीन व सामान खरीदने की सूचना विहित प्राधिकारी को देने के लिये फार्म.	59
17.	No. 279-272-I (iii) /65, Dated 5-2-1966	Transfers and postings of Government Servants	63
18.	No. 2093/3626/I (iii) /66, Dated 14-10-1966	Seeking redress in courts of law by Government Servants of grievances arising out of their employment or conditions of service.	64
19.	No. 2904/3763/I (iii)/ 66 Dated 23-12-1966	Association of Government Servants with the activities of R. S S. S./Jamaat-e-Islami.	65
20.	24930/2992/एक/3 22-11-1968	शासकीय सेवकों द्वारा जंगम और स्थावर संपत्ति खरीदी और बिक्री करने के लिये प्रक्रिया.	66
21.	6644/748/1(3)/69 16-4-1969	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि	67
22.	420/1019/1/(3) 9-6-1969	शासकीय सेवकों द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के मार्फत से जंगम संपत्ति के लेन-देन करने के संबंध में अनुदेश	68
23.	1575/1964/एक/(3) 27-9-1969	शासकीय कर्मचारियों द्वारा बिना अनुमति के मुख्य मंत्री जी से अपने सेवा से संबंधित मामलों के संबंध में मुलाकात करने के बारे में अनुदेश.	69
24.	555/220/एक/(3) 20-2-1970	शासकीय सेवकों द्वारा अभ्यावेदनों की प्रतियां ऐसे अधिकारियों को भेजना जिनका उन पर कोई प्रशासकीय नियंत्रण न हो.	70
25.	1272/प्रसको/70 12-11-1970	शासकीय सेवकों द्वारा राजनितिज्ञों द्वारा प्रभाव डालना	71
26.	460/सी. आर./396/एक/(3) 28-8-1971	विभागीय जांचों में गवाही के लिये शासकीय सेवकों की उपस्थिति.	72
27.	489/475/1/(3)/71 8-9-1971	शासकीय सेवकों द्वारा शासकीय आवास गृहों को स्थानांतर के बाद खाली न करना.	73
28.	527/567/1/(3)/71 23-9-1997	शासकीय सेवकों द्वारा छत्तीसगढ़ के कार्य कलापों में भाग लेने संबंधी.	74

(1)	(2)	(3)	(4)
29.	535/555/1/(3)/71 24-9-1971	मध्यप्रदेश वेतन आयोग को विभागों द्वारा जानकारी का तत्काल प्रदाय किया जाना.	75
30.	375/सी. आर./309/1/(3) 30-6-1972	निकट संबंधियों से प्राप्त उपहार की सूचना देना मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965	76
31.	410/462-1/1/(3)/72 13-7-1972	शासकीय सेवकों द्वारा बिना शासन की अनुमति से उच्च शिक्षा प्राप्त करने संबंधी.	77
32.	498/629/एक/(3)/72 23-8-1972	सरकारी कर्मचारियों का अखिल भारतीय मजदूर संघ के कार्य कलापों के साथ साहचर्य.	78
33.	542/सी. आर./353/एक/(3) 14-9-1972	शासकीय सेवकों द्वारा राजनीतिक संस्थाओं से संबंध न रखने बाबत्.	79
34.	830/सी. आर.423/1/(3)/72 19-9-1972	शासकीय सेवकों का विदेशी मिशनों/विदेशी सांस्कृतिक संगठनों/विदेशी नागरिकों के संपर्क रखने के संबंध में अनुदेश.	80
35.	एम-15/147/73/4/1 7-8-1973	शासकीय कार्यक्रम की निमंत्रण पत्रिकाओं पर शासकीय अधिकारियों के नाम न लिखे जाने के संबंध में.	84
36.	सी/(13)-14/73/3/1 24-8-1973	सचिवालय तथा विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में स्थापना शाखा में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में.	85
37.	अर्द्ध शा. प. क्र. 1796/मुस/73 7-12-1973	सार्वजनिक समारोह, उद्‌घाटन, शिलान्यास समारोह आदि में शासकीय कर्मचारियों द्वारा भाग लेने के संबंध में.	86
38.	174/278/एक/(3)/74 7-3-1974	शासकीय सेवकों द्वारा अपने अचल संपत्ति का विवरण भेजने के संबंध में जारी किये गये आदेश का पालन करना.	87
39.	5-1/74/3/1 15-5-1974	शासकीय सेवकों द्वारा छत्तीसगढ़ प्रांत संघ के कार्य कलापों में भाग लेने संबंधी आदेश को निरस्त करना.	88
40.	5-3/74/3/1 3-9-1974	शासकीय सेवकों द्वारा राजनीतिक विद्यार्थी संगठनों में भाग न लेने के संबंध में.	89
41.	5-3/74/3/1 30-4-1975	शासकीय सेवकों द्वारा राजनीतिक विद्यार्थी संगठनों में भाग न लेने के संबंध में.	90
42.	713/75 28-7-1975	शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दूध बेचने का धंधा करने पर रोक लगाने के बारे में.	91
43.	576/1719/1/(3)/75 25-8-1975	शासकीय सेवकों द्वारा गैर कानूनी संगठनों में भाग न लेने के संबंध में निर्देश.	92

(1)	(2)	(3)	(4)
44.	800/1267/1/(3) 5-11-1975	शासकीय सेवकों के प्रदर्शन, जुलूस, हड़ताल आदि पर प्रतिबंध.	95
45.	256/मुस/76 8-4-1976	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास बाबत्	96
46.	5-6/77/3/1 4-7-1977	शासकीय सेवकों द्वारा अपने स्थानांतर, पदस्थापना इत्यादि के लिये राजनीतिज्ञों द्वारा प्रभाव डलवाना.	97
47.	5-6/77/3/1 29-7-1979	शासकीय सेवकों द्वारा अपने स्थानांतर, पदस्थापना इत्यादि के लिये राजनीतिज्ञों द्वारा प्रभाव डलवाना.	99
48.	5-1/77/3/1 1-10-1977	अ. जा. तथा अ. ज. जा. के व्यक्तियों के साथ शासकीय सेवकों का व्यवहार.	101
49.	171/52/1/(3)/81 16-4-1981	शासकीय सेवकों के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा जमाएत-ए-इस्लामी के कार्यकलापों में भाग लेने के संबंध में.	102
50.	173/165/1/(3)/81 16-4-1981	शासकीय कर्मचारियों को "आनन्द मार्ग" के कार्यकलापों के साथ साहचर्य.	104
51.	2259/1665/1/(4)/81 23-4-1981	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि के संबंध में.	106
52.	एम-23-27/81/4/1 5-12-1981	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि के संबंध में.	107
53.	सी/5-1/83/3/एक 1-11-1983	मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 नियम 19 (4) अचल संपत्ति का विशेष विवरण (Special Return) प्रस्तुत करने के संबंध में.	108
54.	सी/3-30/84/3/1 15-11-1984	शासकीय सेवकों को शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने हेतु अनुमति प्रदान करने बाबत्.	111
55.	एम-19-95/87/1/4 23-4-1987	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि करना तथा स्वयं का प्रचार करना.	112.
56.	एम. 19-69/88/1/(4) 7-4-1988	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि करना तथा स्वयं का प्रचार कराना.	113
57.	सी/3-16/88/3/49 22-8-1988	शासकीय कर्मचारियों को बहुजन समाज पार्टी बामसेफ डी. एफ-4 के कार्यकलापों के साथ साहचर्य.	114
58.	सी/4-1/90/3/49 9-8-1990	शासकीय सेवा में नियुक्ति कर्मचारियों से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-23 के अंतर्गत वचन-पत्र लेना.	115
59.	सी/12-24/91/3/1 21-1-1992	शासकीय सेवकों, परिवार के सदस्यों, उनके रिश्तेदारों द्वारा शासकीय आवास गृहों में व्यवसाय करने पर प्रतिबंध.	117

(1)	(2)	(3)	(4)
60.	एफ. सी/5-2/92/3/1 17-2-1992	मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का अद्यतन संशोधित संस्करण निकाला जाना.	118
61.	एम. 19-58/92/1/4 30-7-1992	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्‌घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि करना तथा स्वयं का प्रचार करना.	119
62.	सी/5-5/92/3/1 20-8-1992	शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के सदस्यों द्वारा निजी व्यापार या नौकरी करने की सूचना देने के संबंध में.	120
63.	सी/5-2/93/3/1 29-4-1993	शासकीय कर्मचारियों का प्रतिबंधित संगठनों के साथ साहचर्य.	121
64.	सी-5-1/93/3/1 13-7-1993	स्वायत्त संस्थाओं में आचरण नियम लागू करने बाबत्.	122
65.	एफ 24-19/93/सी-1 20-8-1993	शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रतिबंधित संगठनों से संबंध रखने संबंधी शिकायतों की जांच एवं कार्यवाही.	123
66.	सी/5-1/94/3/1 5-1-1994	शासकीय सेवकों द्वारा अपने अचल संपत्ति का विवरण भेजने के संबंध में जारी किये गये आदेशों का पालन करना.	125
67.	सी/5-2/94/3/1 27-8-1994	"कार सेवा" में भाग लेने वाले शासकीय सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही.	126
68.	एम-19-44-95/1/4 29-5-1995	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्‌घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि करना तथा स्वयं का प्रचार करना.	127
69.	एम-19-58/92/1/4 23-5-1995	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्‌घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि करना तथा स्वयं का प्रचार करना.	128
70.	एफ. सी-5-1/2000/3/एक 19-4-2000	शासकीय व्यय पर क्रय की जाने वाली वस्तुओं/सुविधाओं पर प्रोत्साहन स्वरूप मिलने वाली मुफ्त उपहार/सुविधा शासन के खाते में जमा करने बाबत्.	129
71.	सी-5-2/2000/3/एक 30-5-2000	शासकीय सेवकों के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकलापों में भाग लेने के संबंध में.	131
72.	सी/3-26/2000/3/एक 27-9-2000	प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शासकीय सेवकों द्वारा वार्षिक अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में.	133
73.	सी/5-1/96/3/1 27-9-2000	शासकीय कर्मियों द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से गृह कार्य न करवाने बाबत्.	135

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Memorandum

No. 9019-5116-I Bhopal, the 8th July 1957

To,

All Commissioners of Divisions,
All Heads of Departments,
All Deputy Commissioners/Collectors,
Madhya Pradesh.

Subject.—Opportunities for Government Servants to improve their educational qualifications.

Government have examined the orders in force in the integrating units governing grant of permission to Government servants to attend classes and/or to appear for higher examinations, in order to improve their educational qualifications and are pleased to issue the following orders, in supersession of those in force hitherto :—

(1) Permission to attend classes and/or appear for an examination, should be granted only in so far as it is consistent with public interest. It cannot be claimed as of right.

(2) Such permission should be granted only if the following conditions are fulfilled :—

(i) the Government servant concerned shold have put in at least a year's service; (this condition does not apply in the case of typewriting and shorthand examinations).

(ii) the amount of leave granted for prepration for or for appearing at an examination will not exceed the earned leave at the credit of the Government servant;

(iii) the Head of the Office should determine how many officials belonging to his office could be permitted to attend classes and/or appear for examinations without detriment to office work; as a rule the number should not exceed 10 per cent of the staff in his office; if the number of applicants exceeds this figure, preperence should be given to those who have put in longer service and to those who have secured 1st or 2nd division in previous examinations; and

(iv) the work and conduct of the official should have been satisfactory.

These instructions will come into force with immediate effect.

By order of the Governor, Madhya Pradesh
Sign./-
(L. B. SARJE),
Deputy Secretary to Government, Madhya Pradesh,
General Administration Department.

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Memorandum

No. 4826-1540-I Bhopal, dated the 12th June 1958—Jyastha 22, 1880

To,

All Departments of Government,
All Commissioners of Divisions,
All Heads of Departments,
All Collectors.

Subject.—Prohibition of Government servants from bidding (either privately or by proxy) at Govrnment quation.

A question has been raised whether a specific posotion should be added to the Govrnment servant's (Conduct) Rules regarding participation by Government servants in auctions of property owned or confiscated by Government. The State Government consider that it is indesirable for a Government servant to bid at Government auctions as inspite of all good inentions, the suspicion, that all is not above board is bound to arise in cases where the Government servant is declared as the successful bidden. They are, therefore, pleased to direct that to Government servant serving in the State (including the members of the All India Servvices), shall bid at any aution ordered by any department of Government or other Governmental authority except with the previous permission of the authority competent to sanction or purchases of property exceeding the value prescribed under the Government Servants Conduct Rules. A Government servant, who bids at a Government auction without the various permission of the copetent authority would be regarded as indulging in conduct, becoming of a Government servant within the mearing of the Couduct Rules.

2. It is requested that these orders may be brought to the notice of all Government Servants serving under your control.

By order of the Governor, Madhya Pradesh
Sign./-
(L. B. SARJE),
Deputy Secretary to Government Madhya Pradesh,
General Administration Department.

No. 4826-1540-I Bhopal, dated the 12th June 1958—Jyastha 22, 1880

Copy forwaded to—

1. Registrar, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.
2. Secretary to Governor, Madhya Pradesh.
3. Militrary Secretary to Governor, Madhya Pradesh.
4. President, Board of Revenue, Madhya Pradesh.
5. Secretary, Public Service Commission, Madhya Pradesh.
6. Secretary, Vidhan Sabha Sachivalaya, Madhya Pradesh.
7. Registrar, Secretariat, Madhya Pradesh.
8. Establishment Officer, Secretariat, Madhya Pradesh.
9. Accounts Officer, Secretariat, Madhya Pradesh.
10. Estate Officer, Secretariat, Madhya Pradesh.

or information and guidance.

(L. B. SARJE),
Deputy Secretary.

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Memorandum

No. 7190-9221-I/57, Bhopal, dated the 8th September, 1958—17 Bhadra, 1880

To,

All Departments of Government,
All Commissioners of Divisions,
All Heads of Departments,
All Collectors.

Subject.—Public demonstrations in honour of Government Servants Clarification of provisions contained in Government Servants' Conduct Rules.

The provisions contained in the Government Service Conduct Rules, as applicable to service personnel from different integrating Units, prohibit Government Servants, except with the previous sanction of Government and with certain minor exceptins, from receiving any complimentary or valedietory address or accepting any testimonial or attending any meeting or entertainment held in their honour or in honour of any other Government servant. The question has been raiseed whether it would be in consonance with the spirit of these provisions for Government servants to accept invitations to declare buildings etc. open or to lay the foundation stones of new buildings or to allow roads, bridges, buildings, parks or public institutions, such as hospitals, schools or colleges to be named after them. The State Government consider that it would not only be against the spirit of the servant provisions contained in Government Servants Conduct Rules for Government Servants to act in the manner set forth above but would indeed be inappropriate and inconsistent with the rols of detached impartiality legitimately excepted of Government Servants and that it would generally have an unwholesome effect.

2. While it is possible that there may be occasions when Government Servants may have to participate in such functions which have a cultural and sociological significance especially in remote areas, they should, as far as possible, refrain from associating themselves with such functions. In cases where they are in doubt, they would be well advised to take the prior permission of their superior officers.

3. The State Government are further pleased to direct that the above instructions will also be applicable to the members of the All India Services working under their control.

4. It is requested that these instruction may be brought to the notice of all Government Servants serving under your control.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
Sd./-
(L. B. SARJE),
Deputy Secretary to Government, Madhya Pradesh,
General Administration Department.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
ज्ञापन

क्रमांक 6644/748/1 (3)/9, भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल, 1969

प्रति,

राज्य शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन (अनावरण) शिलान्यास आदि.

राज्य शासन ने सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 7190/9221/1/57, दिनांक 8 दिसम्बर, 1958 द्वारा यह अनुदेश प्रसारित किये थे कि शासकीय अधिकारियों को ऐसे कार्यक्रमों में उद्घाटन (अनावरण) शिलान्यास नहीं करना चाहिये जहां कि किसी भवन, मार्ग अथवा पुल आदि को उनका नाम दिया जाना प्रस्तावित हो, प्रतिलिपि संलग्न है :

2. इस विषय में पुन: विचार करने के पश्चात राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि केवल उनके नाम से संबंधित भवन, मार्ग अथवा पुल आदि के उद्घाटन (अनावरण) शिलान्यास ही नहीं अपितु शासकीय अधिकारियों को चाहिये कि वे समस्त सार्वजनिक कार्यक्रमों में उपरोक्त दर्शित प्रकार के आमंत्रणों को स्वीकार न करें तथा उद्घाटन (अनावरण) शिलान्यास आदि कार्यों को अशासकीय कार्यकर्ताओं द्वारा ही सम्पादित करावें. साथ ही साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में विशेष अतिथि अथवा अध्यक्ष बनने के आमंत्रणों को भी स्वीकार न किया जावे. परन्तु शासकीय अधिकारी कार्यक्रम सभारम्भ में सम्मिलित अवश्य हो सकते हैं.

3. राज्य शासन चाहता है कि समस्त अधिकारी उपरोक्त अनुदेशों का दृढ़ता से पालन करें अन्यथा अनुशासन की कार्यवाही की जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(अरुण कुमार बन्ड्या)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

क्रमांक 6645/748/1 (3) भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल, 1969

प्रतिलिपि :—

1. पंजीयक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश,
2. सचिव, सैनिक सचिव राज्यपाल, मध्यप्रदेश,
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
4. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय,
5. पंजीयक, स्थापना अधिकारी म. प्र. सचिवालय,

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु.

हस्ता./-
उपसचिव.

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

No. 1680-2375/I (iii), Bhopal, the 6th August, 1959—15 Sravana 1881.

To,

All Commissioners of Divisions,
All Heads of Departments,
All Collectors,
Madhya Pradesh.

Subject.—Transfers and postings of Government servants.

The instructions issued by Government reuire that a Government servant should apply for leave six weeks before the date, from which he wants to proceed on leave, so that adequate time may be available for verifying the title to leave and arranging for the relief of the Government servant, if the leave is proposed to be sanctioned. It must be a very exceptional case, in which leave has to be taken in such emergent circumstances that it is not iracticable to give this notice. Inspite of this, however, it has been noticed that the number of applications for leave after receiving orders of transfer is increasing. Obviously, in such cases the leave is applied for only to avoid the transfer or orsging. This amounts to indiscipline and Government propose to take serious notice of such action in future. When an order of transfer or posting is received by a Government servant, he should immediately comply with that order and it is only after it has been complied with that any request for leave will be considered by Government.

2. Instances have also come to the notice of Government where Government servants have approached non-official gentlemen to secure cancellation or modification of orders of posting or transfer passed by Government and authorities subordinate to Government. Such conduct is most objetionable and is liable to be treated as indiscipline. If there are special circumstances in any case, which may justify a request for the modification or cancellation of the orders of posting or transfer which have been issued, the correct procedure for the Government servant concerned is to bring them to the notice of his immediate superior officer for such action as the latter considers desirable.

3. These instructions should be brought to the notice of all Government servants serving under you and you should take effective steps to ensure their compliance with these instruction.

Sd./-
(L. B. SARJE),
Deputy Secretary to Government, Madhya Pradesh,
General Administration Department.

No. 1681-2375/I (iii), Bhopal, the 6th August, 1959—15 Sravana 1881.

Copy forwaded to—

1. All Departments of Government,
2. Secretary to he Governor, Madhya Pradesh,
3. Military Secretary to Governor, Madhya Pradesh,
4. Registrar, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur,
5. President, Board of Revenue, Madhya Pradesh,
6. Secretary, Public Service Commission, Madhya Pradesh,
7. Secretary, Vidhan Sabha Sachivalaya, Madhya Pradesh,
8. Establishment Officer/Accounts Officer/Estate Officer/Registrar M. P. Secretariat, Bhopal.

for information.

Sd./-
(L. B. SARJE),
Deputy Secretary.

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

No. 1933-1505/I (iii)/60

Bhopal, the 6th Bhdr, 1882
27th August, 1960

To,

The President, Board of Revenue,
All Departments of Government,
All Commissioners of Divisions,
All Heads of Departments,
All Collectors,
Madhya Pradesh.

Subject.—The M. P. Government Servants (Conduct) Rules, 1959-Rule 18 (3) Immovable property Form of return Presoription of and instructions regarding.

Rule 18 (3) of the Madhya Pradesh Government Servants (Conduct) Rules, 1959, requires every member of Class I, Class II and Class III services, on his first appointment in the Government service and thereafter at intervals of every twelve months, to submit a return in such form as the Government may prescribe in this behalf, of all immovable property owned, acquired or inherited by him or held by him or held by him on lease or mortgage, either in his own name or in the name of any member of his family, or in the name of any other person. In so far as Deputy Collectors are concerned, the return in question has already been prescribed *vide* General Administration Department Circular Memo No. 4356-2546-I (ii) dated the 29th July, 1960. The following insturctions are hereby issued for the guidance of all members of Class I, Class II (excluding Deputy Collectors) and Class III Services :—

(i) The State Government are pleased to prescribed the form of return of immovable property under rule 18 (3) of the Government Servants Conduct Rules, 1959 as per proforma enclosd herewith.

(ii) The return will be submitted in duplicate through proper channel to the "appointing authority."

(iii) The first return for the year ending the 31st December 1959, should be submitted by the Government servant to his immediate superior not later than the 30th September 1960, positively. All officers, through whom this return will pass, should see that it is forwarded without delay and, in any event, it should reach the "appointing authority" not later than the 31st October, 1960.

(iv) Subsequnt annual returns should be submitted by the Government servant to his immediate superior not later than 31st January of the year following the one to which it relates. All officers, throuth whom this return will pass, should see that it is forwarded without delay and, in any event, it should reach the "appointing authority" by the 28th February of the year to which it relates.

2. In order to ensure prompt submission of these returns and to avoid unnecessary correspondance in connection therewith, it is suggested that the returns may be collected by the officers concerned to whom they are required to be submitted in the first instance and transmitted onwards in a lot to the extent possible.

3. The contents of this memorandum may be brought to the notice of all members of Class I, Class II (excluding Deputy Collectors) and Class III services.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
Sd./-
(L. B. SARJE),
Deputy Secretary to Government Madhya Pradesh,
General Administration Department.

No. 1506-1505/I (iii)/60

Bhopal, the 27th August, 1960

Copy with necessary spare copies forwarded to :—

(i) the Registrar, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.
the President, Board of Revenue, M. P. Gwalior,
the Chairman, Public Service Commission, M. P. Indore,
the Secretary/Military Secretary to the Governor, M. P.
the Secretary, M P. Vidhan Sabha Secretariat,
for information/necessary action.

(ii) the Registrar, M. P. Secretariat, Bhopal,
the Establishment Officer, M. P. Secreriat, Bhopal,
the Accounts Officer, M. P. Secretariat, Bhopal,
for information and necessary action.

(iii) the Private Secretaries/Personal Assistants to the Chief Minister/Ministers/Deputy Ministers for information of the C. M./Ministers/Deputy Ministers.

Sd./-
(MAHESHWARI PRASAD),
Under Secretary to Government Madhya Pradesh,
General Administration Department.

True copy
Sd./-
(M. P. SHRIVASTAVA),
Section Officer
General Administration Department.

FORM

STATEMENT OF IMMOVABLE PROPERTY ON FIRST APPOINTMENT FOR THE YEAR ....

1. Name of Officer (in full) and service to which the Officer belongs ....

2. Present post held ....

3. Present Pay .... Date of next incremet ....

Name of district sub-division Taluk & village in which property is situated	Name and details of property		*Present value	If not in own name, state in whose name held & his/her relatinship to the Govt. Servants	Now acquired whether by purchase, lease @mortage, inheritance, gift or otherwise with date of acquisition & name with details of persons from whom acquired	Annual income from the propety
	Housing & other buildings	Lands				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Signature ....

Date ....

In applicable case to be struck out

In case where it is not possible to asses the value accurately the approximate value in relation to present conditions may be indicated.

@Includes short term lease also.

Note.—The declaration form is requised to be filled in and submitted by every member of Class I, Class II, Class III Services under rule 18 (3) of the M. P. Govet. Servant's (Conduct) Rules, 1959, on first appointment to the Service and thereafter at the interval of every twelve months, giving particulars of all immovable property owned, acquired or inherited by him or held by him on lease or mortage, either in his own name or in the name of any member of his family or in the name of any other person.

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

No. 413-268/I (iii)/61 Bhopal, dated the 20th Magh, 1882
9th Feby, 1961

To,

All Departments of Government,
All Commissioners of Divisions,
All Heads of Departments,
All Collectors.
Madhya Pradesh.

Subject.—Dealings of a Government Servant with a registered Co-operative Society.

The State Government are pleased to order that provisions of sub-rule (5) or fule 16 of the Madhya Pradesh Government Servants (Conduct) Rules, 1959, shall not apply to the dealings of a Government Servant with a Co-operative Society of the kind of (i) Credit Seociety, (ii) Co-operative Consumers' Stores, (iii) Housing Society and (iv) Co-operative Farming Society, registered under the Co-operative Society Act, 1912 (II of 1912) or any other law for the time being in force.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh
Sd./-
(L. B. SARJE),
Deputy Secretary to Government Madhya Pradesh,
General Administration Department.

No. 414-268/I (iii)/61 Bhopal, dated the 9th Feby, 1961

Copy forwarded to :—

(i) the Registrar, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.
the President, Board of Revenue, Madhya Pradesh, Gwalior,
the Secretary, Public Service Commission, Madhya Pradesh. Indore,
the Secretary/Military Secretary to the Governor, Madhya Praesh, Bhopal,
the Secretary, M P. Vidhan Sabha Sachivalaya, Bhopal,
for information/necessary action.

(ii) the Establishment Officer/Officer on Special Duty (Registrar)/Accounts Officer, M. P. Secretariat, Bh...
for information and guidence.

(iii) the Private Secretaries to the Chief Ministers and Other Ministers/Personal Assistants to the Deputy Ministers,
for information of the Chief Minister/Ministers/Deputy Ministers.

Sd./-
(MAHESHWARI PRASAD),
Under Secretary to Government.

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

No. 614-1131/I (iii)/60 Bhopal, dated the 8th Phgn. 1882
27th Feby, 1961

To,

The President, Board of Revenue,
All Departments of Government,
All Commissioners of Divisions,
All Heads of Departments,
All Collectors.
Madhya Pradesh.

Subject.—Purchase and disposal of immovable property by Government Servants.

With the promulgation of the Madhya Pradesh Government Servants (Conduct) Rules, 1959 (vide G. D. Notification No. 2338-2645-I (iii) dated the 14th November, 1959, published in Part IV of the issue dated the 27th November, 1959, of the Gazette) wherein necessary provision has been made regarding purchase/sale etc., of movable or immovable and valuable property, the instructions contained in this department's memorandum No. 360-I (3) dated the 18th January 1958, stand automatically superseded.

2. With a view to have uniformity of procedure in all departments relating to matters falling under sub-rules (1) and (2) of rule 18 of the Madhya Pradesh Government Servants (Conduct) Rules, 1959, the following instructions are hereby issued :—

(i) Intimation regarding or application for grant of sanction to the acquisition or disposal of movable or immovable property shall be made by a Government Servant to the "prescribed authority" through proper channel.

(ii) Intimation from and application of a Class.II officer will be dealt with by his head of department and those of a Class III and Class IV Government servant by the head of office any head of department or head of office considers any particular transaction to be prima fac. . . . Shcy, he may refer it to the Collector of the district concerned for opinion whether the trânsaction is fair and reasonable; differences, if any, in this behalf between a Collector on the one hand/the "prescribed authority" on the other hand will be resolved according to the usual procedure in administrative matters. It may be noted that the orders on these applications shall be passed by the "perscribed authority" and not by the Collector.

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

No. 1482-945/I (iii)/61 Bhopal, dated the 16th Jyst. 1883
6th June, 1961

To,

All Departments of Government.

Subject.—Plural marriages-Requests of Government servants for permission to remarry while first wife is still living.

According to Rule 21 of the Madhya Pradesh Government Servants (Conduct) Rules, 1959, no Government servant who has a wife living shall contract another marriage without first obtaining the permission of the Government, notwithstanding that such subsequent marriage is permissible under the personal law for the time being applicable to him. Such permission can be granted by the administrative departments concerned of Government. Before, however, such permission is granted, the adiministrative department concerned should cause an enquiry to be made on the following lines.

2. The first point to be scrutinised when an application for permission is received is whether such marriage is permissilbe under the personal law applicable to the applicant. If so, the question arises whether there are sufficient grounds for allowing an exception to Government's general policy. The alleged grounds given in support of the request should be scrutinised to see whether the allegations are true and well founded. In case the wife also joins the application, it should be asertained whether she has willingly consented and whether any letter etc. purporting to proceed from her is genuine and is the outcome of her own free will. For this purpose, higher officers in the department concerned may, if necessary, send for the applicant and his wife and make personal enquiries. Where the first wife's views have not been stated, they should, if possible, be ascertained. If permission is sought on grounds of alleged sickness of the wife, as much information as possible should be otbained in consultation with the medical authorities. The arrnagements made by the husband for the maintenance of the first wife should also be ascertained and it should also be examind whether they are satisfactory.

3. The procedure suggested above should be brought to the notice of all subordinate authorities who may have occasion to deal with such cases.

Sd./-
(L. B. SARJE),
Deputy Secretary to Government Madhya Pradesh,
General Administration Department.

No. 1483-945/I (iii)/61 Bhopal, dated the 6th June, 1961

Copy forwarded for information/necessary action to:—

(i) all Commissioner of Divisions,
all Heads of Departments,
all Collectors.

(ii) the Registrar, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.
the President, Board of Revenue, Madhya Pradesh, Gwalior,
the Secretary, Public Service Commission, Madhya Pradesh. Indore.

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

No. 2412-1270-I (iii)/61 Bhopal, dated the 22nd September 1961—Bhadra 31, 1883

To,

All Departments of Government,
All Commissioners of Divisions,
All Heads of Departments,
All Collectors.
Madhya Pradesh.

Subject.—Permission for attending classes in educational institution and taking higher examinitions.

The following subsidiary insturctions are issued under rule 15 of the Madhya Pradesh Government Servants (Conduct) Rules, 1959 :—

Attending classes or taking higher examinations

Government servants are forbidden to attend any classes or to appear at higher examinations without the previous sanction of the head of the office or department in which they are working.

2. Instructions regarding grant of permission to Government servants to attend classes and/or to appear for higher examinations have been issued under this department's memo No. 9019-5116-I, dated the 8th Jyly 1957 (copy enclosed for ready reference).

By order and in the name of the
Governor, Madhya Pradesh
Sd./-
(L. B. SARJE),
Deputy Secretary to Government Madhya Pradesh,
General Administration Department.

No. 2412-1270-I (iii)/61 Bhopal, dated the 22nd September 1961—Bhadra 31, 1883

Copy forwarded to :—

(i) the Registrar, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.
the President, Board of Revenue, Madhya Pradesh, Gwalior,
the Chairman, Public Service Commission, Madhya Pradesh. Indore,

(ii) the Secretary/Military Secretary to the Governor, Madhya Praesh,
the Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sachivalaya,

(iv) the Registerar, Madhya Pradesh Secretariat, Bhopal,
the Establishment Officer, Madhya Pradesh Secretariat, Bhopal,
the Accounts Officer, Madhya Pradesh Secretariat, Bhopal,

(iii) the Personal Assistants to Chief Minister/Ministers/Deputy Ministers,
for information.

Sd./-
(MAHESHWARI PRASAD),
Under Secretary

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Memorandum

No. 204/49/I (iii) Bhopal, the 25th January, 1962,—20 Magh, 1883

To,

All Departments of Government,
The President, Board of Revenue,
All Commissioners of Divisions,
All Heads of Departments, and
All Collectors,
Madhya Pradesh.

Subject.—Immovable Property Transctions relating to -

Under rule 15 (1) of the All India Services (Conduct) Rules, 1954, no member of the service can, except with the previous knowledge of the Government, acquire or dispose of any immovable property by lease, morgage, purhase, sale, gift or otherwise either in his own name or in the name of any member of his family provided that any such transaction conducted otherwise than thorugh a regular or reputed dealer shall require the previous sanction of the Government.

2. A doubt was raised whether or not the expression 'regular and reputed dealer' covered Co-operative House Building Societies. It has been decieded that normally a Co-operative Society can be termed as 'regular and reputed dealer' for the purpose of rule 15 (1) of the rules ibid and hence the requirements of that rule will be met if transactions in movable property conducted through such societies are merely reported to the Government.

By order and in the name of the
Governor, Madhya Pradesh
Sd./-
(Maheshwari Prasad),
Under Secretary to Government Madhya Pradesh,
General Administration Department.

No. 205/49/I (iii) Bhopal, dated the 25th January 1962,—20 Magh, 1883

Copy forwarded to :—

(i) The Registrar, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur,
The Chairman, Public Service Commission, Madhya Pradesh. Indore,

(ii) The Secretary/Military Secretary to the Governor, Madhya Praesh,
The Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sachivalaya.

(iii) The Registrar, Madhya Pradesh Secretariat, Bhopal,
The Establishment Officer Madhya Pradesh. Secretariat, Bhopal.,
The Accounts Officer, Madhya Pradesh. Secretariat, Bhopal.

(iv) The Personal Assistants to Chief Minister/Ministers/Deputy Ministers,
for information.

Sd./-
(MAHESHWARI PRASAD),
Under Secretary to Government, Madhya Pradesh.

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Memorandum

No. 1568/1044/I (iii), Bhopal, the 18th July, 1962 27 Asar. 84

To,

All Departments of Government,
The President, Board of Revenue,
All Commissioners of Divisions,
All Heads of Departments, and
All Collectors,
Madhya Pradesh.

Subject.—Government Servant's role in the eradication of untouchability.

The State Government have accepted the following recommendations made by the Central Advisory Board for Harijan Welfare in its meating held on the 27th April, 1961 :—

(a) That severe notice shall be taken of the practice of untouchability in Government Offices and by Government Servants; and

(b) That the police and the magistracy have a special obligation to enforce the provisions of the Untouchability (Offences) Act, 1955 and it is the duty of all Government servants to help them in the enforcement of the Act and in creating the necessary climate to remove untouchability from the mind of the orthodox section of the community.

2. It is specifically brought to the notice of all the Government Servants that Art. 17 (Part III - Fundamental Rights) of the Constitution declares that "Untouchability" is abolished and forbids its practice in any form. The practice of untouchability has also been made an offence by the Untouchability (Offences) Act, 1955. If any Government servant is found Guilty of the practice of untouchability in any form, he will be liable to prosecution and such conduct on his part will constitute sufficient ground for imposing suitable penalty presribed under the relevant Classification, Control and Appeal Rules. The State Government further expects its employees not only to observe strictly the law in force but also to set an axample to others in the matter of complete elimination of the practice of untouchability in any form.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,
Sd./-
(R. S. S. RAO),
Deputy Secretary to Government, Madhya Pradesh,
General Administration Department.

No. 1569/1044/I (iii), Bhopal, the 18th July, 1962 27 Asar. 84

Copy forwarded to :—

(i) the Establishment Officer/Registrar/rAccounts Officer, Madhya Pradesh. Secretariat, Bhopal.

for information and guidance.

(ii) the Registrar, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.
the Secretary, Public Service Commission, Madhya Pradesh, Indore.
the Secretary/Military Secretary to the Governor, Madhya Pradesh,
the Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sachivalaya,

for information.

(iii) the Private Secretaries to the Chief Minister/Ministers/Personal Assistants to the Deputy Ministers, for information of the Ministers and Deputy Ministers.

Sd./-
(DEVENDRA KUMAR),
Under Secretary to Government, Madhya Pradesh

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Memorandum

No. 1857/CR-227/I (iii)/62 Bhopal, 22nd August, 1962 the 31st Srvn. 1884

To,

All Departments of Government,
The President, Board of Revenue,
All Commissioners of Divisions,
All Heads of Departments and
All Collectors,
Madhya Pradesh.

Subject.—Immovable property - Transactions relating to.

It has already been decided that, for purposes of rule 15 (1) of the All India Services (Conduct) Rules, 1954, a Co-operative Society can normally be considered a 'regular and reputed dealer', and hence the requirements of that rule will be met fi transactions in immovable property conducted through such societies are merely intimated to Government (**vide** G. A. D. Memorandum Nos. 204/49/I (iii) dated 25-1-1962 and 408-299-1 (iii) dated 15-2-1962).

2. The State Government are now pleased to decide that, for purposes of rule 18 (1) of the Madhya Pradesh Government Servants (Conduct) Rules, 1959, which is identical to rule 15 (1) of the All India Services (Conduct) Rules, 1954, a Co-operative Society can normally be considered a 'regular and reputed dealer' and hence the requirements of this rule will be met if transactions relating to immovable property conducted through such societies are merely reported to Government.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,
Sd./-
(R. S. S. RAO),
Deputy Secretary to Government Madhya Pradesh,
General Administration Department.

No. 1858/CR-227/I (iii)/62 Bhopal, the 22nd August, 1962

Copy forwarded to :—

(i) the Registrar, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.
the Secretary, Public Service Commission, Madhya Pradesh, Indore,

(ii) the Secretary/Military Secretary to the Governor, Madhya Pradesh,
the Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sachivalaya,

(iii) the Registrar/the Establishment Officer/the Accounts Officer, Madhya Pradesh Secretariat, Bhopal.

Sd./-
(DEVENDRA KUMAR),
Under Secretary to Government Madhya Pradesh

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Memorandum

No. 2351/1734/I (iii)/62

Bhopal, dated the 18th Krtk. 1884
9th November, 1962

To,

All Departments of Government,
The President, Board of Revenue,
All Commissioners of Divisions,
All Heads of Departments and
All Collectors,
Madhya Pradesh.

Subject.—Immovable property returns prescribed under the Conduct Rules - Maintenance of -.

Reference.—G. A. D. Memorandum No. 1933-15-05-I (iii)/60 dated 27-8-1960.

If the above memo, Government have prescribed the form of the return of immovable property which has to be submitted by a Government servant belonging to Class I, Class II or Class III service under ruel 18 (3) of the Madhya Pradesh Government Servnats (Conduct) Ruels, 1959. A question was raised as to how the immovable property returns furnished by a Government servant should be kept. Government have decided as follows :—

(a) The return should be kept in a separate folder to be maintained for each Government servant.

(b) A check should be exercised every year to see that the Government servant concerned submits his return.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh
Sd./-
(DEVENDRA KUMAR),
Under Secretary to Government Madhya Pradesh,
General Administration Department.

No. 2352/1734/I (iii)/62

Bhopal, dated the 9th November, 1962

Copy forwarded to :—

(i) the Registrar, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.
the Secretary, Public Service Commission, Madhya Pradesh, Indore.

(ii) the Secretary/Military Secretary to the Governor, Madhya Pradesh,
the Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sachivalaya.

(iii) the Registrar/Establishment Officer/the Accounts Officer, Madhya Pradesh. Secretariat, Bhopal.

Sd./-
(DEVENDRA KUMAR),
Under Secretary to Government Madhya Pradesh.

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Memorandum

No. 137/19887/I (iii)/64

Bhopal, the 25th Paus. 1886
15th January, 1965

To,

All Departments of Government,
The President, Board of Revenue,
All Commissioners of Divisions,
All Heads of Departments and
All Collectors,
Madhya Pradesh.

Subject.—Recognition of Technical and Professional Qualifications.

The State Government have decided to recognise **provisionally** a pass in the final examination for the undermentioned diplomas held by the State Board of Technical Education and Training, Andhra Pradesh, in respect of the students trained at the following institutions for purposes of recruitment to subordinate posts and services under the State Government in the appropriate fields :—

	Designation of the Award		Institutions
1.	Diploma of Licentiate in Civil Engineering.	(i)	Govt. Polytechnic, Anantpur
		(ii)	Govt. Polytechnic, Proddatur
		(iii)	Govt. Polytechnic,, Nizamabad
		(iv)	Shri Krishnadevaraya Polytechnic Wanaparthy
		(v)	Govt. Polytechnic, Nellora
		(vi)	E. S. C. Govt. Polytechni c, Nandyal
		(vii)	Govt. Polytechnic, Guntur
		(viii)	Govt. Polytechnic, Srikakulam
		(ix)	Govt. Polytechnic, Vijawada
		(x)	Girls Polytechnic, Hyderabad
		(xi)	Govt. Girls Polytechnic, Kakinada.
2.	Diploma of Licentiate in Mechanical Engineering.	(i)	Govt. Polytechnic, Amantapur
		(ii)	Govt. Polytechnic, Proddatur
		(iii)	Govt. Polytechnic, Nizamabad
		(iv)	Shri Krishnadevaraya Polytechnic, Wanaparthy
3.	Diploma of Licentiate in Electrical Engineering	(vi)	E.S. C. Govt. Polytechnic, Nandyal
		(vii)	Govt. Polytechnic, Guntur
		(viii)	Govt. Polytechnic, Srikakulam
		(ix)	Govt. Polytechnic, Vijawada.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh
Sd./-
(A. S. SIDDIQUI),
Deputy Secretary to Government Madhya Pradesh,
General Administration Department.

No. 138/19887/I (iii)/64

Bhopal, the 15th January, 1965

Copy forwarded to :—

(i) the Registrar, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.
the Secretary, Public Service Commission, Madhya Pradesh. Indore,
the Vigilance Commissioner, M. P., Bhopal.

(ii) the Secretary/Military Secretary to the Governor, Madhya Pradesh,
the Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sachivalaya, Bhopal

(iii) the Establishment Officer/rAccounts Officer/Registrar Madhya Pradesh. Secretariat, Bhopal.

(iv) the PSS to Chief Minister/Ministers/Ministers of State,
for information.

Sd./-
(A. S. SIDDIQUI),
Deputy Secretary to Government Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
ज्ञापन

क्रमांक 1950/2521/1 (3)/85

भोपाल, दिनांक 24 भाद्र, 1887
15 सितम्बर, 1965

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल,
संभागीय आयुक्त,
सब विभागाध्यक्ष,
सब कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—म. प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अंतर्गत मकान बनाने या उसका विस्तार करने के लिए जमीन व सामान खरीदने की सूचना विहित प्राधिकारी को देने के लिए फार्म.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 18 (2) के उपबन्धों के अनुसार कोई शासकीय सेवक, विहित प्राधिकारी की पूर्व जानकारी के बिना न तो स्वयं अपने नाम से और न अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से पट्टे, बन्धक, क्रय, विक्रय, दान द्वारा या अन्यथा कोई भी स्थावर संपत्ति न तो अर्जित कर सकता है और न उसे हस्तांतरित ही कर सकता है. इसी प्रकार नियम 18 (3) के अनुसार प्रत्येक शासकीय सेवक के लिए यह आवश्यक है कि वह ऐसी जंगम संपत्ति से, जो उसके स्वामित्व की हो या जो उसके स्वयं के नाम से या कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से उसके द्वारा धारित हो, संबंधित प्रत्येक लेन-देन की रिपोर्ट विहित प्राधिकारी को करे, यदि ऐसी संपत्ति का मूल्य प्रथम या द्वितीय श्रेणी का कोई पद धारण करने वाले शासकीय सेवक के मामले में 1000.00 रुपये से अधिक तथा तृतीय या चतुर्थ श्रेणी का कोई पद धारण करने वाले शासकीय सेवक के मामले में 500.00 रुपये से अधिक हो. नियमों में ऐसी भी व्यवस्था है कि प्रत्येक स्थावर या जंगम संपत्ति के ऐसे लेन-देन के संबंध में जो —

(1) किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जिसका कि शासकीय सेवक के साथ पदीय संव्यवहार हो, या

(2) किसी नियमित या ख्यात व्यापारी की मार्फत न होकर अन्यथा हो, विहित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करली जानी चाहिए.

2. किसी शासकीय सेवक द्वारा मकान का बनाना या विस्तार करना स्थावर संपत्ति अर्जित करने के समान है, जिसके लिए नियम 18 के अधीन विहित प्राधिकारी को जानकारी देना या उसकी पूर्व स्वीकृति लेना भी लेखी भी सूरत हो आवश्यक है. एक प्रश्न यह उठाया गया है कि मकान बनाने या विस्तौर करने के लिए जिस जंगम संपत्ति की आवश्यकता पड़ती है और उसका मूल्य प्रथम या द्वितीय श्रेणी का कोई पद धारण करने वाले शासकीय सेवक के मामले में 1000.00 रुपये से अधिक हो या तृतीय या चतुर्थ श्रेणी का कोई पद धारण करने वाले शासकीय सेवक के मामले में 500.00 रुपये से अधिक हो, तो क्या ऐसे मामले भी इन नियमों के अधीन आते हैं जिनके अनुसार ऐसे लेन-देन की सूचना विहित प्राधिकारी को तुरन्त ही देना आवश्यक है. निश्चित ही मकान बनाने या उसका विस्तार करने के लिए सामान खरीदने की यथासमय सूचना देने का काम बड़ा कठिन तथा असुविधाजनक होगा. साथ ही यदि इस कारण कि मकान बनाने या उसका विस्तार करने की अनुमति पहले दे दी गई थी, इस प्रकार की सामान खरीदी पर रोक न लगाई गई, तो इस नियम के उद्देश्य ही विफल हो जायेंगे. अत: शासन ने यह निर्णय किया है कि जब भी कोई शासकीय सेवक मकान बनाना या उसका विस्तार करना चाहे तो उसे निम्नलिखित कार्यप्रणाली का अनुसरण करना चाहिए.

3. मकान बनाने को या उसमें विस्तार करने का काम शुरू करने के पहले प्रत्येक शासकीय सेवक फार्म 1 (संलग्न) के अनुसार इसकी जैसी भी स्थिति हो सुचना दे या स्वीकृति प्राप्त करे. जब निर्माण कार्य पूरा हो जाय तब विहित प्राधिकारी को फार्म 2 (संलग्न)के अनुसार ऐसी

सूचना दे. उसे और बातों के साथ-साथ फार्म-1 में यह भी बताना चाहिए कि क्या निर्माण कार्य किसी ठेकेदार द्वारा कराया जावेगा. यदि निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा होता है तो यह भी बताना चाहिए कि संबंधित ठेकेदार से उनके कोई पदीय संव्यवहार रहे हैं या है.

4. जहां संभव हो प्रोफार्मों में बताई गई तकसील दी जाना चाहिये. जहां ऐसा तकसील देना संभव न हो संबंधित व्यक्ति को यह बताना चाहिये कि कितने लेन देन में इमारत बनना है व उसकी अनुमानित लागत क्या होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(अ. श. सिद्दकी)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रसासन विभाग.

क्रमांक1951-2521-1-3-65 भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर, 1965

प्रतिलिपि :—

निबंधक, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर,
सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र. इन्दौर,
आयुक्त, सतर्कता आयोग, भोपाल.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव,
सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय.

स्थापना अधिकारी/पंजीयक/लेखा अधिकारी, म. प्र. सचिवालय को सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(सु. चतुर्वेदी)
सहायक सचिव
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रसासन विभाग.

फार्म-1

(मकान बनाने व उनमें विस्तार करने की सूचना देने का विहित प्राधिकारी से मंजूरी प्राप्त करने का फार्म)

महोदय,

मैं आपको यह सूचित करता हूं कि मैं मकान बनाना या उसमें ....

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे मकान बनाने या उसमें विस्तार करना चाहता हूं.

.... जमीन की अनुमानित विस्तार करन की मंजूरी देने का कष्ट करें.

कीमत व मकान बनाने या उसके विस्तार के लिये सामान की अनुमानित लागत नीचे दी हुई है :—

जमीन—

(1) स्थिति : सर्वे नम्बर, गांव, जिला, प्रांत
(2) क्षेत्रफल
(3) कीमत

निर्माण के लिये सामान—

(1) ईंट (दर/तादाद/कीमत)

(2) सीमेंट (दर/तादाद/कीमत)

(3) लोहा व इस्पात (दर/तादाद/कीमत)

(4) लकड़ी (दर/तादाद/कीमत)

(5) सेनीटरी फिटिंग (कीमत)

(6) बिजली फिटिंग (कीमत)

(7) और कोई विशेष फिटिंग (कीमत)

(8) मजदूरी

(9) दूसरी कोई लागत, यदि हो तो.

जमीन तथा इमारत की कुल लागत

भवदीय

फार्म-2

(विहित प्राधिकारी को मकान के निर्माण या उसके विस्तार का काम पूरा होने पर सूचना देने का फार्म)

महोदय,

मैं अपने पत्र क्रमांक .... दिनांक ....

मुझे आदेश क्रमांक .... दिनांक ....

के द्वारा सूचित किया था कि मैं मकान बनाना या उसका विस्तार द्वारा मकान बनाने/विस्तार करने की मंजूरी दी गई थी.

करना चाहता हूं. मकान का निर्माण या उसके विस्तार का काम अब पूरा हो चुका है. : / मैं .... द्वारा प्रमाणित मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न भेज रहा हूं.

:/सिविल इंजीनियर की फर्म का ख्याति प्राप्त सिविल इंजीनियर

दिनांक ....

भवदीय,
हस्ताक्षर/

मूल्यांकन रिपोर्ट

:यहां पर शासकीय सेवक का नान दिया जाना चाहिए (000) यहां पर मकान या उसके विस्तार की तफसील दी जावे.

मैं/हम यह प्रमाणित करते हैं कि मैंने/हमने श्री/श्रीमती ...... द्वारा मकान निर्मित या उसके विस्तार 000 का मूल्यांकन किया है/और मैं /हमने मकान का या उसके विस्तार का जो मूल्य निर्धारित किया है उसका अनुमानित लागत निम्नलिखित शीर्षकों में नीचे दी गई है :—

शीर्षक	कीमत	
	रु.	पै.
(1) ईंट		
(2) सीमेंट		
(3) लोहा व इस्पात		
(4) लकड़ी		
(5) सेनीटरी फिटिंग		
(6) बिजली फिटिंग		
(7) और दूसरे विशेष फिटिंग		
(8) मजदूरी		
(9) अन्य कोई व्यय		

मकान या उसके विस्तार का कुल लागत ....

दिनांक ....

(मूल्यांकन प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Memorandum

No. 279/272/I (iii)/65 Bhopal, dated the 16th Magh, 1887
5th February, 1966

To,

All Commissioners of Divisions,
All Heads of Departments,
All Collectors,
Madhya Pradesh.

Subject.—Transfers and postings of Government servants.

Government have noticed a tendency among Government servants to approach Ministers, M. Ps, M. L. As. and other influential and prominent public agencies/personalities to obtain support for cancellation or modification of orders of posting or transfer or for remaining in a particular region of the State.

2. The canvassing of non-official or other outside influence is prohibited under Rule 20 of the M. P. Civil Services (Conduct) Rule, 1965 which reads as follows :—

" No. Government Servant shall bring or attempt to bring any political or other influence to bear upon any superior authority to further his interests in respect of matters pertaining to his service under the Government."

The instructions contained in para 2 of this department's memo No. 1680-2375-I (iii) dated the 6th August 1959 are relevant in this connection.

3. All Government servants should be cautioned that in future resort to such practices will be taken serious notice of and proceedings under the Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules 1965 may have to be started or a suitable note of such default made in the confidential personl file/character roll of the Government servant concerned. These instructions may please be brought to the notice of all Government servants serving under your control.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,
Sd./-
(M. L. CHOPRA),
Deputy Secretary to Government Madhya Pradesh,
General Administration Department.

No. 280/272/I (iii)/65 Bhopal, dated the 5th February, 1966

Copy forwarded to :—

1. All Departments of Government,
2. Secretary to the Governor, Madhya Pradesh,
3. Military Secretary to the Governor, Madhya Praesh,
4. Registrar, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur,
5. President, Board of Revenue, Madhya Pradesh, Gwalior,
6. Secretary, M. P. Public Service Commission, Indore,
7. Secretary, Vidhan Sabha Sachivalaya,
8. Establishment Officer/Accounts Officer/Registrar Madhya Pradesh Secretariat.

for information.

Sd./-
Deputy Secretary.

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Memorandum

No. 2093/3626/I (iii)/66 Bhopal, dated the 14th October, 1966,—22 Asvn, 88

To,

All Departments of Government,
All Heads of Departments,
All Commissioners of Divisions,
All Collectors,
Madhya Pradesh.

Subject.—Seeking redress in courts of law by Government servants of griavances arising out of their employment or conditions of service.

Attention is invited to this department's confidential memo No. 1141-1463-I-(iii), dated 28th May, 1959 on the above subject in which it is, *inter-alia,* stated that when a Government servant wants to sue the Government in a court of law for redress of grievances arising out of service matters, he may be informed that such permission is not necessary and that if he decides to sue the Government, he may do so on his own responsibility. On reconsideration, it has been decided that, in such cases, it would be enough if the Government servant is informed that permission to sue the Government is not necessary and it should not be added that if he decides to have recourse to a court of law, he may do so his own responsibility.

2. This department's memo dated 28th May 1959, referred to above, need not be treated as 'Confidential'.

Sd./-
(M. L. CHOPRA),
Deputy Secretary to Government Madhya Pradesh,
General Administration Department.

No. 2094/3626/I (iii)/66 Bhopal, dated the 14th October, 1966,

Copy forwarded to :—

(i) the Registrar, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.
the Secretary, Public Service Commission, Madhya Pradesh. Indore,
the Secretary, Vigilance Commission, Madhya Pradesh, Bhopal,

(ii) the Secretary/Military Secretary to the Governor, Madhya Praesh, Bhopal,
the Secretary, Vidhan Sabha Sachivalaya, Bhopal,

(iii) the Establishment Officer/Accounts Officer/Registrar Madhya Pradesh Secretariat, Bhopal,

---

(iv) the P. S. to Chief Ministers/Ministes/Ministers of States,
for information.

Sd./-
(V. R. SADASIVAN),
Asstt. Secretary to Government,
Madhya Pradesh.

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Memorandum

No. 2904/3763/I (iii)/66 Bhopal, dated the 23rd December, 1966,—2 Pause, 88

To,

All Departments of Government,
The President, Board of Revenue,
All Commissioners of Divisions,
All Heads of Departments,
All Collectors,
Madhya Pradesh.

Subject.—Association of Government servants with the activities of R. S. S. S./Jamaat-e-Islami.

Attention is invited to provisions of rule 5 (1) of Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965 under which no Government servant shall be a member of or be otherwise associated with, any political party or any organisation which takes part in political nor shall he take part in, subscribe in aid of, or assist any other manner, any political movement or activty.

2. As certain doubts have been raised about Government's policy with respect to the membership of and participation in the activities of Rashtriya Swayam Sewak Sangh and the Jammat-e-Islami by Govenment servants, it is clarified that Government hold the activities of these two organisations to be of such nature that participation in them by Government servants would attract the provisions of rule 5 (1) of the Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965. Any Government servant, who is a member of or is otherwise associated with the aforesaid organisations or with their activities is liable to disciplinary action.

3. The State Government desire that the above position be brought to the notice of Government employees working under your administrative control.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,
Sd./-
(M. L. CHOPRA),
Deputy Secretary to Government Madhya Pradesh,
General Administration Department.

No. 2904/3763/I (iii)/66 Bhopal, dated the 23rd December, 1966

Copy forwarded to :—

(i) the Registrar, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.
the Secretary, Public Service Commission, Madhya Pradesh. Indore,
the Secretary, Vigilance Commission, Madhya Pradesh, Bhopal,

(ii) the Secretary/Military Secretary to the Governor, Madhya Praesh, Bhopal,

the Secretary, M P. Vidhan Sabha Sachivalaya, Bhopal,

(iii) the Establishment Officer/Accounts Officer/Registrar Madhya Pradesh Secretariat, Bhopal,

---

(iv) the P. S. to the Chief Minister/Ministers/Ministers of State,
for information.

Sd./-
(V. R. SADASIVAN),
Asstt. Secretary to Government.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
ज्ञापन

क्रमांक 24930/2992/एक (3) भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर, 1968

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र.,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर.

विषय.—शासकीय सेवकों द्वारा जंगम और स्थावर संपत्ति खरीदी और बिक्री करने के लिये प्रक्रिया.

सन्दर्भ.—इस विभाग का ज्ञापन क्र. 615-1131-एक (3), दिनांक 27-2-1961.

यह प्रश्न उठाया गया है कि संदर्भित ज्ञापन में शासकीय सेवकों द्वारा जंगम तथा स्थावर संपत्ति के लेन देने के संबंध में मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (1) और 18 (2) के अधीन शासन द्वारा प्रक्रिया निहित की गई है वह मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 18 (1) और 18 (2) के अधीन दी गई समझी जावेगी या नहीं, इस संबंध में स्थिति यह है कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 25 में यह स्वच्छ प्रावधान है कि इन नियमों के अनुरूप कोई भी नियम, जो कि इन नियमों के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत हो वे नियम निरस्त किये जाते हैं और उसके परन्तुक में यह निर्विवाद स्वरूप में निर्धारित किया गया है कि ऐसे निरस्ति नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानीय उपबन्धों के अधीन दिया गया या की गई समझी जावेगी. अत: यह स्पष्ट है कि इस विभाग के ज्ञापन क्र. 614-1131-एक (3), दिनांक 27 फरवरी 1961 में निहित आदेश सन् 1959 के नियमों के नियम 18 (1) व (2) के अंतर्गत दिया गया आदेश है और वह उपरोक्त "परन्तुक" के उपयोग में पाये गये शब्द "कोई भी आदेश के अंतर्गत आता है और इसीलिए 1965 के आचरण नियमों के तद्विषयक नियम 18 के अंतर्गत दिये गये व प्रचलित आदेश माने जावेंगे.

हस्ता./-
(के. सी. सी. राजा)
अपर सचिव

क्रमांक 24931/2992/एक (3) भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर, 1968

प्रतिलिपि :—

निबंधक, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर,
सचिव, सतर्कता आयोग, म. प्र.,
सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र. इन्दौर,
सचिव, विधान सभा सचिवालय,
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के सचिव,

स्थापना अधिकारी/पंजीयक, मध्यप्रदेश सचिवालय को सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(नागेन्द्र मोहन व्यास)
अवर सचिव.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 6644/748/1(3)/69 भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल, 1969

प्रति,

राज्य शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र.,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि.

राज्य शासन ने सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 7190/9221/1/57, दिनांक 8 सितम्बर, 1958, द्वारा यह अनुदेश प्रसारित किये थे कि शासकीय अधिकारियों को ऐसे कार्यक्रमों में उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास नही करना चाहिये जहां कि किसी भवन, मार्ग अथवा पुल आदि को उनका नाम दिया जाना प्रस्तावित हो.

2. इस विषय में पुन: विचार करने के पश्चात् राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि केवल उनके नाम से संबंधित भवन, मार्ग अथवा पुल आदि के उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास ही नही अपितु शासकीय अधिकारियों को चाहिये कि वे समस्त सार्वजनिक कार्यक्रमों में उपरोक्त दर्शित प्रकार के आमंत्रणों को स्वीकार न करें तथा उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि कार्यों को अशासकीय कार्यकर्ताओं द्वारा ही सम्पादित करावें. साथ ही साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में विशेष अतिथि अथवा अध्यक्ष बनने के आमंत्रणों को भी स्वीकार न किया जावे. परन्तु शासकीय अधिकारी कार्यक्रम समारम्भ में सम्मिलित अवश्य हो सकते हैं.

3. राज्य शासन चाहता है कि समस्त अधिकारी उपरोक्त अनुदेशों का दृढ़ता से पालन करें, अन्यथा अनुशासन की कार्यवाही की जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
हस्ता./-
(अरुण कुमार पंड्या)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

क्रमांक 6644/748/1(3)/69 भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल, 1969

प्रतिलिपि :—

1. पंजीयक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश,
2. सचिव/सैनिक सचिव राज्यपाल, मध्यप्रदेश,
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
4. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय,
5. पंजीयक/स्थापना अधिकारी म. प्र. सचिवालय,

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
ज्ञापन

क्रमांक 420/1019/1 (3) भोपाल, दिनांक 9 जून, 1969

प्रति,

शासन के सर्व विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र.,
सर्व संभागीय आयुक्त,
सर्व विभागाध्यक्ष,
सर्व कलेक्टर.

विषय.—शासकीय सेवकों द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के मार्फत से जंगम संपत्ति के लेन देन करने के संबंध में अनुदेश.

शासन के समक्ष कुछ प्रकरण इस प्रकार के आये हैं जिसमें राज्य शासन के अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के मार्फत जंगम (moveable) संपत्ति का लेन देन किया गया है. इस संबंध में यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी को नियमित या ख्याती प्राप्त व्यापारी नहीं माना जा सकता. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19 (3) के अनुसार यदि कोई शासकीय सेवक जंगम संपत्ति का लेन देन किसी ऐसे व्यक्ति से करता है जिसका कि शासकीय सेवक के साथ पदीय (official) संव्यवहार हो या वह नियमित या ख्याती प्राप्त व्यापारी न हो, तो उसे विहित अधिकारी की पूर्व मंजूरी लेना आवश्यक है, यदि ऐसी संपत्ति का मूल्य प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारी के मामले में 1000 रु. से अधिक हों और तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मामले में 500 रु. से अधिक हो.

2. वैसे भी किसी अधिकारी के लिये अपने अधीनस्थ कर्मचारी अथवा अधिकारी के मार्फत किसी जंगम संपत्ति का लेन देन करना अच्छी बात नहीं है, चाहे उसका मूल्य कितना भी हो, क्योंकि इस प्रकार के लेन देन करने से शासकीय अधिकारी जनता की आलोचना का शिकार होता है कि उसने अपने शासकीय पद का दुरुपयोग किया है. अतः शासन यह अनुदेश देता है कि कोई भी शासकीय सेवक अपने अधीनस्थ कार्य करने वाले शासकीय सेवक के मार्फत किसी जंगम संपत्ति का लेन देन न करे. यदि किसी समय इस प्रकार का लेन देने करना जरूरी हो, तो उसे उक्त नियम की व्याख्या क्रमांक (दो) में उल्लिखित विहित प्राधिकारी से पूर्व स्वीकृति से लेनी चाहिये.

3. आप अपने अधीनस्थ सभी शासकीय सेवकों को इस अनुदेश का दृढ़तापूर्वक पालन करने के लिये निदेश जारी करें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
हस्ता./-
(म. श. सिंहदेव)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

क्रमांक 421/1019/1 (3) भोपाल, दिनांक 9 जून, 1969

प्रतिलिपि :—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर,
   सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र. इन्दौर,
   सचिव, सतर्कता आयोग, भोपाल
2. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के सचिव,
   सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय,
3. स्थापना अधिकारी, (पंजीयक) लेखाधिकारी, म. प्र. सचिवालय,
4. विशेष आयुक्त, म. प्र. 2 कौटिल्य लेन, न्यू दिल्ली को सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(नागेन्द्र मोहन व्यास)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
ज्ञापन

क्रमांक 1575/1964/एक (3) भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर, 1969

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय कर्मचारियों द्वारा बिना अनुमति के मुख्य मंत्री जी से अपने सेवा से संबंधित मामलों के संबंध में मुलाकात करने के बारे में अनुदेश.

यह देखा गया है कि प्राय: प्रतिदिन सभी श्रेणी के सरकारी कर्मचारी अपनी पदोन्नति, विभागीय जांच अथवा स्थानान्तर इत्यादि संबंधी प्रार्थना करने के लिये मुख्य मंत्रीजी से मिलते है. इस प्रकार का आचरण सरकारी कर्मचारियों के लिये न तो नियमानुकूल ही है और न शोभनीय ही है. शासन द्वारा यह आदेश दिये गये हैं कि भविष्य में कोई भी सरकारी कर्मचारी मुख्य मंत्री जी से सीधे संपर्क न साधे. मुख्य मंत्रीजी से संपर्क साधने के पूर्व सरकारी कर्मचारी को अपनी शिकायत के निवारण के लिये उचित मार्ग द्वारा तथा शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रयत्न करना चाहिये. यदि भविष्य में कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने विभागाध्यक्ष के लिखित अनुमति के बिना मुख्य मंत्रीजी से संपर्क साधने का प्रयत्न करेगा तो उसके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी.

2. यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य के माध्यम से मुख्य मंत्रीजी पर अपने सेवा से संबंधित मामलों के संबंध में प्रभाव डालने की कोशिश करेगा तो वह मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 21 के उल्लंघन करने के आरोप में कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी होगा.

3. आपसे निवेदन है कि उपर्युक्त अनुदेशों की जानकारी अपने अधीन कार्य करने वाले सभी शासकीय सेवकों को दे दें जिससे कि वे इस अनुदेशों का पूर्ण रूप से पालन करें.

हस्ता./-
(म. प्र. श्रीवास्तव)
मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन.

क्रमांक 1576/1964/एक (3) भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर, 1969

प्रतिलिपि :—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर,
   सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र. इन्दौर,
   सचिव, सतर्कता आयोग, भोपाल,
2. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के सचिव,
   सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय,
3. स्थापना अधिकारी, (पंजीयक) लेखाधिकारी, म. प्र. सचिवालय,
4. विशेष आयुक्त, म. प्र. 2 कौटिल्य लेन, न्यू दिल्ली को सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(नागेन्द्र मोहन व्यास)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
ज्ञापन

क्रमांक 555/220/एक (3), भोपाल, दिनांक 20 फरवरी, 1970

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय सेवकों द्वारा अभ्यावेदनों की प्रतियां ऐसे अधिकारियों को भेजना जिनका उन पर कोई प्रशासकीय नियंत्रण न हो.

पुस्तक परिपत्र भाग दो क्रमांक 8 अ की कंडिका 6 (चार) में उल्लिखित आदेश की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो इस प्रकार है :—

"कुछ शासकीय कर्मचारियों की यह आदत है कि वे अपने प्रतिवेदनों की प्रतियां, राज्य के बाहर के प्राधिकारियों को अर्थात् उन प्राधिकारियों को, जो उन पर करने के लिये सीधे संबंधित नहीं है (उदाहरणार्थ, अन्य मंत्रियों, सचिवों, संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों या भारत सरकार के अधिकारियों) भी भेजते है. यह एक बहुत ही आपत्तिजनक तरीका है जो शासकीय औचित्य के प्रतिकूल और अच्छे अनुशासन के लिये विनाशकारी है और सभी शासकीय कर्मचारियों से आशा की जाती है कि वे इसका सर्वथा परित्याग करें. ऐसा न करने पर संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावेगी.

ऐसा देखा जा रहा है कि उपर्युक्त अनुदेश का कुछ शासकीय सेवकों द्वारा . . . . नही किया जाता है. अत: आपसे निवेदन है कि आप अपने अधीनस्थ सभी शासकीय सेवकों का ध्यान उपर्युक्त अनुदेश की ओर आकर्षित करें तथा भविष्य में इस अनुदेश के उल्लंघन करने वाले शासकीय सेवक के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें.

हस्ता./-
(हनुमन्त राव)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन.

क्रमांक 556/220/एक (3) भोपाल, दिनांक 20 फरवरी, 1970

प्रतिलिपि :—

मंत्रियों/राज्य मंत्रियों के निजी सचिवों, उप मंत्रियों के सहायकों को सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(नागेन्द्र मोहन व्यास)
अवप सचिव.

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

(प्रशासकीय सतर्कता कोष्ठ)

क्रमांक 1272/प्रसको/70, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर, 1970

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र.,
समस्त कमिश्नर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय सेवकों द्वारा राजनीतिज्ञों द्वारा प्रभाव डालना.

संदर्भ.—इस विभाग का ज्ञापन क्र. 279-272-एक (3)/65 दिनांक 5 फरवरी, 1966.

उपर्युक्त ज्ञापन में यह स्पष्ट रूप से सभी शासकीय सेवकों को बता दिया गया था कि अपने निजी प्रकरणों के संबंध में किसी मंत्री अथवा संसद या विधान सभा के सदस्य या अन्य राजनीतिज्ञों तथा प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा प्रभाव डालना मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 21 के अंतर्गत वर्जित है. इस प्रकार के आचरण करने वालों पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अनुसार अनुशासन की कार्यवाही की जा सकती है.

2. इन अनुदेशों के बाद भी शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों की ये प्रवृत्तियां उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है और यदि समय रहते उन पर रोक न लगाई गई तो अनुशासन-हीनता के चरम सीमा पर पहुंच जाने की आशंका है.

3. अत: सभी सक्षम प्राधिकारों को यह निर्देश दिया जाता है कि जब भी इस प्रकार का कोई प्रकरण उनके समक्ष (आयें) तो संबंधित शासकीय सेवक के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करें. अपने अधीनस्थ सभी शासकीय सेवकों को उपर्युक्त निर्देश की कृपया जानकारी दें.

हस्ता./-
(रामाप्रसन्न नायक)
मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन.

क्रमांक 1273/प्रसको/70, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर, 1970

प्रतिलिपि :—

पंजीयक, मध्यप्रदेश सचिवालय को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
(हनुमन्त राव)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
ज्ञापन

क्रमांक 460/सी. आर./396/एक (3), भोपाल, तारीख 28 अगस्त, 1971

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र., ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—विभागीय जांचों में गवाही के लिये शासकीय सेवकों की उपस्थिति.

शासन के समक्ष कुछ ऐसे उदाहरण आये है कि विभागीय जांच के सिलसिले में शासन एवं संबंधित शासकीय सेवक की ओर से जिन शासकीय सेवकों को गवाह देने के लिये बलाया जाता हैं वे जांच अधिकारी के समय निर्धारित तारीख को उपस्थित नही होते है. इससे जांच कार्रवाई में अनावश्यक विलम्ब होता है. शासन यह स्पष्ट कर देना चाहता है कि जब किसी शासकीय सेवक को विभागीय जांच में गवाही देने के लिए बुलाया जाय तो उसे अनिवार्य रूप से जांच अधिकारी के समक्ष निश्चित तारीख को उपस्थित होना चाहिए. यदि कोई शासकीय सेवक बिना उचित कारणों के निश्चित तारीख को जांच अधिकारी के समक्ष गवाही देने के लिए उपस्थित नही होता है, तो उसका इस प्रकार का कृत्य अशोभनीय एवं दुराचरण माना जाएगा तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 (1) (तीन) के उपबंधों के उल्लंघन करने के आरोप पर उसके विरुद्ध विभागीय जांच की जा सकेगी.

2. कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि शासकीय सेवकों को विभागीय जांच में निर्धारित तारीखों को गवाही देने के लिए उनके वरिष्ठ अधिकारी नहीं छोड़ते हैं. जब किसी शासकीय सेवक को किसी अपरिहार्य शासकीय कार्य के कारण निश्चित तारीख को छोड़ना संभव न हो तो वरिष्ठ अधिकारी को चाहिए कि वह जांच अधिकारी को उसकी सूचना समय रहते दे दे तथा उन्हें कोई अन्य सुविधाजनक तारीख निश्चित करने को कहें.

3. शासन चाहता है कि भविष्य में उपर्युक्त अनुदेश का पालन दृढ़तापूर्वक किया जाय तथा जो शासकीय सेवक उपर्युक्त अनुदेशों की अवहेलना कर उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाए.

हस्ता./-
(नि. ना. टण्डन)
विशेष सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

क्रमांक 461/सी. आर./396/एक (3), भोपाल, तारीख 28 अगस्त, 1971

प्रतिलिपि :—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर,
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, भोपाल,
   सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र. इन्दौर,
2. राज्यपाल के सचिव,
   सचिव, सतर्कता आयोग, म. प्र., भोपाल.
3. स्थापना अधिकारी/लेखाधिकारी/रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल
4. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रियों/राज्य मंत्रियों/उपमंत्रियों एवं संसद सचिव के निजी सचिव/निजी सहायक को सूचना के लिए एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
(के. एल. मुकर्जी)
अवर सचिव.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
ज्ञापन

क्रमांक 489/475/1 (3)/71 भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर, 1971

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय सेवकों द्वारा शासकीय आवास गृहों को स्थानान्तर के बाद खाली न करना.

ऐसा देखने में आया है कि कई शासकीय सेवक, जो शासकीय आवास गृहों में रहते हैं, अपने स्थानान्तर की सूचना संबंधित अधिकारी को नहीं देते है और दूसरे स्थान पर चार्ज ग्रहण कर लेने पर भी पहले स्थान का शासकीय मकान अपने आधिपत्य में रखते है. कुछ मामलों में तो ऐसा भी पाया गया है कि स्थानान्तर के बाद, शासकीय आवास गृह रखने की प्रार्थना अस्वीकृत हो जाने पर भी, वे शासकीय आवास गृहों को खाली नही करते. इस प्रकार का आचरण शासकीय सेवकों के लिए शौभनीय नही है. अतः सभी शासकीय सेवकों को यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार के मामलों में न केवल उनसे मूलभूत नियम 45-ब के अन्तर्गत किराया वसूल किया जाएगा और उनसे आवास गृह खाली करवाने के लिए न्यायालयीन कार्रवाई की जाएगी बल्कि इस प्रकार के कार्य को शासकीय सेवकों के आचरण नियमों के तहत दुराचरण माना जाएगा और उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी.

2. आप अपने अधीनस्थ सभी शासकीय सेवकों को शासन के उपर्युक्त अनुदेश से अवगत करा दें तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उपर्युक्त प्रकार की कार्रवाई अनिवार्य रूप से करें.

हस्ता./-
(हनुमन्त राव)
विशेष सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

क्रमांक 490/475/1 (3)/71 भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर, 1971

प्रतिलिपि :—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर,
   सचिव, विधान सभा मध्यप्रदेश, भोपाल,
   सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र. इन्दौर,
2. राज्यपाल के सचिव,
   सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, म. प्र., भोपाल,
3. स्थापना अधिकारी/लेखाधिकारी/रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल
4. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रियों/राज्य मंत्रियों/उपमंत्रियों एवं संसद सचिवों के निजी सचिव, निजी सहायक को सूचना के लिए एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
(के. एल. मुकर्जी)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
ज्ञापन

क्रमांक 527/567/1 (3)/71 भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर, 1997

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय सेवकों द्वारा छत्तीसगढ़ के कार्य कलापों में भाग लेने संबंधी.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 5 (1) में राजनीति, निर्वाचनों आदि में भाग लेने संबंधी यह स्पष्ट उपबंध है कि कोई भी शासकीय सेवक किसी राजनैतिक दल या किसी ऐसे संघठन का जो राजनीति में भाग लेता हो, न तो सदस्य होगा, न उससे अन्यथा संबंध रखेगा, न वह किसी राजनैतिक आंदोलन या कार्यकलाप में भाग लेगा और न उसको सहायतार्थ चन्दा देगा या किसी अन्य रीति से उसकी सहायता करेगा.

2. उक्त उपबंध तथा छत्तीसगढ़ निवासियों द्वारा स्थापित ''भ्रातृसंघ'' के कार्यकलापों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि कोई भी शासकीय सेवक ''छत्तीसगढ़ भ्रातृसंघ'' का सदस्य नही बनेगा और न ही संघ के कार्यकलापों में किसी प्रकार से भाग लेगा. यदि कोई शासकीय सेवक ऐसा करें तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जावेगी.

3. अत: शासन चाहता है कि आप अपने अधीनस्थ सभी शासकीय सेवकों को उपर्युक्त अनुदेशों से अवगत का दें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(मृ. वि. गर्दे)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

क्रमांक 528/567/1 (3)/71 भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर, 1969

प्रतिलिपि :—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर,
   सचिव, विधान सभा, मध्यप्रदेश, भोपाल,
   सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र. इन्दौर,
2. राज्यपाल के सचिव,
   सचिव, सतर्कता आयोग, म. प्र.,
3. स्थापना अधिकारी/लेखाधिकारी/रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल
4. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रियों/राज्य मंत्रियों/उपमंत्रियों एवं संसद सचिवों के निजी सचिव/निजी सहायक को सूचना के लिए एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
(के. एल. मुकर्जी)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
ज्ञापन

क्रमांक 535/555/1 (3)/71 भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर, 1971

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—मध्यप्रदेश वेतन आयोग को विभागों द्वारा जानकारी का तत्काल प्रदाय किया जाना.

उपर्युक्त विषय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमाक 93/सी. आर. 91/1 (3), दिनांक 15 फरवरी 1971, की कंडिका 4 की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें ऐसी सभी जानकारी, दस्तावेज तथा अन्य सहायता जिसकी वेतन आयोग मांग करें उसे प्रदान किये जाने का उल्लेख है. चूंकि आयोग को अपना कार्य यथाशीघ्र पूरा करके शासन को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है, अतः निवेदन है कि आयोग द्वारा विभागों से जिस निर्धारित अवधि में जानकारी मांगी जावे वह उस अवधि के भीतर निश्चित रूप से प्रदान की जावे, जिससे आयोग के कार्य में अनावश्यक विलंब न हो.

हस्ता./-
(मृ. वि. गर्दे)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

क्रमांक 536/555/1 (3)/71 भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर, 1971

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर,
   सचिव, विधान सभा, मध्यप्रदेश, भोपाल,
   सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र. इन्दौर,
2. राज्यपाल के सचिव,
   सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, म. प्र., भोपाल,
3. स्थापना अधिकारी/लेखाधिकारी/रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सचिवालय,भोपाल
4. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रियों/राज्य मंत्रियों/उपमंत्रियों एवं संसद सचिव के निजी सचिव/निजी सहायक को सूचना के लिए एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
(मृ. वि. गर्दे)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 375/सी. आर. 309/1 (3)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　भोपाल, दिनांक 30 जून, 72

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—निकट संबंधियों से प्राप्त उपहार की सूचना देना मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965.

राज्य सतर्कता आयोग ने शासन का ध्यान एक ऐसे मामले की ओर आकृष्ट किया है जिसमें कुछ शासकीय सेवकों को उनके निकटतम संबंधियों जैसे पिता, माता, भ्राता से एक बड़ी राशि उपहार के रूप में प्राप्त हुई किन्तु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 14 के उपनियम (4) के अनुसार उपहार प्राप्त करने के पूर्व उन व्यक्तियों ने सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं की. उन शासकीय सेवकों ने यह स्पष्टीकरण दिया कि आचरण नियम 14 की व्याख्या के अनुसार यदि शासकीय सेवक अपने निकटतम संबंधियों से उपहार के रूप में कितनी भी राशि प्राप्त करे तो वह नियम 14 (4) की परिधि में नहीं आता. शासकीय सेवकों का इस प्रकार का अनुमान सही नहीं है. सही स्थिति यह है कि नियम 14 की व्याख्या में "आर्थिक प्रलाभ" का जो वर्णन है उसकी सीमा उतनी ही होगी जितनी कि नियम 14 के उपनियम (4) में बताई गई है. उस सीमा से अधिक आर्थिक प्रलाभ प्राप्त करने के पहले उन्हें नियमानुसार अपने सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है.

आपसे निवेदन है कि आप अपने अधीनस्थ सभी शासकीय सेवकों को उपर्युक्त स्थिति से अवगत करा दें. भविष्य में उक्त नियम के उल्लंघन करने वाले शासकीय सेवक अनुशासानात्मक कार्यवाई के भागी होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(हनुमन्त राव)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

क्रमांक 376/सी. आर. 309/1 (3)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　भोपाल, दिनांक 30 जून, 72

प्रतिलिपि :

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर,
   सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र. इन्दौर,
   सचिव, सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. राज्यपाल के सचिव,
   सचिव, विधान सभा, सचिवालय भोपाल,
3. अवर सचिव (स्थापना)/अवर सचिव (अधीक्षण)/लेखा अधिकारी, मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल
4. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रिगण/समस्त राज्य मंत्रिगण/उपमंत्रि के निजी सचिव/निजी सहायक को सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
ज्ञापन

क्रमांक 410/462-1 (3)/72 भोपाल, दिनांक 13 जुलाई, 1972

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय सेवकों द्वारा बिना शासन की अनुमति से उच्च शिक्षा प्राप्त करने संबंधी.

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तारीख 22 सितम्बर, 1961 को जारी किये गये ज्ञापन क्रमांक 2412/1270/1 (3) में यह स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 16 के अंतर्गत शासकीय सेवकों को अपनी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने के लिये कॉलेज में प्रवेश पाने तथा उच्च परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिये शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवशक है.

2. उपर्युक्त आदेशों के बावजूद यह ध्यान में आया है कि शासकीय सेवक, बिना शासन की अनुमति के शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश पा लेते हैं तथा उच्च उपाधि प्राप्त करने के लिये परीक्षाओं में भी सम्मिलित होते हैं. यह भी मालूम हुआ है कि ऐसे मामलों में संबंधित कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि रोकने जैसा मामूली दंड भी दिया गया है. मामले में पूर्ण विचार करने बाद शासन द्वारा यह एक निर्णय लिया गया है कि भविष्य में शासकीय सेवकों द्वारा उपर्युक्त आदेशों का यदि उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत कार्रवाई की जाकर कड़ा दंड दिया जावे. ऐसे मामलों में deterrent शास्ति देना आवश्यक है, जिससे उन व्यक्तियों पर भी इसका असर हो.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(मृ. वि. गर्दे)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 498/629/एक (3)/72 | भोपाल, दिनांक 23 अगस्त, 1972

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—सरकारी कर्मचारियों का अखिल भारतीय मजदूर संघ के कार्य कलापों के साथ साहचर्य.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 5 उप नियम के अधीन यह स्पष्ट किया जाता है कि शासकीय सेवक द्वारा अखिल भारतीय मजदूर संघ या इससे संबद्ध किसी भी संगठन की सदस्यता या कार्यकलापों की गतिविधियों में भाग लेना उपर्युक्त नियमों के नियम 5 के उप नियम (1) के उपबंधों के विरुद्ध है. अत: कोई भी शासकीय सेवक, जो अखिल भारतीय मजदूर संघ या उससे संबंधित किसी भी संगठन का सदस्य है, या भविष्य में उसका सदस्य बनेगा अथवा किसी भी अन्य प्रकार से इसके कार्यकलापों से अपने को संबद्ध करेगा, अनुशासनिक कार्रवाई का भागी होगा.

2. आप से निवेदन किया जाता है कि अपने अधीन कार्य करने वाले सभी शासकीय सेवकों को उपर्युक्त स्थिति से अवगत करा दें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(मृ. वि. गर्दे)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन

क्रमांक 499/629/एक (3)/72 | भोपाल, दिनांक 23 अगस्त, 1972

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर,
   सचिव, विधान सभा, मध्यप्रदेश, भोपाल,
   सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र. इन्दौर,
2. राज्यपाल के सचिव,
   सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल,
3. अवर सचिव (स्थापना)/अवर सचिव (अधीक्षण)/लेखा अधिकारी, मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल
4. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रिगण/समस्त राज्य मंत्रिगण/ समस्त उप मंत्रिगण निजी सचिव/निजी सहायक को सूचना के लिए एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रेषित.

हस्ता./-
अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 542/सी. आर. 353/एक (3)   भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर, 1972

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय सेवकों द्वारा राजनीतिक संस्थाओं से संबंध न रखने बाबत.

राज्य शासन ने ऐसे सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य संगठनों की, जिनका राजनीतिक संस्थाओं से संबंध होना प्रतीत होता है, गतिविधियों में शासकीय सेवकों के भाग न लेने के प्रश्न पर पुन: विचार किया गया है. इस संबंध में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 5 (1) की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अंतर्गत कोई भी शासकीय सेवक किसी राजनैतिक दल या किसी ऐसे संगठन का जो राजनीति में भाग लेता हो, न तो सदस्य होगा न उससे अन्यथा संबंध रखेगा. वह किसी राजनैतिक आन्दोलन या कार्यकलाप में भाग नहीं लेगा, न उसकी सहायतार्थ चन्दा देगा और न किसी अन्य रीति में उसकी सहायता करेगा.

2. शासकीय सेवकों को न केवल राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखना ही जरूरी है बल्कि व्यवहार में भी ऐसा दिखना चाहिए कि राजनीतिक गतिविधियों से उन्हें कोई लगाव नही है. इसलिये यदि किसी संस्था की गतिविधियां राजनीतिक होने की थोड़ी भी आशंका हो, तो ऐसी संस्था से शासकीय सेवक को दूर रहना चाहिए ताकि उसकी राजनैतिक निष्पक्षता (neutrality) के बारे में किसी को शंका न हो.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(हनुमन्त राव)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 830/सी. आर. 423/1 (3) 72 भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर, 1972

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय सेवकों का विदेशी मिशनों/विदेश सांस्कृतिक संगठनों/विदेशी नागरिकों के संपर्क रखने के संबंध में अनुदेश.

शासकीय सेवकों को भारत स्थित विदेशी मिशनों/विदेशी संवाददाताओं/विदेशी सांस्कृतिक संगठनों तथा विदेशी नागरिकों से संपर्क स्थापित करते समय निम्नलिखित हिदायतों का पालन करना नितांत आवश्यक है. इन अनुदेशों के उल्लंघन करने वाले शासकीय सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. अत: आप अपने अधीनस्थ सभी शासकीय सेवकों को इससे अवगत कराने की कृपा करें :—

1. **सामान्य संपर्क**

अधिकारियों को विदेशी संवाददाताओं, विदेशी मिशनों/संगठनों के सदस्यों तथा भारत में स्थित अन्य विदेशी राष्ट्रिकों से संपर्क के संबंध में अत्यधिक विवेक तथा बुद्धि से काम लेना चाहिए. उन्हें सतर्कतापूर्वक ऐसी किसी भी बातचीत से बचना चाहिए, जिससे अनजाने में भी गोपनीय विषयों की जानकारी के प्रकट होने की संभावना हो. उन्हें, विदेशी राष्ट्रिको को या विदेशी मिशनों में नियोजित भीरतीय राष्ट्रिको को अधिक बढ़ावा नही देना चाहिए तथा उनका, विशेषत: अनौपचारिक स्वरूप का आतिथ्य अविचारपूर्ण ढंग से तथा बराबर स्वीकार नही करना चाहिए. इस प्रकार के अत्यधिक आतिथ्य से अतिथि, आतिथ्य के प्रति अनुग्रहीत हो सकता है और इससे अन्य लोगों की दृष्टि में उसके अपने कर्तव्यों के निष्पक्ष तैथा न्यायसम्मत निष्पादन के संबंध में संदेह उत्पन्न हो सकता है.

2. **निजी पत्र-व्यवहार**

विदेशी दूतावासों/मिशनों/हाई कमीशनों से निजी पत्र व्यवहार करने से बचना चाहिए. उसी प्रकार शासकीय स्वरूप के विषयों पर, भारत में स्थित विदेशी मिशनों से सीधे निजी या वैयक्तिक पत्र व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए.

3. **उपहार**

विदेशी राष्ट्रिको/विदेशी मिशनों के सदस्यों से उपहारों का आदान-प्रदान करते समय या उनसे विदेशी वस्तुएं लेते समय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) निमय, 1965 के संगत उपबन्धों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और जहां कहीं नियमों के आवश्यक हो वहां पूर्वानुमति से लेनी चाहिए. यह बात उल्लेखनीय है कि इस देश में, विदेशी मुद्रा विनियमों में यथा उपबंधित स्थिति को छोड़ अन्यथा विदेशी मुद्रा लाभ अवैध है.

4. **राष्ट्रीय दिवस स्वागत समारोहों में उपस्थिति**

अधिकारीगण विदेशी मिशनों के राष्ट्रीय दिवस स्वागत-समारोहों में शासन की पूर्वानुमति प्राप्त करने के बाद ही उपस्थित होंगे.

5. **आमंत्रण/आतिथ्य स्वीकार करना**

(एक) अधिकारियों को सामान्यत: केवल उसी स्थिति में विदेशी राजनयिकों के औपचारिक तथा अनौपचारिक आमंत्रण स्वीकार करने चाहिए, जबकि आमंत्रण उन्हें उन्हीं के दर्जे के या उनसे ऊंचे दर्जे के राजनयिक अधिकारी से प्राप्त हो.

(दो) अवर सचिव तथा उप सचिव की श्रेणी के तथा समतुल्य श्रेणी के अधिकारियों को किसी भी प्रकार का आमंत्रण संबंधित सचिव से पूर्व तथा विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त किये बिना स्वीकार नही करना चाहिए.

6. शासकीय तथा सामाजिक भेंट

अधिकारीगण, अन्य देशों के मिशनों/वाणिज्य दुतावासों केप्रागमनों या उनके सदस्यों से शासकीय अथवा सामाजिक भेंट करने की पहल नही करेंगे.

(2) अधिकारियों को विशिष्ट रूप से यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अन्य देशों के प्रतिनिधियों से उनका संपर्क उनके समुचित शासकीय स्तर तक ही सीमित है.

7. सामाजिक समारोहों में बातचीत की रिपोर्ट

ऐसे सभी अधिकारी, जो विदेशी राजनयिकों/विदेशी मिशनों के प्रतिनिधियों से सामाजिक समारोहों में उपस्थित होने का आमंत्रण स्वीकार करते हैं या जिन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाती है, ऐसे अवसरों पर शासन के हित तथा महत्व के विषयों पर राजनयिकों/विदेशी मिशनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई किसी बातचीत की रिपोर्ट अपने वरिष्ठ अधिकारी को देंगे.

8. विदेशी मिशनों/वाणिज्य दूतावासों से प्राप्त आतिथ्य के बदले आतिथ्य

यह तथ्य सर्वविदित है कि राजनयिकों को स्थानीय अधिकारियों का आदर सत्कार करने के लिए विशेष रूप से धन दिया जाता है किन्तु स्थनीय अधिकारी की उसके बदले में उनका आतिथ्य सत्कार करने की क्षमता सीमित होती है. अत: राजनयिकों और स्थानीय अधिकारियों के बीच आदर-सत्कार के मामले में बराबरी की कोशिश करने की आवश्यकता नही है.

9. मिशनों/वाणिज्य दूतावासों के सदस्यों तथा अन्य देशों के राष्ट्रिको को जानकारी देना

विदेशी मिशनों/वाणिज्य दूतावासों या उनके सदस्यों या विदेशी राष्ट्रिकों को जानकारी प्रदान करना केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है. यह कार्य प्रत्यक्ष या किसी अधिकारी द्वारा स्वयं होकर नहीं किया जाना चाहिए. कनिष्ठ अधिकारियों को विदेशी मिशनों/दूतावासों के वैयक्तिक सहायकों तथा सचिवों से संपर्क नही रखना चाहिए. किसी भी अधिकारी को किसी भी कारण से विदेशी मिशनों/वाणिज्य दूतावासों के कनिष्ठ राजनयिक कर्मचारियों से शासन के लिखित अनुमोदन के बिना, संपर्क नही रखना चाहिए.

10. विदेशी राष्ट्रिकों के साथ अतिथियों के रूप में रहना तथा ठहरना

(क) अधिकारियों को, भारत में स्थित विदेशी राजनयिकों या विदेशी राष्ट्रिको के साथ अतिथि के रूप में नही ठहरना चाहिए. तथापि, के शासन की अनुमति से, विदेश में विदेशी राजनियकों या विदेशी राष्ट्रिकों के साथ ठहर सकते हैं.

(ख) अधिकारियों को भारत में विदेशी राजनयिकों को अतिथि के रूप में अपने साथ ठहरने का आमंत्रण नहीं देना चाहिए.

11. अधिकारियों की पत्नियों/आश्रितों का नियोजन

ऐसे अधिकारियों को, जिसकी पत्नी या जिसका आश्रित भारत में स्थित किसी विदेशी मिशन या किसी विदेशी संगठन (वाणिज्यिक उपक्रम सहित) के अधीन नौकरी प्राप्त करना चाहता हो, अनुमति के लिए शासन को आवेदन करना चाहिए.

12. भारत स्थित विदेशी दूतावास के या विदेशी शासन के वायुयान में अनुग्रह के रूप में स्थान (लिफ्ट) प्राप्त करना

किसी भी अधिकारी को विदेशी मिशन/शासन या संगठन से न तो यात्रा व्यय स्वीकार करना चाहिए और न ही नि:शुल्क हवाई यात्रा स्वीकार करना चाहिए और न ही अपनी पत्नी या आश्रितों को ऐसा करने की अनुमति देनी चाहिए. ऐसे आपवादिक मामलों को, जो मानवतावादी या अनुकंपामूलक परिस्थितियों पर आधारित हो, अनुमति के लिए शासन को रिफर किया जाना चाहिए.

इस नियम में केवल भारत सरकार और किसी विदेशी शासन या संगठनों के बीच हुए और अभी भी प्रवृत्त विशिष्ट करारों या समझौतों के अन्तर्गत आने वाले मामलों में ही छूट दी जा सकेगी. विदेश यात्राओं के आमंत्रणों के संबंध में, जो केवल परराष्ट्र मंत्रालय के परामर्श के बाद ही स्वीकार किये जा सकेंगे, वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में परम्परा यह है कि विदेशी शासनों द्वारा किया जाने वाला स्थानीय आतिथ्य तो आतिथेय से स्वीकार किया जा सकेगा किन्तु यात्रा व्यय स्वीकार नही किया जा सकेगा और यह भी कि ऐसा आतिथ्य अशासकीय संस्थाओं, संगठनों, प्रायवेट पार्टियों आदि से स्वीकार नहीं किया जायेगा.

तथापि, ऐसे अधिकारियों के मामले में यात्रा व्यय स्वीकार करने के संबंध में कोई आपत्ति नही होगी, जिन्हें विदेशी शासनों तथा संगठनों द्वारा सम्मेलनों, सेमिनारों आदि में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाये और ऐसा निमंत्रण किसी विशिष्ट अधिकारी को उसके नाम से तथा उसकी विशेषज्ञता से लाभ उठाने की दृष्टि से दिया जाये. ऐसे अन्य मामलों में, जिनमें सम्मेलनों आदि में भाग लेना सम्बन्धित अधिकारी या उसकी प्रतिनियुक्ति के प्रवर्तक विभाग के हित में वांछनीय समझ जाये, यात्रा व्यय प्रवर्तक विभाग द्वारा दिया जाता रहना चाहिए.

कोई अधिकारी विदेश के भीतर ही अपने शासकीय कार्यों के संबंध में निःशुल्क हवाई यात्रा स्वीकार कर सकता है. जब कोई अधिकारी तथा उसका परिवार विदेश में राजकीय अतिथि के रूप में हो तो उन्हें विदेशी शासन से निःशुल्क हवाई यात्रा की सुविधा प्राप्त करने की अनुमति होगी.

13. विदेशी राष्ट्रिकों को पट्टे द्वारा सम्पत्ति का व्ययन

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19 (2) के अधीन, कोई भी अधिकारी, शासन की पूर्व जानकारी के बिना अपने स्वयं के नाम से या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से पट्टे, बन्धक, क्रय, विक्रय अथवा उपहार द्वारा या अन्यथा किसी भी अचल सम्पत्ति को न तो अर्जित करेगा और न ही उसका व्ययन करेगा, परन्तु यदि ऐसा लेनदेन उस अधिकारी से शासकीय संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति से हो या नियमित अथवा प्रतिष्ठित विक्रेता की मार्फत न होकर अन्यथा किया जाये तो अधिकारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी प्राप्त की जायेगी. इस नियम के अन्तर्गत आने वाले "पट्टा" शब्द के अंतर्गत लिखित अथवा मौखिक करार द्वारा अल्पावधि के लिए अथवा दीर्घावधि के लिए भाड़े पर आवास व्यवस्था प्रदान करना अन्तर्विष्ट है. यह स्पष्ट कर लिया गया है कि अचल सम्पत्तियों के लेन देनों के संबंध में, जिसमें विदेशी राष्ट्रिकों/विदेशी मिशनों के सदस्यों/विदेशी मिशन द्वारा नियंत्रित अथवा उनसे संबद्ध संगठनों के सदस्यों के साथ, उपर्युक्त व्याख्या के अनुसार किया गया "पट्टा" सम्मिलित है, यथास्थिति, पूर्वानुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए अथवा पूर्व सूचना दी जानी चाहिए.

14. विदेशी भाषा की कक्षाओं में प्रवेश लेना

ऐसे अधिकारियों को, जो भारत में स्थित विदेशी मिशनों तथा दूतावासों अथवा विदेशी मिशनों द्वारा नियंत्रित या उनसे संबद्ध संगठनों या भारतीय-विदेशीय सांस्कृतिक संगठनों द्वारा संचालित विदेशी भाषाओं की कक्षाओं में प्रवेश लेना चाहते है, शासन को पूर्वानुमति प्राप्त करना चाहिए.

15. भारतीय-विदेशीय सांस्कृतिक संगठनों के साथ अधिकारियों की संबद्धता

शासन की अनुमति के बिना आधिकारियों को भारतीय-विदेशीय सांस्कृतिक संगठनों का न तो सदस्य होना चाहिए और न ही उनकी गतिविधियों में सक्रिय भाग लेना चाहिए.

2. प्रशासकीय विभाग अपने अधीन सभी राजपत्रित अधिकारियों से इस अनुदेश की प्राप्ति की अभिस्वीकृति भेजने को कहे.

हस्ता./-
(मृ. वि. गर्दे)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

क्रमांक 831/सी. आर. 423/1 (3) 72 भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर, 1972

प्रतिलिपि :—

1. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर
   निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
   सचिव, सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल

2. राज्यपाल के सचिव
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

3. अवर सचिव (स्थापना)/अवर सचिव (अधीक्षण)/लेखा अधिकारी, मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल

4. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रिगण/समस्त राज्य मंत्रिगण/समस्त उप मंत्रिगण के निजी सचिव/निजी सहायक की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राजपित्रत अधिकारी संघ, 93/19 (1250 क्वाटर्स) भोपाल (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)

6. प्रान्ताध्यक्ष, मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, भोपाल (पन्द्रह अतिरिक्त प्रतियों सहित)

7. प्रान्ताध्यक्ष, लघुवेतन कर्मचारी संघ, भोपाल (चार अतिरिक्त प्रतियों सहित)
   की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./–
(मृ. वि. गर्दे)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
ज्ञापन

क्रमांक एम/15/147/73/4/1 भोपाल, दिनांक 7 अगस्त, 1973

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय कार्यक्रम की निमंत्रण पत्रिकाओं पर शासकीय अधिकारियों के नाम न लिखे जाने के संबंध में.

शासन के ध्यान में लाया गया है कि शासन द्वारा आयोजित समारोह यथा उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि में प्रसारित निमंत्रण पत्र किसी विशिष्ठ अधिकारी के नाम से छापे जाते है. शासकीय कार्यक्रम किसी व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम न हो कर शासन के विभाग का कार्यक्रम होता है. अत: शासन ने निर्णय लिया है कि किसी शासकीय कार्यक्रम के उपलक्ष में प्रसारित किए जाने वाले निमंत्रण पत्रों पर किसी शासकीय अधिकारी का नाम न छापते हुए केवल उस व्यक्ति का पदनाम ही छापा जाए जिनके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया हो. कार्यक्रम आयोजित करने वाले एक से अधिक अधिकारी हों तो क्रमवार उनके पदनाम लिखे जाए.

हस्ता./-
(जे. एल. अजवानी)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्रमांक एम/15/147/73/4/1 भोपाल, दिनांक 7 अगस्त, 1973

प्रतिलिपि :—

रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर,
सचिव, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
को सूचनार्थ अग्रेषित.

राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव, मध्यप्रदेश, भोपाल,
सचिव, मध्यप्रदेश, विधान सभा, भोपाल,
को सूचनार्थ अग्रेषित.

अवर सचिव, स्थापना, अवर सचिव, अधीक्षण तथा लेखाधिकारी, म. प्र. सचिवालय,
को सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
ज्ञापन

एफ क्रमांक सी/13-14/73/3/1 भोपाल, दिनांक 24 अगस्त, 1973

प्रति,

शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव,
शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र., ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—सचिवालय तथा विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में स्थापना शाखा में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण के संबंध में.

शासकीय सेवकों के स्थानान्तरण के संबंध में शासनादेश सामान्य पुस्तक परिपत्र क्रमांक 1, अनुक्रमांक 6 में दर्शाए गये हैं. इसके अनुसार किसी एक स्थान पर शासकीय सेवक को सेवाओं की आवश्यकताओं के अधीन 3 से 5 वर्ष तक रखे जाने का प्रावधान है.

2. शासकीय सेवकों के प्रतिनिधियों से चर्चा के पश्चात् यह निर्णय लिया गया है कि सचिवालय तथा विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में स्थापना शाखा में कार्यरत कर्मचारियों को स्वच्छ एवं निष्पक्ष प्रशासन की दृष्टि से 3 वर्ष के बाद निश्चित रूप से स्थानान्तरित कर दिया जाय.

3. अतः इस शासनादेश को कार्यान्वित कर इसकी सूचना इस विभाग को शीघ्र भेजी जाय.

हस्ता./-
(बल्देव सिंह)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

एफ क्रमांक सी/3-14/73/3/1 भोपाल, दिनांक 24 अगस्त, 1973

प्रतिलिपि :—

1. निम्बधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर,
   सचिव, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
2. राज्यपाल के सचिव
   सचिव, मध्यप्रदेश, विधान सभा सचिवालय भोपाल,
3. अवर सचिव (स्थापना)/अवर सचिव (अधीक्षण)/लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश, सचिवालय, भोपाल
4. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रिगण/समस्त राज्य मंत्रिगण/उप मंत्रिगण के निज सचिव/निज सहायक को सूचनार्थ अग्रेषित.
5. प्रान्ताध्यक्ष, मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, भोपाल (15 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राजपित्रत अधिकारी संघ, 93/19 (1250 क्वाटर्स) भोपाल (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
7. प्रान्ताध्यक्ष, लघुवेतन कर्मचारी संघ, भोपाल (4 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
   की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
अवर सचिव

रो. पी. नरोना
मुख्य सचिव

अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 1796/मुस/73,
भोपाल 462004

तारीख 7 दिसम्बर 1973.

विषय.—सार्वजनिक समारोह, उद्घाटन, शिलान्यास समारोह आदि में शासकीय कर्मचारियों द्वारा भाग लेने के संबंध में.

प्रिय में . . . .

सामान्य प्रशासन विभाग के तारीख 16 अप्रैल 1969 के ज्ञाप (क्रमांक 6644/748/1 (3)/69) (तत्काल संदर्भ के लिये प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा अनुदेश दिए गए थे कि शासकीय कर्मचारियों को सार्वजनिक समारोहों उद्घाटन, अनाचरण समारोह या शिलान्यास समारोह आदि में मुख्य अतिथि बनने का आमंत्रण स्वीकार नहीं करना चाहिए. ऐसा प्रतीत होता है कि इन अनुदेशों का उतनी कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है जितना कि अभिप्रेत था. परिपत्र का अभिप्राय यह था कि अशासकीय सार्वजनिक कार्यकर्ता तथा जनता के प्रतिनिधियों को ही इस प्रकार के समारोहों के मुख्य अतिथि बनने के लिये आमंत्रित किया जाए.

2. अत: पुन: कहना चाहता हूं कि शासन चाहता है कि इन अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए. जैसा कि उपर्युक्त परिपत्र में आदेशित है, इन अनुदेशों का पालन न किए जाने पर शासन द्वारा गंभीर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी.

संलग्न-1

भवदीय
हस्ता./-
(रो. पी. नरोना

समस्त सचिव/ . . . .
समस्त आयुक्त/ . . . .
समस्त विभागाध्यक्ष/ . . . .
समस्त जिलाध्यक्ष. . . . .

क्रमांक 1797/मुस/73, भोपाल, तारीख 7 दिसम्बर, 1973/16 अग्रहायण 1895.

श्री . . . . विधायक एवं सदस्य, परामर्शदात्री समिति को सूचना के लिये.

हस्ता./-
(रो. पी. नरोना
मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
ज्ञापन

डी. क्रमांक 174/278/एक (तीन)/74 भोपाल, दिनांक 7 मार्च, 1974

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
अध्यक्ष राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय सेवकों द्वारा अपने अचल संपत्ति का विवरण भेजने के संबंध में जारी किये गए आदेश का पालन करना.

राज्य सतर्कता आयोग द्वारा शासन के ध्यान में यह लाया गया है कि शासकीय सेवकों द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19 (1) के अनुसार अपने अचल संपत्ति के संबंध में वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में इस विभाग द्वारा दिनांक 27 अगस्त 1960 के ज्ञापन क्रमांक 1933-1505-एक (3)/60 में उल्लिखित अनुदेश का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है.

2. इस संबंध में शासन पुनः सभी शासकीय सेवकों का ध्यान उपर्युक्त अनुदेश की ओर आकृष्ट करता है तथा अपेक्षा करता है कि उपर्युक्त अनुदेश के अनुसार प्रत्येक शासकीय सेवक अपने अचल संपत्ति का विवरण विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी को प्रतिवर्ष 31 जनवरी के पूर्व प्रस्तुत करेगा. किसी शासकीय सेवक द्वारा समय पर अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत न किये जाने पर उसे गंभीरता से लिया जाएगा.

3. आपसे निवेदन है कि अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों को इस आदेश से अवगत करा दें.

हस्ता./-
(कान्त स्वरूप भटनागर)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

डी. क्रमांक 175/278/एक (तीन)/74 भोपाल, दिनांक 7 मार्च, 1974

प्रतिलिपि :—

1. निम्बधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर,
सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.

2. राज्यपाल के सचिव
सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.

3. अवर सचिव (अधीक्षण)/अवर सचिव (स्थापना)/लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश, सचिवालय, भोपाल

4. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रिगण/समस्त राज्य मंत्रिगण/समस्त उप मंत्रिगण के निजी सचिव/निजी सहायक की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

ज्ञापन

एफ. क्रमांक 5-1/74/3/1 भोपाल, दिनांक 15 मई, 1974

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय सेवकों द्वारा छत्तीसगढ़ प्रान्त संघ के कार्य-कलापों में भाग लेने संबंधी आदेश को निरस्त करना.
संदर्भ.—इस विभाग का दिनांक 23 सितम्बर, 1971 का ज्ञापन क्रमांक 527/567/1 (3)/71.

इस विभाग के उपर्युक्त ज्ञापन में शासकीय सेवकों पर छत्तीसगढ़ प्रान्त संघ के कार्यकलापों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है. इस संबंध में पुनः विचार करने के उपरांत शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त संस्था कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, अतः उसके कार्य-कलापों में भाग लेने के लिये शासकीय सेवकों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, और न उससे मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1965 के नियम 5 (1) के उपबंधों का उल्लंघन होना माना जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(कान्त स्वरूप भटनागर)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

एफ. क्रमांक 5-1/74/3/1 भोपाल, दिनांक 15 मई, 1974

प्रतिलिपि :—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर,
   सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.
2. राज्यपाल के सचिव
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
3. अवर सचिव (स्थापना)/अवर सचिव (अधीक्षण)/लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश, सचिवालय, भोपाल.
4. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रिगण/समस्त राज्य मंत्रिगण/समस्त उप मंत्रिगण के निजी सहायक निजी सचिव
   की सूचना के लिये एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एफ. क्रमांक 5-3/74/3/1 भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर, 1974

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय सेवकों द्वारा राजनीतिक विद्यार्थी संगठनों में भाग न लेने के संबंध में.

1. आल इंडिया स्टुडेंट्स फेशरेशन.
2. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्.
3. समाजादी युवजन सभा.
4. स्टूडेंट्स कांग्रेस.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह स्पष्ट किया जाता है कि पार्श्व में उल्लेखित चारों छात्र संगठन राजनीति में भाग लेते हैं. अतएव शासकीय सेवकों द्वारा इनमें से किसी भी संगठन की सदस्यता ग्रहण करना या उनके कार्य-कलापों में भाग लेना उपर्युक्त नियम के नियम 5 (1) के उपबंधों के विरुद्ध होगा. आपसे निवेदन है कि आप अपने अधीनस्थ सभी शासकीय सेवकों का ध्यान इस निर्देश की और दिला दें कि उपर्युक्त छात्र संगठनों का कोई भी शासकीय सेवक न तो सदस्य बनेगा और न किसी भी अन्य प्रकार से इनके कार्यकलापों से अपने को संबंध करेगा तथा इस आदेश के उल्लंघन करने वाला शासकीय सेवक अपने को आनुशासिक कार्यवाही का भागी बनाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भवदीय
हस्ता./-
(आनन्द मोहन)
उपसचिव.
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग..

एफ. क्रमांक 5-3/74/3/1 भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर, 1974

प्रतिलिपि :—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर,
   सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.
2. राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
3. अवर सचिव (स्थापना) अवर सचिव (अधीक्षण)/लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश, सचिवालय, भोपाल
4. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रिगण/समस्त राज्य मंत्रिगण/उप मंत्रिगण के निज सचिव/निज सहायक की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एफ. क्रमांक 5-3/74/3/1 भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 1975

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टरर्स
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय सेवकों द्वारा राजनीतिक विद्यार्थी संगठनों में भाग न लेने के संबंध में.

संदर्भ.—इस विभाग का दिनांक 3 सितम्बर, 1974 का ज्ञापन क्रमांक 3 सितम्बर, 1974.

इस विभाग के उपर्युक्त ज्ञापन के अनुवृत्त में यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की गतिविधियां भी राजनीति से अलग नहीं होने के कारण शासकीय सेवकों द्वारा इसकी सदस्यता ग्रहण करना या उसके कार्यकलापों में भाग लेना मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 5(1) के उपबंधों के विरुद्ध होगा. आपसे निवेदन है कि आप अपने अधीनस्थ सभी शासकीय सेवकों का ध्यान इस निदेश की ओर आकृष्ट कर उन्हें आगाह कर दें कि यदि कोई शासकीय सेवक इस निदेश का उल्लघंन करता है तो वह आनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(आनन्द मोहन)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

एफ. क्रमांक 5-3/74/3/1 भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 1975

प्रतिलिपि :—

1. निम्बधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर,
   सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.
2. राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव,
   सचिव, विधान सभा सचिवालय मध्यप्रदेश, भोपाल.
3. अवर सचिव (अधीक्षण)/अवर सचिव (स्थापना)/लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश, सचिवालय, भोपाल,
4. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रिगण/समस्त राज्य मंत्रिगण/समस्त उप मंत्रिगण के निजी सचिव/निजी सहायक
   की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
अवर सचिव.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
ज्ञापन

क्रमांक 713/75 भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 1975, 6 श्रावण 1897

प्रति,

समस्त सचिव/विशेष सचिव,
समस्त विभागाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश शासन.

विषय.—शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दूध बेचने का धंधा करने पर रोक लगाने के बारे में.

शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कुछ अधिकारियों, विशेषकर उच्च-वर्ग के, दूध बेचने का धंधा कर रहे हैं. शासकीय आवास गृहों में गाएँ/भैंसे पाली जा रही हैं, मातहत शासकीय कर्मचारियों को पशुओं की देख-रेख में लगाया जा रहा है और दूध बेचने का धंधा किया जा रहा है. यह भी पता चला है कि चारा, चूनी-भूसी आदि जो प्राप्त किया जाता है, उसकी कीमत नहीं चुकाई जाती और यहां तक कि अपने मातहतों को दूध खरीदने के लिये भी बाध्य किया जाता है. शासकीय कर्मचारियों के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि वे अपने आचरण को इस प्रकार रखे कि कोई उनके ऊपर ऊंगली न उठा सके. शासकीय कर्मचारियों को इस बात की छूट नहीं है कि वे अपने किसी निजी धंधे में लग जाएं. किसी भी शासकीय कर्मचारी के मन में ऐसा कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए कि वह आचरण नियमों के विरुद्ध कार्य करे और उसकी जानकारी दूसरों को न मिले या दूसरे लोग उसके बारे में टीका-टिप्पणी न करें. गाएँ/भैंसें पालने और दूध बेचने का जो काम हो रहा है उसकी जानकारी छोटे-बड़े सभी को है. उच्चाधिकारियों को विशेष रूप से आलोचना की जा रही है. जब उनका आचरण स्वच्छ नहीं है और जब वे स्वयं आचरण नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तब छोटे कर्मचारियों से आचरण अरखने की अपेक्षा कैसे की जा सकती है.

2. शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दूध का धंधा करना शासकीय सेवक आचरण नियमों के विपरीत है और इस स्थिति को किसी भी हालत में जारी नहीं रहने दिया जा सकता. इसलिये संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को आगाह किया जाता है कि वे दूध का धंधा फौरन ही समाप्त कर दें. यदि ऐसा नहीं किया गया तब शासकीय सेवक आचरण नियमों के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं रहेगा.

हस्ता./-
(बल्देवसिंह)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

डी. क्रमांक 576/1719/1(3)/75

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त, 1975

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय सेवकों द्वारा गैर कानूनी संगठनों में भाग न लेने के संबंध में निर्देश.

भारत सरकार ने भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 33 के प्रयोजनों के लिये 26 संगठनों को गैर कानूनी संगठन अधिसूचित किया है. उक्त संगठनों के नाम गृह विभाग द्वारा दिनांक 4 जुलाई, 1975 की अधिसूचना फा. क्रमांक 26-3-/75-क्ष-एक में दर्शाए गए हैं. उसकी प्रति संदर्भ के लिये संलग्न है.

2. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 8 में यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी शासकीय सेवक किसी ऐसी संस्था में न तो सम्मिलित होगा और न उसका सदस्य रहेगा जिसके कि उद्देश्य तथा कार्यकलाप भारत के प्रभुत्व तथा अखण्डता या सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले हों. चूंकि भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 33 के अन्तर्गत उक्त संगठनों को अन्य कारणों के साथ-साथ सार्वजनिक व्यवस्था की दृष्टि से भी अहितकर माना गया है, अतः जो भी शासकीय सेवक इन संगठनों से किसी भी प्रकार से सम्बद्ध होना पाया जाएगा या उससे साहचर्य रहेगा उसके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर उसे मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 में उल्लेखित कोई भी दण्ड दिया जा सकता है तथा इसके अतिरिक्त वह भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 33 में उल्लिखित दण्ड भुगतने का भी भागी होगा.

3. अपने अधीनस्थ सभी शासकीय सेवकों को इस अनुदेश से कृपया अवगत करा दें.

हस्ता./-
(बल्देव सिंह)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
("क्ष" अनुविभाग)

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 1975

फा. क्र. 26-3-75-क्ष-एक.—चूंकि, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक एस. ओ. 304 (ई), एस. ओ. 30, एस. ओ-306 (ई) तथा एस. ओ. 307 (ई), दिनांक 3 जुलाई, 1975 द्वारा भारत रक्षा नियम, 1971 का नियम 33 नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित संस्थाओं को लागू कर दिया गया है.

और चूंकि, इण्डियन क्रिमिनल ला अमेन्डमेन्ट एक्ट, 1908 (क्रमांक 14 सन् 1908) की धारा 17-ए से 17-ई तक के उपबन्ध उक्त नियम के उप-नियम (4) द्वारा उक्त संस्थाओं को लागू होते है:

और चूंकि, ाज्य शासन की यह राय है कि उक्त संस्थाओं के राज्य में, के कार्यालयों का उपयोग ऐसी संस्थाओं के प्रयोजनों के लिये किया जा रहा है:

अतएव, इण्डियन क्रिमिनल ला अमेन्डमेन्ट एक्ट, 1908 (क्रमांक 14 सन् 1908) की धारा 17-ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त कार्यालयों को उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिये अधिसूचित करता है:—

अनुसूची

1. आनंद मार्ग
2. प्राउटिस्ट फोरम आफ इण्डिया
3. प्राउटिस्ट ब्लाक आफ इण्डिया
4. विश्वसंक्राति सेवा उर्फ वालिन्टिअर सर्विस
5. सेवा धर्म मिशन
6. एजुकेशन रिलीफ एण्ड वेलफेअर सेक्शन
7. प्रगितिशील भोजपुरी समाज
8. अंगिका समाज
9. वघेल खण्ड समाज
10. यूनिवर्सल प्राउटिस्ट लेबर फेडरेशन
11. यूनिवर्सल प्राउटिस्ट स्टुडेन्टस फेडरेशन
12. रिनायसा यूनिवर्सल क्लब
13. रिनायसा आर्टिस्ट एण्ड रायडर्स एसोसियेशन
14. आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीप
15. कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्किस्ट लेनिनिस्ट) चार मुजुमदार ग्रुप प्रोलिन पिआउफेक्शन.
16. कम्युनिस्ट पार्टी (मार्किस्ट सबनिनिस्ट) (चार मुजुमदार ग्रुप एण्टीलिन पिआउ फेक्शन)
17. यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी (मार्किस्ट लेनिनिस्ट) एस. एम. सिंह चन्द्र पुल्ला रेड्डी ग्रुप

18. दी आध्रप्रेदश कम्युनिस्ट कमेटी (रिवूलेशिनरी) (टी. नागरेड्डी ग्रुप)
19. कम्युनिस्ट पार्टी (मार्किस्ट लेनिनिस्ट) सुनीति घोष शर्मा फेक्शन)
20. ईस्टर्न इण्डिया जोनल कन्सालिडेशन आफ कमेटी दी कम्युनिस्ट पार्टी (मार्किस्ट लेनिनिस्ट)
21. दी माउइस्ट कम्युनिस्ट सेन्टर
22. दी मुक्ति युद्ध ग्रुप
23. युनिटी सेन्टर आफ कम्युनिस्ट रियूलेशिनरी आफ इण्डिया (मार्किस्ट लेनिनिस्ट)
24. सेन्टर आफ इण्यिन कम्युनिस्ट
25. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ.
26. जमाल-ए-इस्लामी-ए-हिन्द.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
हस्ता./-
एम. एम. खार,
सचिव.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

डी. क्रमांक 800-1267-1 (3) भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर, 1975

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय सेवकों के प्रदर्शन, जुलूस, हड़ताल आदि पर प्रतिबंध.

शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कोई भी शासकीय कर्मचारी भविष्य में किसी भी प्रदर्शन, जुलूस, हड़ताल आदि की कार्यवाही में भाग न लें. इस आदेश के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी.

2. शासन के इन आदेशों की सूचना सभी कर्मचारियों को कृपया दी जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
हस्ता./-
(बल्देव सिंह)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

डी. क्र. 801/1267/1 (3), भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर, 1975

प्रतिलिपि :

1. निबन्धक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर
   सचिव, राज्य सकर्तता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल
3. अवर सचिव (स्थापना)/अवर सचिव (अधीक्षण)/लेखा अधिकारी, मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल
4. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रीगण/समस्त राज्य मंत्रीगण/समस्त उप-मंत्रिगण के निजी सचिव/निजी सचिव/निजी सहायक

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
अवर सचिव.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
ज्ञापन

क्रमांक 256/मुस/76 — भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल, 1976-19 चैत्र 1898

प्रति,

राज्य शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र.
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्‌घाटन/अनावरण/शिलान्यास बाबत्.

शासन ने यह निर्णय लिया है कि कोई भी शासकीय अधिकारी किसी प्रकार का उद्‌घाटन/अनावरण/शिलान्यास नहीं करेंगे. यदि इन कार्यों के लिये किसी शासकीय अधिकारी को आमंत्रित किया जाता है तब उसे चाहिए कि वह आमंत्रण को स्वीकार न करे. उद्‌घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि कार्यों को अशासकीय कार्यकर्ता द्वारा ही संपादित करना है. इसी प्रकार सार्वजनिक कार्यक्रमों में विशेष अथवा अध्यक्ष बनने के आमंत्रणों को भी शासकीय अधिकारियों द्वारा स्वीकार नहीं करना है. इस प्रकार के कार्यक्रमों में अधिकारी केवल सम्मिलित हो सकते हैं. जो अतिथि शासकीय कर्मचारियों के लिये दर्शाया गया है वह उनकी पत्नियों के लिये भी लागू होता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
हस्ता./-
(सुशीलचन्द्र वर्मा)
मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एफ क्रमांक 5-6/77/3/1, भोपाल, दिनांक 4 जुलाई, 1977 13 आषाढ़ 1899

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय सेवकों द्वारा अपने स्थानान्तर, पदस्थापना, इत्यादि के लिये राजनीतिज्ञों द्वारा प्रभाव डलवाना.

शासन द्वारा यह महसूस किया जा रहा है शासकीय सेवकों अपने सेवा संबंधी निजी मामलों जैसे पदोन्नतियां, स्थानान्तरण, पदस्थापना इत्यादि को अपने हित में निपटवाने के लिये अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर राजनीतिज्ञों या अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा प्रभाव डलवाने की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ती चली जा रही है. यदि समय रहते इस प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगाई गई तो इसमें संदेह नहीं है कि शासकीय सेवकों में अनुशासन कायम रखना कठिन हो जाएगा. अतः, शासन द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि यदि शासकीय सेवक अपने स्थानान्तर, नियुक्ति, पदोन्नति एवं सेवा संबंधी अन्य मामलों के विषय में विधायकों, संसद सदस्यों तथा अन्य महत्वपूर्ण गैर-सरकारी व्यक्तियों की मदद लेते हैं या उनके माध्यम से अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर प्रभाव डलवाने का प्रयत्न करते हैं, तो इस प्रकार की कार्यवाही को कदाचरण माना जाएगा और संबंधित शासकीय सेवक के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाएंगे.

2. आपसे निवेदन है कि अपने अधीन सभी शासकीय सेवकों को शासन के उपुर्यक्त निर्णय से अवगत कराएं एवं इस आदेश के उल्लंघन करने वाले शासकीय सेवक के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने में किसी प्रकार की ढिलाई न बरतें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(व्ही. जी. निगम)
विशेष सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

एफ. क्र. 5-6/77/3/1 भोपाल, दिनांक 4 जुलाई, 1977 13 आषाढ़ 1899

प्रतिलिपि :

1. निबन्धक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर
   सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. राज्यपाल के सचिव,
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल
3. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रीगण/समस्त राज्य मंत्रीगण के निज सचिव

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(के. एन. श्रीवास्तव)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एफ क्रमांक 5-6/77/3/1 भोपाल, दिनांक 29 जुलाई, 1979

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय सेवकों द्वारा अपने स्थानान्तर, पदस्थापना, इत्यादि के लिये राजनीतिज्ञों द्वारा प्रभाव डलवाना.

संदर्भ :— इस विभाग का दिनांक 4 जुलाई, 1977 का ज्ञापन एफ. क्रमांक 5-6/77/3/1.

उपर्युक्त ज्ञापन में शासकीय सेवकों को अपने स्वयं के सेवा संबंधी मामलों को अपने इच्छानुसार निपटवाने के लिये राजनीतिक प्रभाव डलवाने पर उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने का निदेश दिया गया है. शासन के ध्यान में एक ऐसा प्रकरण लाया गया है कि उपर्युक्त ज्ञापन का गलत अर्थ लगाकर व्यथित शासकीय सेवक को दंडित करने की कार्यवाही की जा रही है. प्रकरण इस प्रकार का है कि एक पटवारी की सेवाएं समाप्त की गई थी. उस पटवारी द्वारा न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया जिसमें न्यायालय ने उसकी सेवा समाप्ति के आदेश को अवैध घोषित कर उसे सेवा में वापस लेने का निर्णय दिया. इस निर्णय के फलस्वरूप जिलाध्यक्ष द्वारा न्यायालय के निर्णय अनुसार उस पटवारी को पुनः सेवा में वापस लेने के आदेश निकाले गये. तहसीलदार द्वारा इस आदेश को महत्व नहीं देते हुए उस पटवारी को सूचित किया गया कि उसका मामला शासन के समक्ष विचाराधीन है अतः उसे कर्त्तव्य पर नहीं माना जा सकता एवं उसे नियुक्त करने का तब तक प्रश्न नहीं उठता जब तक शासन द्वारा इस पर निर्णय नहीं लिया जाता. इस प्रकार उसे तीन चार माह तक प्रतीक्षा करने पर भी नियुक्ति नहीं देने पर उसने अपने क्षेत्र के संसद सदस्य को अपनी सेवा का वृतांत लिखकर सहायता करने का निवेदन किया. संसद सदस्य द्वारा जिलाध्यक्ष को इस मामले की जांच कर उसके परिणाम से उन्हें अवगत कराने का निवेदन पत्र द्वारा किया गया गया. इस पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस विभाग के उपर्युक्त ज्ञापन में उल्लिखित अनुदेश के उल्लंघन करने के आरोप पर उस पटवारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ कर दी गई.

2. उपुर्यक्त प्रकार की कार्यवाही इस विभाग के उपर्युक्त ज्ञापन में निहित भावना के अनुकूल नहीं है. उस पटवारी ने अपने स्थानान्तर, पदोन्नति के लिये संसद सदस्य की सहायता नहीं मांगी थी. उसकी पुनः पदस्थाना के आदेश जारी होने के तीन चार माह व्यतीत होने के बाद भी ड्यटी पर नहीं लेने के कारण उसे संसद सदस्य को शरण लेनी पड़ी, जबकि वह करीबन 10 वर्षो से सेवा से अलग कर दिया गया था. उसकी स्थिति में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की कार्यवाही करता, जबकि उसे अपने मामले में संबंधित अधिकारियों से कोई सहायता मिलने की आशा नहीं थी. अतः, शासन द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त प्रकार के मामलों में यदि किसी शासकीय सेवक के बारे में कोई संसद सदस्य या विधायक संबंधित अधिकारी से जांच करने का निवेदन करता है तो उसे उस शासकीय सेवक का कदाचरण नहीं माना जा सकता. शासन चाहता है कि विभाग द्वारा निकाले गये अनुदेश को उसकी भावना के अनुसार शासकीय सेवकों पर लागू किया जाए.

हस्ता./-
(व्ही. जी निगम)
विशेष सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

क्र. एफ. 5-6/77/3/1 भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 1977

प्रतिलिपि :

1. निबन्धक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर
   सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. राज्यपाल के सचिव,
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल
3. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रीगण/समस्त राज्य मंत्रीगण के निज सचिव

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(के. एन. श्रीवास्तव)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एफ क्रमांक 5-1/77/3/1

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 1977
9 आश्विन 1899

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय :—अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के साथ शासकीय सेवकों का व्यवहार.

शासन के ध्यान में यह आया है कि यद्यपि कानून के द्वारा के समाज से अस्पृश्यता समाप्त की जा चुकी है फिर भी प्रायः यह देखा जाता है कि व्यवहारिक रूप में अभी भी पिछड़े जाति के व्यक्तियों के साथ पूर्ण रूप से समानता का व्यवहार नहीं होता है? इस प्रकार के भेदभाव को दूर करने में शासकीय सेवक महत्वूर्ण भूमिका निभा सकते है. यदि शासकीय सेवक अपने व्यवहार में पिछड़े जातियों के व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार करें तो अन्य व्यक्तियों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी और इस सामाजिक बुराई को जल्दी समाप्त किया जा सकेगा.

2. जब भी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी, जिनके कार्य का संबंध हरिजन तथा पिछड़ी जातियों के व्यक्तियों के साथ किसी न किसी रूप में आता है, ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय दौरे पर जाते है. तो उनका एक महत्वपूर्ण कर्तव्य यह होगा कि उन्हें हरिजन तथा पिछड़ी जाति के व्यक्तियों की बस्तियों में जाकर मौके पर ही उनसे मिल कर उनकी समस्याओं का अध्ययन करना चाहिए और उनके निवारण के लिये तुरन्त आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए.

3. शासकीय सेवकों को शासकीय दौरे में जब भी जनता से किसी जन कार्य के संबंध में विचार विमर्श या चर्चा करना पड़े, या जब भी वहां की जनता उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर सहायतार्थ आएं तब उन्हें इस बात को और विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हरिजनों एवं पिछड़ी जाति के जो व्यक्ति आते है उनके साथ वे समानता का व्यवहार करें तथा उन्हें भी अन्य नागरिकों के साथ समानता से बैठने के लिये प्रोत्साहित करें जिससे वहां उनके विरुद्ध किसी प्रकार की हीन भावना परिलक्षित न हो.

4. शासन सभी शासकीय सेवकों से यह अपेक्षा करता है कि वे अपने व्यवहार से अस्पृश्यता के सामाजिक कलंक को समाप्त करने के लिये किसी प्रकार की कोई कसर उठा नहीं रखेंगे तथा इस विषय पर शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त अनुदेशों का उनकी भावना के अनुरूप कड़ाई से पालन करते रहेंगे.

हस्ता./-
(शशांक मुकर्जी)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

एफ. क्र. 5-1/77/3/1

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 1977
9 आश्विन 1899

प्रतिलिपि :

1. निबन्धक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर
   सचिव, राज्य सकर्तता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. राज्यपाल के सचिव
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल
3. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रीगण/समस्त राज्य मंत्रीगण के निज सचिव

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(के. एन. श्रीवास्तव)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 171/52/1(3)/81 भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 1981

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय सेवकों के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा जमाएत-ए-इस्लामी के कार्यकलापों में भाग लेने के संबंध में.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 5 के उप नियम (1) में यह व्यवस्था है कि कोई भी शासकीय सेवक, किसी राजनैतिक दल या किसी ऐसे संगठन का, जो राजनीति में भाग लेता हो, न तो सदस्य होगा, न उससे अन्यथा संबंध रखेगा और न वह किसी राजनैतिक आन्दोलन या कार्यकलाप में भाग लेगा न उसकी सहायतार्थ चन्दा और न किसी अन्य रीति से उसकी सहायता करेगा. इस संबंध में आपका ध्यान इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2904/3763/1(3)66, दिनांक 23 दिसम्बर 1966 में दिये गये निर्देशों की ओर आकृष्ठ किया जाता है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि शासकीय सेवकों द्वारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा जमाएत-ए-इस्लामी जैसी संस्था के कार्यकलापों में भाग लेना या उससे किसी रूप में सहयोग करना मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उक्त प्रावधान का उल्लंघन माना जाएगा तथा वह अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिये भागी होगा.

2. राष्ट्र में अभी जो परिस्थितियां विद्यमान है, उसके संदर्भ में यह और भी आवश्यक हो जाता है कि शासकीय सेवकों का दृष्टिकोण धर्म निरपेक्ष हो. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि साम्प्रदायिकता तथा जातिवाद की ओर झुकाव की प्रवृत्ति को समाप्त करने की आवश्यकता आज कितनी अधिक है.

3. शासन तथा उसके अधिकारी, स्थानीय संस्थाएं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा साम्प्रदायिकता के आधार पर प्राप्त याचिकाओं अथवा अभ्यावेदनों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए तथा किसी भी साम्प्रदायकि संगठन को किसी प्रकार का प्रश्रय नहीं देना चाहिए.

4. आपसे निवेदन है कि आप अपने अधीनस्थ शासकीय कर्मचारियों को विशेष तौर पर कंडिका 1 में दिये गये अनुदेश से पुन: अवगत करा दें. इनके साथ इस बात की भी आवश्यकता है कि उक्त हिदायतों के उल्लंघन को शासकीय सेवक द्वारा गंभीर अनुशासनहीनता की कार्यवाही मानते हुए उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(एस. के. चतुर्वेदी)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

क्र. 172/52/1(3)/81 भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 1981

प्रतिलिपि :

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर
   सचिव, राज्य सकर्तता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. राज्यपाल के सचिव
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल
3. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रीगण/समस्त राज्य मंत्रीगण के निज सचिव

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./–
(के. एन. श्रीवास्तव)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

डी. क्रमांक 173/165/1(3) 81 भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल, 1981

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय कर्मचारियों को ''आनन्द मार्ग'' के कार्यकलापों के साथ साहचर्य.

आपका ध्यान मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1965 के नियम 5 के उप नियम (1) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अधीन कोई भी शासकीय सेवक किसी राजनीतिक दल या राजनीति में भाग लेने वाले किसी संगठन का न तो सदस्य होगा और न उससे कोई संबंध ही रखेगा और न वह किसी राजनीतिक आन्दोलन या कार्य में भाग लेगा और न उसकी सहायतार्थ चन्दा और न किसी अन्य रीति में उसे सहायता देना. उक्त नियम के नियम 5 (3) के अधीन, यदि इस संबंध में कोई प्रश्न उठे कि कोई दल राजनीतिक दल है या ऐसा कोई संगठन है जो राजनीति में भाग लेता है, इस नियम के अंतर्गत राज्य शासन ही इस वाद-विषय का निर्णय कर सकता है. इस नियम के अनुसरण में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई शासकीय सेवक ''आनन्द मार्ग'' या इससे किसी भी संबंधित संगठन की सदस्यता या कार्यकलापों की गतिविधियों में भाग लेता है तो वह अनुशासनिक कार्यवाही का भागी होगा. ''आनन्द मार्ग'' में संबंधित संगठनों की सूची संलग्न है.

2. आपसे निवेदन है कि शासन के उपर्युक्त अनुदेश से आप अपने अधीन समस्त शासकीय सेवकों को अवगत कराने का कष्ट करें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(बी. जे. हीरजी)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृष्ठांकन क्र. 174/165/1(31)/81 भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 1981

प्रतिलिपि :

1. रजिस्टार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर
   सचिव, राज्य सकर्तता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. राज्यपाल के सचिव

सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल

3. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रीगण/समस्त राज्य मंत्रीगण के निज सचिव

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(के. एन. श्रीवास्तव)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

अनुलग्नक

1. व्ही. एस. एस. (व्हालंटियर सोसियल सर्विस)
2. अमरा बंगाली
3. दि प्रोग्रेसिव फेडरेशन आफ इंडिया
4. दि प्राउटिस्ट फोरम आफ इंडिया
5. अंगिका समाज
6. प्रगतिशील मगही समाज
7. नागपुरी समाज
8. मैथिली समाज
9. प्रगतिशील भोजपुरी समाज
10. अवधी समाज
11. ब्रज समाज
12. बुंदेली समाज
13. गढ़वाली समाज
14. कुमायुनो समाज
15. प्रगतिशील हरयाणा समाज
16. असी पंजाबी
17. प्राउटिस्ट लीग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 2259/1665/1(4)/81 — भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 1981

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि के संबंध में.

संदर्भ.—सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक—

(1) क्रमांक 6644/748/1(5) 69, दिनांक 16 अप्रैल, 1969.

(2) मुख्य सचिव का अर्द्धशासकीय पत्र क्र. 1796/मुस/73, दिनांक 7 दिसम्बर, 1973.

(3) ज्ञापन क्र. 256/मु.स./76, दिनांक 8 अप्रैल, 1976.

(4) क्रमांक 2851-1(4) 79, दिनांक 5 मई, 1979.

शासन के ध्यान में यह बात आयी है कि कतिपय अधिकारी अभी भी उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि करने के निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं और उनके द्वारा ये कार्य किये जाते हैं. उपर्युक्त संदर्भ में दर्शाये गये ज्ञापन एवं मुख्य सचिव के अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा स्पष्ट अनुदेश जारी किये गये हैं कि यदि कोई भी शासकीय अधिकारी किसी प्रकार के उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास नहीं करेंगें और इस प्रकार के कार्यक्रमों में विशेष अतिथि या अध्यक्ष भी नहीं बनेंगे. वे केवल ऐसे कार्यक्रमों में सम्मिलित हो सकते हैं, ये अनुदेश शासकीय अधिकारियों की पत्नियों पर भी लागू होते हैं. शासन इन अनुदेशों को पुनः दोहराना चाहता है और समस्त अधिकारियों को सूचित करना चाहता है कि यदि इन अनुदेशों की कोई अवहेलना हो तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी.

हस्ता./-
(वी. जे. हीरजी)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एम. 23-27/81/4/1 भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 1981

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्‌घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि के संबंध में.

संदर्भ.—सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक—

(1) क्रमांक 6644/748/1(3) 69, दिनांक 16 अप्रैल, 1969.

(2) मुख्य सचिव का अर्द्धशासकीय पत्र क्र. 1796/मुस/73, दिनांक 7 दिसम्बर, 1973.

(3) ज्ञापन्न क्र. 256/मु.स./76, दिनांक 8 अप्रैल, 1976.

(4) क्रमांक 2851-1(4) 79, दिनांक 5 मई, 1979.

(5) क्रमांक 2259/1665/1(4)/81, दिनांक 23 अप्रैल, 1981.

शासन के ध्यान में यह बात आयी है कि कतिपय अधिकारी एवं उनकी पत्नियां सार्वजनिक समारोहों में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रण स्वीकार कर लेते है और उनके द्वारा उद्‌घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि के कार्य किये जा रहे हैं जबकि इस संबंध में, संदर्भ में दर्शाये गये ज्ञापनों में स्पष्ट अनुदेश जारी किये गये है कि कोई भी शासकीय अधिकारी या उसकी पत्नी किसी प्रकार का उद्‌घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि नहीं करेंगें. शासन इन अनुदेशों को पुनः दोहराना चाहता है और समस्त अधिकारियों को सूचित करना चाहता है कि यदि इन अनुदेशों की कोई अवहेलना होगी तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी.

हस्ता./-
(एस. के. चतुर्वेदी)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एफ क्र. सी-5-1-83-3-एक

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 1983

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय :—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965—नियम 19(4)—अचल सम्पत्ति का विशेष विवरण (Special Return) प्रस्तुत करने के संबंध में.

यह सामान्य धारणा है कि कुछ शासकीय सेवक अपनी ज्ञात आय के अनुपात से अधिक सम्पत्ति अर्जित कर लेते है. यह स्थिति बिलकुल असंतोषजनक है. क्योंकि इससे शासकीय सेवाओं के प्रति यह धारणा बनती है कि उनमें काफी मात्रा में भ्रष्टाचार व्याप्त है. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19 में प्रावधान है कि शासकीय सेवकों को प्रतिवर्ष अचल सम्पत्ति के संबंध में पूर्ण विवरण (Return) प्रस्तुत करना चाहिए. वरिष्ठ शासकीय सेवकों को छोड़कर, अधिकतर शासकीय सेवक इन विवरणों (Returns) को नहीं भरते हैं और न ही इनकों नियमित रूप से प्राप्त करने तथा जांच करने के लिये कोई युक्तियुक्त प्रथा ही है. इन्हीं परिस्थितियों को दृष्यिगत रखते हुए शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :—

(1) उपरोक्त नियमों के नियम 19(4) के अनुसरण में राज्य शासन यह निर्देश देता है कि अध्यापकगण (Teachers), लिपिकीय सेवाओं में संलग्न तृतीय श्रेणी के कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर समस्त शासकीय सेवक उनके द्वारा 31 मार्च, 1983 को धारित अचल सम्पत्ति के संबंध में एक विशेष विवरण (Special Return) प्रस्तुत करेंगे. उक्त नियम के अधीन तैयार किया गया विशेष विवरण का प्रपत्र संलग्न है. यह विवरण दिनांक 31 दिसम्बर, 1983 तक निश्चित रूप से, कर्मचारियों द्वारा उनके लिये निर्दिष्ट नीचे दर्शाये गये अधिकारियों को प्रस्तुत किया जाये :—

(क) जिला स्तरीय एवं इससे निम्न स्तर के कार्यालयों/स्थापनाओं में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा विवरण अपने कार्यालय/स्थापना प्रमुख को प्रस्तुत किया जायेगा, ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि प्रस्तुत विवरण जिले के जिलाध्यक्ष को निर्धारित तिथि के पूर्व प्राप्त हो जाएं.

(ख) संभागीय स्तर के कार्यालयों/स्थापनाओं में कार्यरत शासकीय सेवक अपने विवरण, कार्यालय/स्थापना प्रमुख के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे जो कि आयुक्त को निर्धारित तिथि के पूर्व निश्चित रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए.

(ग) विभागाध्यक्ष अथवा राज्य शासन के कार्यालयों/स्थापनाओं में कार्यरत शासकीय सेवक अपने विवरण कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करेंगे जिससे कि वे संबंधित सचिव/विभागाध्यक्ष को निश्चित रूप से निर्धारित तिथि के पूर्व प्राप्त हो जाएं.

(2) इन विशेष विवरणों (Special Returns) पर जो कार्यवाही की जाना है उसके संबंध में निर्देश अतिशीघ्र अलग से प्रसारित किये जायेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
हस्ता./-
(नन्हे सिंह)
विशेष सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

एफ. क्र. सी-5-1-83-3-एक

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर, 1983

प्रतिलिपि :

1. निबन्धक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर,
   लोकायुक्तत, मध्यप्रदेश, भोपाल,
2. राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव.
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल,
3. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रीगण/समस्त राज्य मंत्रीगण/समस्त उप-मंत्रिगण के निज सचिव/निजी सहायक,
4. सचिव/विशेष सचिव/उपसचिव (समस्त), सामान्य प्रशासन विभाग

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

(के. एन. श्रीवास्तव)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

फार्म

दिनांक 31-3-83 को धारित अचल सम्पत्ति का विशेष विवरण

1. अधिकारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ....

2. वर्तमान धारित पद .... 3. प्रथम नियुक्ति का पद एवं दिनांक ....

3. प्रथम नियुक्ति के समय कुल वेतन .... 5. वर्तमान पद का कुल वेतन ....

उस जिले, उपसंभाग, तहसील तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो.	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		संपत्ति अर्जित करने का दिनांक व उसका उस समय मूल्य	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से, अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा.
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि (आवासीय प्लाट एवं कृषि भूमि)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

यदि विरासत में नहीं है तो शासन को सूचना देने/अनुमति प्राप्त करने का दिनांक	यदि विरासत या भेंट नहीं है तो उसके लिये लगाए गए वित्तीय साधनों का पूर्ण विवरण (जिनसे नगद ऋण या भेंट ली है उनका पूरा पता दिया जाए)	यदि संपत्ति में कोई सुधार/विस्तार किया गया है तो उसकी लागत एवं वित्तीय साधनों का विवरण	क्या सुधार/विस्तार के लिये शासन को नियमानुसार सूचित किया गया या अनुमति ली गई	संपत्ति से वार्षिक आय	यदि संपत्ति को बेचा या हस्तांतरित किया गया है तो उसके पूर्ण विवरण	अभ्युक्ति
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

** ऐसे मामले में, जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए.
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक सी-3-30/84/3/1 भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 1984

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय सेवकों को शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने हेतु अनुमति प्रदान करने बाबत्.

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के परिपत्र क्रमांक 9019-5116-1(3), दिनांक 8-7-1957 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि शासकीय कर्मचारियों को शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने के लिये पूर्व में जो 10 प्रतिशत कर्मचारियों को अनुमति दिये जाने का प्रावधान था उसे बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जाय. अन्य निर्धारित शर्तें पूर्ववत ही रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
हस्ता./-
(के. एन. श्रीवास्तव)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. सी-3-30/84/(3) 1 भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर, 1984

प्रतिलिपि :

1. निबन्धक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर,
   सचिव, लोकायुक्त, म. प्र., भोपाल,
   सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल,
2. राज्यपाल के सचिव,
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल,
3. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रीगण/समस्त राज्य मंत्रीगण/समस्त उप-मंत्रिगण के निज सचिव/निज सहायक.
4. सचिव/विशेष सचिव/उपसचिव (समस्त), सामान्य प्रशासन विभाग,
   अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्यलेखाधिकारी, म. प्र. सचिवालय, भोपाल.
5. अध्यक्ष, राजपत्रित अधिकारी संघ/म. प्र. तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ/लघु वेतन कर्मचारी संघ.

हस्ता./-
(आर. सी. श्रीवास्तव)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एम.-19-95/87/1/4 भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल, 1987

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि करना तथा स्वयं का प्रचार कराना.

शासन के निर्देशों के अनुसार कोई भी शासकीय अधिकारी किसी प्रकार का उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास नहीं करेंगे, किसी कार्यक्रम में विशेष अतिथि या अध्यक्ष नहीं बनेंगे तथा व्यक्तिगत प्रशंसा के प्रचार से दूर रहेंगे.

2. उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिये जौर दिया जाता है. शासन अपने पूर्व के अनुदेशों को पुनः दोहराते हुए, अपने अधिकारियों से अपेक्षा करता है कि वे उक्त निर्देशों का पूर्ण कठोरता से पालन करें.

3. उक्त अनुदेश शासकीय अधिकारियों की पत्नियों पर लागू होते हैं.

हस्ता./-
(रघुनाथ प्रसाद)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एम.-19-69/88/1/(4) भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 1988

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि करना तथा स्वयं का प्रचार करना.

उपरोक्त विषय पर शासन द्वारा अनेकों बार आदेश प्रसारित किये गये हैं व अंतिम आदेश क्रमांक एम.-19-95/87/1/4, दिनांक 23 अप्रैल, 1987 जारी किया गया है. जिसकी प्रति संलग्न है.

2. इसके बावजूद ऐसे प्रकरण सामने आ रहे हैं जहां इन आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है. मुख्यमंत्रीजी ने इन आदेशों के उल्लंघन को गंभीर रूप से लिया है व आदेशित किया है कि इन आदेशों का कड़ाई से पालन करने हेतु समस्त अधिकारियों को आदेश दिये जावें.

3. अतः स्पष्ट किया जाता है कि इन आदेशों का उल्लंघन होने पर शासन कड़ा रूख अपनायेगा.

हस्ता./-
(विनय शंकर)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग

क्रमांक सी–3–16/88/3/49 भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 1988

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय कर्मचारियों को बहुजन समाज पार्टी बामसेफ डी. एफ–4 के कार्यकलापों के साथ साहचर्य.

आपका ध्यान मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 5 के उप नियम (1) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अधीन कोई भी शासकीय सेवक किसी राजनीतिक दल या राजनीति में भाग लेने वाले किसी संगठन का न तो सदस्य होगा और न उससे कोई संबंध ही रहेगा और न वह राजनीति आन्दौलन या कार्य में भाग लेगा और न उसकी सहायतार्थ चन्दा और न किसी अन्य रीति में उसे सहायता देगा. उक्त नियम के नियम 5(3) के अधीन, यदि इस संबंध में कोई प्रश्न उठे कि कोई दठ्ठ राजनीतिक दल है या ऐसा कोई संगठन है जो राजनीति में भाग लेता है, इस नियम के अंतर्गत राज्य शासन ही इस विषय पर निर्णय ले सकता है. इस नियम के अनुसरण में यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई शासकीय सेवक बहुजन समाज पार्टी बामसेफ डी. एफ–4 या इससे संबंधित किसी भी संगठन की सदस्यता, कार्यक्रम या कार्यकलापों की गतिविधियों में भाग लेता है तो वह अनुशीसमिक कार्यवाही का भागी होगा.

2. आपसे निवेदन है कि शासन के उपर्युक्त अनुदेश से आप अपने अधीन समस्त शासकीय सेवकों को अवगत कराने का कष्ट करें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
हस्ता./–
(के. एन. श्रीवास्तव)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग.

पृष्ठांकन क्र. सी–3–16/88/3/49 भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 1988

प्रतिलिपि :

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर,
   सचिव, राज्य सकर्तता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.
2. राज्यपाल के सचिव
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल
3. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रीगण/समस्त राज्य मंत्रीगण के निज सचिव.

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./–
(के. एन. श्रीवास्तव)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग

एफ. क्रमांक सी-4-1/90/3/49 भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 1990

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय सेवा में नियुक्ति-कर्मचारियों से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-23 के अंतर्गत वचन-पत्र लेना.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का मादक पेयों तथा औषधियों के उपयोग के निषेध संबंधी नियम-23 निम्नानुसार है :—

(क) मादक पेयों या औषधियों संबंधी किसी विधि की, जो किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवृत्त हो, जिसमें कि वह तत्समय हो, सम्यक रूपेण पालन करेगा;

(ख) अपने कर्तव्यों का पालन करते समय कोई मादक पेय या औषधि नहीं पियेगा, और न उसके प्रभाव में रहेगा;

(ग) किसी सार्वजनिक स्थान में नशे की हालत में उपस्थित नहीं होगा;

(घ) किसी मादक पेय या औषधि का अभ्यासतः भी उपयोग नहीं करेगा.

2. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उपर्युक्त नियम की भावना के अनुरूप राज्य शासन द्वारा अब यह और निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन की विभिन्न सेवाओं के (जिन पर ये आचरण नियम लागू हैं) विभिन्न पदों पर नियुक्ति के पश्चात् संबंधित शासकीय सेवकों से संबंधित विहित प्राधिकारियों द्वारा इस आशय का घोषणा-पत्र (संलग्न प्रपत्र के अनुसार) लिया जाए कि वे सार्वजनिक रूप से एवं अपने पद के कर्तव्यों के निर्वहन की अवधि में मद्यपान नहीं करेंगे.

3. उपर्युक्त निर्देशों से आप अपने अधीनस्थ कार्मिकों को अवगत करायें तथा घोषणा पत्र प्राप्त कर, उनकी गोपनीय चरित्रावलियों में संलग्न करें.

4. कृपया इस पत्र की प्राप्ति की रसीद मेरे नाम से, इस पत्र का संदर्भ देते हुए मुझे भेजें और इन निर्देशों का पालन सम्पूर्ण हो जाने पर एक सम्पूर्ण पालन प्रतिवेदन भी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(इकबाल अहमद)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग.

पृष्ठांकन एफ. क्र. सी–4–1/90/3/49 भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 1990

प्रतिलिपि :

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
   लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
   सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल.
2. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश, राजभवन, भोपाल.
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल.
3. मुख्य मंत्रीजी/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक की ओर सूचनार्थ.
4. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग.
5. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल
6. अध्यक्ष, व्यावसायिक प्रवेश परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण एवं महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर.
8. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./–
(ओ. एन. शर्मा)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग.

घोषणा-पत्र

मैं यह घोषणा करता हूं कि मैं, सार्वजनिक रूप से एवं अपने पद के कर्तव्यों के निर्वहन की अवधि में मद्यपान नहीं करूंगा.

हस्ताक्षर ....

नाम ....

स्थान ....

पद ....

दिनांक . . . .

विभाग ....

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक सी-12-24/91/3/1 भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 1992

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :— शासकीय सेवकों, परिवार के सदस्यों, उनके रिश्तेदारों द्वारा शासकीय आवास गृहों में व्यवसाय करने पर प्रतिबंध.

शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कतिपय शासकीय अधिकारी/कर्मचारी अथवा उनके परिवार के सदस्य शासकीय सेवक को आवंटित शासकीय आवास गृहों में वाणिज्यिक कार्य संचालित कर रहे हैं. यह अत्यन्त आपत्तिजनक है तथा आलोचना का विषय बनता है. शासकीय आवास शासकीय सेवक और उनके परिवार के रहने के लिये है न कि वाणिज्य के प्रयोजन के लिये. शासकीय आवास गृह आवंटित करने के पीछे शासन का यह उद्देश्य रहता है कि शासकीय सेवकों को यथासमय उचित सुविधाजनक शासकीय आवास गृह आवंटित होने पर उनकी कार्यक्षमता बढ़ सके. शासकीय आवास गृहों में वाणिज्यिक कार्य का संचालन करना आवंटित किये गये आवास गृह का दुरूपयोग है.

अतः शासन ने यह निर्णय लिया है कि अगर कोई शासकीय सेवक परिवार के सदस्य अथवा उनके रिश्तेदार शासकीय सेवक को आवंटित शासकीय आवास गृहों में वाणिज्यिक कार्य का संचालन करते हैं तो इस कृत्य को संबंधित शासकीय सेवक द्वारा आचरण नियम का किया गया उल्लंघन माना जाएगा. ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे.

हस्ता./-
(ओम प्रकाश मेहरा)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. सी-12-24-91/3/1 भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 1992

प्रतिलिपि :

1. निबन्धक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
   लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर
   सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
3. मुख्य मंत्रीजी/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक
4. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
5. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश, सचिवालय
6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर
8. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(यू. एस. बिसेन)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ. सी-5-2/92/3/1 भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 1992

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का अद्यतन संशोधित संस्करण निकाला जाना.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 की अद्यतन संशोधित प्रति उपलब्ध न होने के कारण प्रकरणों के निराकरण में अनुभव की गई कठिनाईयों को देखते हुए उक्त नियमों की अद्यतन संशोधित प्रति आपके कार्यालय के उपयोग हेतु भेजी जा रही है.

संलग्न.—उपरोक्तानुसार-1

हस्ता./-
(यू. एस. बिसेन)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. एफ. सी-3/92/3/1 भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 1992

प्रतिलिपि :

1. निबन्धक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
   लोकायुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल.
   सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड, मध्यप्रदेश, इन्दौर
   सचिव, राज्य सकर्तता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल
3. मुख्य मंत्रीजी/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक
4. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
5. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश सचिवालय
6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण महाधिवक्ता, जबलपुर, मध्यप्रदेश,
8. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(यू. एस. बिसेन)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एम. 19-58/92/1/4

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 1992

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि करना तथा स्वयं का प्रचार करना.

संदर्भ.—इस विभाग का ज्ञापन—
(1) क्रमांक एम-19-95/87/1/4, दिनांक 23 अप्रैल, 1987 एवं
(2) क्रमांक एम-19-69/88/1/4, दिनांक 7 अप्रैल, 1988.

शासन के उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार कोई भी शासकीय अधिकारी किसी प्रकार का उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास नहीं कर सकते, किसी कार्यक्रम में विशेष अतिथि या अध्यक्ष नहीं बन सकते. यह अपेक्षित है कि वे व्यक्तिगत प्रशंसा के प्रचार से दूर रहेंगे.

2. उपरोक्त निर्देशों के बावजूद, शासन के ध्यान में कुछ ऐसे प्रकरण आये हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि इन आदेशों को नजरअंदाज किया जा रहा है.

3. शासन पूर्व के अनुदेशों को दोहराते हुए, सभी शासकीय सेवकों को निर्देशित करता है कि उक्त निर्देशों का पूर्ण कठोरता से पालन किया जाए.

4. इन आदेशों का उल्लंघन होने पर शासन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ा रूख अपनाएगा.

हस्ता./-
(सुषमा नाथ)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक सी-5-5/92/3/1 भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 1992

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के सदस्यों द्वारा निजी व्यापार या नौकरी करने की सूचना देने के संबंध में.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 16(2) में यह प्रावधान है कि "प्रत्येक शासकीय सेवक शासन को रिपोर्ट करेगा, यदि उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य व्यापार या कारोबार में लगा हो या किसी इन्श्यूरेन्श एजेन्सी या आढ़त कमीशन का स्वामित्व रखता हो या प्रबंध करता हो". इस नियम के उप नियम "1" की व्याख्या में यह भी "स्पष्ट किया गया है कि शासकीय सेवक द्वारा, उसकी पत्नी या उसके कुटुम्ब के किसी अन्य सदस्य के स्वामित्व की या उसके द्वारा प्रबंधित बीमा एजेन्सी आढ़त (कमीशन एजेन्सी) आदि के कारोबार के समर्थन में किया गया प्रचार इस उप नियम का उल्लंघन होगा".

2. शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कतिपय शासकीय सेवक पत्नी या अपने पुत्र/पुत्री के नाम से स्वयं व्यापार या व्यवसाय जिसमें बीमा एजेन्सी भी शामिल है, करते हैं. यह कृत्य आपत्तिजनक है. अत: आचरण नियमों के उपयुक्त प्रावधानों की ओर पुन: ध्यान आकर्षित करते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार नियमों के उल्लंघन करने वाले शासकीय सेवकों के विरुद्ध "म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत दण्ड देने की कार्यवाही की जाए.

3. शासन अपेक्षा करता है कि उपर्युक्त निर्देशानुसार कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित किया जाय.

हस्ता./-
(एम. एस. सिन्हा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. सी-5-5/92/3/1 भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 1992.

प्रतिलिपि :

1. निबन्धक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
   लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
   सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड, मध्यप्रदेश, भोपाल.
2. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल.
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल.
3. मुख्य मंत्रीज़ी/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक
4. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
5. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल.
6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल.
7. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
8. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल.

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(एम. एस. सिन्हा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक सी-5-2/93/3/1

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 1993

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय कर्मचारियों का प्रतिबंधित संगठनों के साथ साहचर्य.

आपका ध्यान मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-5 के उप नियम (1) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अधीन कोई भी शासकीय सेवक किसी राजनीतिक दल या राजनीति में भाग लेने वाले किसी संगठन का न तो सदस्य होगा और न उससे कोई संबंध ही रखेगा और न वह किसी राजनीतिक आन्दोलन या कार्य में भाग लेगा और न उसकी सहायतार्थ चंदा और न किसी अन्य रीति से उसे सहायता देगा. उक्त नियम के नियम 5(3) के अधीन, यदि इस संबंध में कोई प्रश्न उठे कि कोई दल राजनीतिक दल है या ऐसा कोई संगठन है जो राजनीति में भाग लेता है, इस नियम के अंतर्गत राज्य शासन ही इस विषय पर निर्णय ले सकता है.

2. उपर्युक्त उल्लेखित नियम के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया है कि कोई भी शासकीय सेवक भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित विधि विरुद्ध संगम जमात-ए-इस्लामी हिन्द, विश्व हिन्दू परिषद, इस्लामिक सेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एवं बजरंग दल या इससे संबंधित किसी भी संगठन की सदस्यता, कार्यक्रम या कार्यकलापों की गतिविधियों में भाग लेता है तो वह अनुशासनिक कार्यवाही का भागी होगा.

3. आपसे निवेदन है कि कृपया शासन के उपर्युक्त निर्देशों से आप अपने अधीन समस्त शासकीय सेवकों को अवगत करायें एवं उनका कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(एम. एस. सिन्हा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. सी-5-2/93/3/1

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 1993.

प्रतिलिपि :

1. निबन्धक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
   सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,
   सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर
   सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड, मध्यप्रदेश, भोपाल,
2. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल,
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल,
   राज्यपाल के सलाहकार के निज सचिव
3. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल
4. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण जबलपुर/भोपाल
5. महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
7. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल
8. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल.

की ओर सूचनार्थ, अग्रेषित.

हस्ता./-
(एम. एस. सिन्हा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक सी–5–1/93/3/1 भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 1993.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग.

विषय.—स्वायत्त संस्थाओं में आचरण नियम लागू करने बाबत्.
संदर्भ.—इस विभाग का ज्ञापन क्र. 28/511/49/3/89, दिनांक 1 मई, 89 एवं ज्ञाप क्र. सी–3–1/93/3/1, दिनांक 29 जनवरी 93.

उपर्युक्त विषयक इस विभाग के संदर्भित पत्रों द्वारा अपसे निवेदन किया गया था कि, ''मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965'' के प्रावधानों को आपके विभाग के अधीन आने वाले निगम, मंडल, विश्वविद्यालय आदि के कर्मचारियों को भी लागू करने के लिये विचार करें.

2. उपर्युक्त सन्दर्भ में शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि इस विभाग के उपर्युक्त उल्लेखित निर्देशों के बावजूद भी विभागों द्वारा उनके अधीन आने वाले निगम/मंडल/स्वायत्त शासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिये मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में निहित प्रावधानों को लागू करने के लिये पर्याप्त कार्यवाही नहीं की गई है. विभागों का इस उदासीनता को शासन ने गंभीरता से लिया है.

3. अत: आदेशानुसार विभागों से निवेदन है कि उनके अधीन आने वाले निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के लिये आचरण नियम लागू करने हेतु हरसंभव कारगर उपाय किये जाये एवं समय-समय पर इसकी समीक्षा करना भी विभागों का दायित्व है.

हस्ता./–
(यू. एस. बिसेन)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

<u>गोपनीय</u>

मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग

क्रमांक एफ-24-19/93/सी/1 भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 1993.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रतिबंधित संगठनों से संबंध रखने संबंधी शिकायतों की जांच एवं कार्यवाही.

जैसा कि आप अवगत हैं, 6 दिसम्बर 1992 को अयोध्या में विवादास्पद राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद ढांचे को गिराये जाने की घटना के बाद भारत सरकार, गृह मंत्रालय मे अनलॉफुल एक्टिविटी (प्रिवेंशन) एक्ट, 1967 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 10 दिसम्बर, 1992 को अधिसूचनाएं जारी कर राष्ट्रीय स्वयं संघ, विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल, जमायते इस्लामी हिन्द एवं इस्लामिक सेवक संघ को अनलॉफुल (विधि-विरुद्ध) संगठन घोषित किया था. तत्पश्चात् भारत सरकार द्वारा उक्त एक्ट की धारा 5(1) के अन्तर्गत नियुक्त न्यायाधिकरण ने विश्व हिन्दू परिषद एवं इस्लामिक सेवक संघ को विधि विरुद्ध घोषित करने संबंधी अधिसूचनाओं की पुष्टि कर दी. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एवं बजरंग दल को विधि-विरुद्ध संगठन घोषित करने संबंधी भारत सरकार की अधिसूचनाओं की पुष्टि नहीं की गई. इस प्रकार अब विश्व हिन्दू परिषद एवं इस्लामिक सेवक संघ विधि विरुद्ध संगठन है. इसी प्रकार यद्यपि जमायते इस्लामी हिन्द को विधि विरुद्ध संगठन घोषित करने संबंधी अधिसूचना के बारे में न्यायाधिकरण का निर्णय/आदेश अपेक्षित है. तथापि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक याचिका प्रकरण में दिये गये स्थगन आदेश के परिप्रेक्ष्य में जमायते इस्लामी हिन्द पर लगाया गया प्रतिबंध भी प्रभावशील है.

2. राज्य शासन को निरन्तर शासकीय सेवकों द्वारा उक्त प्रतिबंधित संगठनों से संबंध रखे जाने अथवा उनकी गतिविधियों में भाग लेने संबंधी शिकायतें प्राप्त होती रहती है. सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में पृथकशः निर्देश प्रसारित कर यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई शासकीय सेवक उक्त किसी भी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य रहता है, अथवा उनके कार्यक्रमों/कार्यकलापों/गतिविधियों में भाग लेता है तो यह मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 5 के उप नियम-1 का उल्लंघन माना जायेगा तथा ऐसा शासकीय सेवक अनुशासनिक कार्यवाही का भागी होगा. इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि शासकीय सेवकों का ऐसे किसी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होना अथवा उसकी बैठकों में भाग लेना या उसे चंदा देना या उसकी ओर से चंदा प्राप्त करना या चंदा मांगना अथवा उसके कार्यकलापों में अन्यथा सहायता करना अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट, 1967 की धारा 10 के अंतर्गत एक दण्डनीय अपराध भी है. अतः आप सुनिश्चित करें कि आपके अधीनस्थ कार्यरत कोई शासकीय सेवक उक्त प्रतिबंधित संगठनों अथवा उनके कार्यक्रमों/कार्यकलापों आदि से कोई संबंध नहीं रखेगा. यदि कोई शासकीय सेवक किसी प्रतिबंधित संगठन के कार्यक्रमों/कार्यकलापों में संलग्न पाया जाता है तो उनके विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जाये.

3. शासकीय सेवकों द्वारा किसी प्रतिबंधित संगठन से संबंध रखने अथवा उनके कार्यक्रमों/कार्यकलापों में भाग लेने/संलग्न रहने संबंधी जो शिकायतें शासन के विभागों, विभागाध्यक्षों एवं अन्य अधिकारियों को प्राप्त होती हैं उन पर कार्यवाही करने के लिये निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :—

(1) इस संबंध में प्राप्त शिकायतें संबंधित विभागों/विभागाध्यक्षों एवं अन्य कार्यालय प्रमुखों/अधिकारियों द्वारा जांच करने हेतु संबंधित जिले के कलेक्टर को भेजी जायेगी.

(2) कलेक्टर, प्राप्त ऐसी शिकायत/शिकायतों की गोपनीय जांच पड़ताल के लिये जिले के पुलिस अधीक्षक को भेजेंगे.

(3) पुलिस अधीक्षक जिला विशेष शाखा के माध्यम से अथवा अन्य तरीके से प्राप्त शिकायतों की गोपनीय जांच पड़ताल करायेंगे तथा गोपनीय जांच प्रतिवेदन के साथ शिकायत कलेक्टर को लौटायेंगे.

(4) कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक से जांच-प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसका परीक्षण करेंगे. यदि उनका मत यह हो कि शासकीय

सेवक का किसी प्रतिबंधित संगठन से संबंध अथवा वह उसके कार्यक्रमों/कार्यकलापों में भाग लेता है या संलग्न है तो ऐसे मामले में जांच प्रतिवेदन की एक प्रति संबधित शासकीय सेवक के विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही हेतु उसके विभाग के सक्षम अधिकारी को देंगे. प्रशासनिक विभाग के संबंधित अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे संबंधि शासकीय सेवक के विरुद्ध कार्यवाही करें और की गई कार्यवाही की जानकारी कलेक्टर को भेंजे. कलेक्टर स्वयं भी अपने कार्यालय में इस प्रकार के प्रकरणों में की गई कार्यवाही पर बराबर नजर रखने के लिये "मानीटरिंग" की समुचित व्यवस्था करेंगे.

(5) प्रत्येक कलेक्टर द्वारा गृह विभाग को प्रतिमाह इस आशय का प्रतिवेदन भेजा जायेगा कि किस-किस विभाग के किस-किस शासकीय सेवक के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई कितनी शिकायतों की जांच कराई गई तथा कितने मामले विभागों की शासकीय सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु भेजे गये और कितने शासकीय सेवकों के विरुद्ध विभागों द्वारा कार्यवाही की गई.

हस्ता./-
(न. ब. लोहानी)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,

क्रमांक एफ-24-19/93/सी/1 — भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 1993

प्रतिलिपि :

(1) . . . . .

(2) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल को उनके ज्ञापन क्रमांक सी/5-2/93/3/1, दिनांक 21 जून 93 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(न. ब. लोहानी)
प्रमुख सचिव,
गृह विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक सी-5-1/94/3/एक — भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 1994

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय सेवकों द्वारा अपने अचल सम्पत्ति का विवरण भेजने के संबंध में जारी किये गये आदेशों का पालन करना.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19(1) के अनुसार शासकीय सेवकों द्वारा अपने अचल सम्पत्ति के संबंध में वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है. इस संबंध में, इस विभाग द्वारा दिनांक 27-8-60 [क्रमांक 1933-1505-एक(3)/60] एवं दिनांक 7-3-74 के ज्ञापन (क्रमांक 174/278/एक/तीन) द्वारा भी उल्लिखित अनुदेशों का कड़ाई से पालन करने के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं.

2. शासन के ध्यान में यह लाया गया है कि शासकीय सेवकों द्वारा उपरोक्त नियमों/निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है. यह आपत्तिजनक है. अतः इस संबंध में पुनः सभी शासकीय सेवकों का ध्यान उपर्युक्त अनुदेश की ओर आकृष्ट किया जाता है तथा अपेक्षा की जाती है कि उपर्युक्त अनुदेश के अनुसार प्रत्येक शासकीय सेवक अपने अचल सम्पत्ति का विवरण, विहित प्रपत्र में, सक्षम प्राधिकारी को प्रतिवर्ष 31 जनवरी, के पूर्व प्रस्तुत करेगा. किसी शासकीय सेवक द्वारा समय पर अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत न किये जाने पर उसे गंभीरता से लिया जायेगा. विभागाध्यक्ष एवं नियंत्रण रखने वाले अधिकारियों की भी यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह यह देखें कि उनके अधीनस्थ समस्त अधिकारी अपना सम्पत्ति विवरण यथासमय प्रस्तुत करें.

3. कृपया आप अपने अधीनस्थ सभी शासकीय सेवकों को इस आदेश से अवगत कराएं एवं शासन के उल्लिखित आदेशों/निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें.

हस्ता./-
(एन. एस. सेठी)
मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन.

पृ. क्र. सी-5-1/94/3/एक — भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 1994

प्रतिलिपि :

1. निबन्धक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
   सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर
   सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल
3. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल
4. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण जबलपुर/भोपाल/इन्दौर.
5. महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर/ग्वालियर/इन्दौर
6. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
7. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल
8. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(यू. एस. बिसेन)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक सी-5-2/94/3/1 भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 1994

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :—''कार सेवा'' में भाग लेने वाले शासकीय सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3, 6 एवं 8 शासकीय सेवकों से पूर्ण रूप से संनिष्ठ रहने, कर्तव्य परायण रहने एवं उत्तरदायित्वों के समुचित निर्वहन की अपेक्षा करते हैं. शासकीय सेवक द्वारा किये गए ऐसे कार्य, अशोभनीय कृत्य की परिधि में माने जायेंगे. जो भारत की सम्प्रभुता तथा अखण्डता या सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले हों.

2. शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रश्न का गहराई से विवेचन करने पर यह स्थिति सामने आई है कि ''कार सेवा'' के रूप में ऐसा कोई कार्य यदि किसी शासकीय कर्मचारी द्वारा किया जाता है. जिससे दूसरे धर्मों के व्यक्तियों को ठेस पहुंचती है तो वह आचरण नियमों का उल्लंघन होगा और ऐसी कार सेवा में भाग लेने वाला शासकीय सेवक अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा. यह भी स्पष्ट है कि प्रमाणित करने का भार, कि शासकीय कर्मचारी न . . . ''कार सेवा'' में भाग लेने का कृत्य किया है, अनुशासनिक प्राधिकारी पर होगा.

3. शासन चाहता है कि उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित किया जाये.

हस्ता./-
(एन. एस. सेठी)
मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन.

पृ. क्र. सी-5-2/94/3/1 भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 1994

प्रतिलिपि :

1. निबन्धक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
   सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर
   सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल
3. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल
4. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण जबलपुर/भोपाल/इन्दौर
5. महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर/ग्वालियर/इन्दौर
6. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
7. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल
8. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(एस. सी. पण्डया)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एम. 19-44/1995/1/4 भोपाल, दिनांक 29 मई 1995

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्‌घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि करना तथा स्वयं का प्रचार करना.

संदर्भ.—इस विभाग का ज्ञापन—

(1) क्रमांक एम-19-95/87/1/4, दिनांक 23 अप्रैल, 1987 एवं
(2) क्रमांक एम-19-69/88/1/4, दिनांक 7 अप्रैल, 1988 तथा
(3) क्रमांक एम-19-58/92/1/4, भोपाल, दिनांक 30 जुलाई, 1992 और
(4) क्रमांक एम-19-146/1992/1/4, दिनांक 25 जनवरी, 1994.

शासन द्वारा समय-समय पर यह निर्देश जारी किये गये हैं कि कोई भी शासकीय अधिकारी किसी प्रकार का उद्‌घाटन/अनावरण/शिलान्यास नहीं करेंगे, किसी कार्यक्रम में विशेष अतिथि या अध्यक्ष नहीं बनेंगे तथा व्यक्तिगत प्रशंसा के प्रचार से दूर रहेंगे.

2. उपरोक्त निर्देशों के बावजूद, शासन के ध्यान में कुछ ऐसे प्रकरण आये हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि इन आदेशों को नजरअंदाज करते हुए इनका पूर्णत: पालन नहीं किया जा रहा है.

3. अत: शासन पूर्व के अनुदेशों को दोहराते हुए, सभी शासकीय सेवकों को निर्देशित करता है कि उक्त निर्देशों का पूर्ण कठोरता से पालन सुनिश्चित किया जावे.

हस्ता./-
(होशियार सिंह)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एम. 19-58/1992/1/4 भोपाल, दिनांक 23 मई 1995

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि करना तथा स्वयं का प्रचार करना.

संदर्भ.—इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक—

(1) एम-19-95/87/1/4, दिनांक 23 अप्रैल, 1987
(2) एम-19-69/88/1/4, दिनांक 7 अप्रैल, 1988
(3) एम-19-58/92/1/4, भोपाल, दिनांक 30 जुलाई, 1992.

उपर्युक्त विषय में शासन के संदर्भित निर्देशों द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि शासकीय अधिकारी किसी प्रकार का उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास नहीं कर सकते. किसी कार्यक्रम में विशेष अतिथि या अध्यक्ष नहीं बन सकते तथा व्यक्तिगत प्रशंसा के प्रचार से दूर रहेंगे. शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि इन निर्देशों का कहीं-कहीं उल्लंघन किया जा रहा है.

2. अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि शासकीय अधिकारी/कर्मचारी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में विशेष अतिथि अथवा अध्यक्ष के रूप में उपस्थित होकर उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास न करें.

3. कृपया शासन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें.

हस्ता./-
(अजय सिंह यादव)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ. सी-5-1/2000/3/एक

भोपाल, दिनांक 19-4-2000

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय व्यय पर क्रय की जाने वाली वस्तुओं/सुविधाओं पर प्रोत्साहन स्वरूप मिलने वाली मुफ्त उपहार/सुविधा शासन के खाते में जमा करने बाबत्.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 14 में यह प्रावधान है कि "इन नियमों में अन्यथा उपबंधित अवस्था को छोड़कर कोई भी शासकीय सेवक कोई भी उपहार न तो स्वीकार करेगा और न उसे करने के लिये अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य को या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को अनुज्ञा देगा.

2. शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि शासकीय व्यय पर क्रय की जाने वाली वस्तुओं पर मिलने वाले मुफ्त उपहार शासन के पास जमा किये जावें. साथ ही, उपहार/सुविधा यदि राशि के रूप में प्राप्त होती है तो उसे भी शासकीय कोष में जमा किया जाये. ऐसा न करने वाले शासकीय सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे.

3. शासन चाहता है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित किया जाये.

हस्ता./-
(एम. के. वर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. सी-5-1/2000/3/एक

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2000

प्रतिलिपि :

1. निबन्धक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
   सचिव, लोकायुक्त संगठन, मध्यप्रदेश, भोपाल,
   सचिव, मध्यप्रदेश, लोक सेवा आयोग, इन्दौर.
2. महानिदेशक प्रशासन अकादमी, म. प्र. भोपाल.

3. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल

   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल

4. निज सचिव/निज सहायक/मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री, मध्यप्रदेश शासन.

5. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पदाधिकारी, म. प्र. भोपाल,

   सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म. प्र. भोपाल,

6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, म. प्र. भोपाल.

7. रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/रायपुर.

8. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, म. प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जबलपुर/इन्दौर/रायपुर.

9. प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग.

10. अवर सचिव/स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्यलेखाधिकारी, म. प्र. मंत्रालय.

11. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल

12. अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, म. प्र. भोपाल.

13. वित्तीय आयुक्त एवं महानियंत्रक आय-व्यय, मंत्रालय, भोपाल.

हस्ता./-

(आर. पी. वर्मा)

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-5-2/2000/3/एक भोपाल, दिनांक 30 मई 2000

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.

विषय :—शासकीय सेवकों के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकलापों में भाग लेने के संबंध में.
संदर्भः—इस विभाग का परिपत्र क्रमांक सी-5-2/93/3/एक, दिनांक 29-4-93.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 5 के उपनियम (1) में यह व्यवस्था है कि कोई भी शासकीय सेवक, किसी राजनैतिक दल या किसी ऐसे संगठन का, जो राजनीति में भाग लेता हो, न तो सदस्य होगा, न उससे अन्यथा संबंध रखेगा और न वह किसी राजनैतिक आन्दोलन या कार्यकलाप में भाग लेना न उसकी सहायतार्थ चन्दा और न किसी अन्य रीति से उसकी सहायता करेगा.

2. इस विभाग के संदर्भित ज्ञाप दिनांक 29-4-93 द्वारा स्पष्ट किया गया था कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एवं अन्य ऐसी संस्थाओं के कार्यकलापों में भाग लेना या उससे किसी रूप में सहयोग करना मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उक्त प्रावधान का उल्लंघन माना जावेगा.

3. कृपया उपरोक्त स्थिति, अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को स्पष्ट कर दें. साथ ही, इन निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करें.

हस्ता./-
(एम. के. वर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. सी-5-2/2000/3/एक भोपाल, दिनांक 30 मई 2000

प्रतिलिपि :

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल.
2. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल.
3. निबन्धक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,

5. सचिव, मध्यप्रदेश, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
6. निज सचिव/निज सहायक, मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन.
7. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म. प्र. भोपाल,
8. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म. प्र. भोपाल,
9. रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर.
10. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, म. प्र. जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर.
11. महालेखाकार, म. प्र. ग्वालियर/भोपाल.
12. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, म. प्र. भोपाल.
13. प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.
14. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म. प्र. भोपाल.
15. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र. मंत्रालय.
16. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, भोपाल.
17. अध्यक्ष, म. प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल.
18. अध्यक्ष, शासन से समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघो की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
(के. एल. दीक्षित)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-3-26/2000/3/एक

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर, 2000

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त/विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय :—प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शासकीय सेवकों द्वारा वार्षिक अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में.

संदर्भ :—इस विभाग का परिपत्र क्रमांक 1933-1505-1 (3)60, दिनांक 27-8-60 एवं क्रमांक सी-5-1/94/3/एक दिनांक 5-1-94.

म. प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-19 में प्रावधान है कि शासकीय सेवकों को प्रतिवर्ष अचल संपत्ति के संबंध में पूर्ण विवरण (रिटर्न) प्रस्तुत करना चाहिये. इन नियमों के परिपालन में प्रतिवर्ष शासकीय सेवकों द्वारा अपनी अचल संपत्ति के संबंध में विहित प्राधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में अचल संपत्ति विवरण प्रस्तुत किये जाते है.

2. शासन के ध्यान में यह बात आयी है कि उपर्युक्त उल्लेखित नियमों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में कोई व्यवस्था न होने के कारण प्रतिनियुक्त शासकीय सेवकों द्वारा अपने अचल संपत्ति पर अपने पैतृक विभाग को प्रस्तुत किये जा रहे हैं. इस कारण ऐसे कर्मियों का वर्तमान विभाग उनकी अचल संपत्ति की जानकारी से वंचित रहता है.

3. अतएव विचारोपरांत शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शासकीय सेवक अपने अचल संपत्ति पत्रक 2 प्रतियों में प्रतिनियुक्ति वाले विभाग को इस निवेदन के साथ प्रस्तुत करेंगे कि उसकी एक प्रति उनके मूल विभाग को अग्रेषित कर दी जाये. साथ ही शासकीय सेवक स्वयं एक अग्रिम प्रति पृथक् से अपने मूल विभाग को भी भेजेंगे.

4. शासन चाहता है कि उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित किया जाये.

हस्ता./-
(एम. के. वर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. सी-3-26-2000-3-एक

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर, 2000

प्रतिलिपि :

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल.
2. सचिव, म. प्र. विधान सभा, भोपाल.
3. सचिव मुख्यमंत्री, सचिवालय,
4. निबन्धक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,
6. सचिव, मध्यप्रदेश, लोक सेवा आयोग, म. प्र. इन्दौर.
7. विशेष सहायक, उपमुख्यमंत्री, म. प्र. शासन,
8. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन.
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म. प्र. भोपाल,
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म. प्र. भोपाल,
11. रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर.
12. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, म. प्र. जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर,
13. महालेखाकार, म. प्र. ग्वालियर/भोपाल,
14. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, म. प्र. भोपाल,
15. प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.
16. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म. प्र. भोपाल.
17. वित्तीय आयुक्त एवं महानियंत्रक मंत्रालय, भोपाल,
18. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र. मंत्रालय,
19. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, भोपाल,
20. अध्यक्ष, म. प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल,
21. अध्यक्ष, शासन से समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
(के. एल. दीक्षित)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-5-1/96/3/एक भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2000

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त/विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय कर्मियों द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से गृह कार्य न करवाने बाबत्.
संदर्भ :—सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा म. प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 संशोधन क्रमांक सी-5-1/96/3/एक, दिनांक 25-5-2000.

उपरोक्त विषय के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अनुशंसा के आधार पर संदर्भित अधिसूचना दिनांक 25-5-2000 द्वारा म. प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में राज्य सरकार द्वारा नियम 23-क निम्नानुसार जोड़ा गया है:—

"नियम 23 "क" 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार में लगाने पर प्रतिबंध-
कोई भी शासकीय सेवक 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को रोजगार पर नहीं लगायेगा."

2. कृपया आचरण नियम के उपरोक्त प्रावधानों से समस्त अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत करावें तथा इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करावें.

हस्ता./-
(एम. के. वर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. सी-5-1/96/3/एक भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2000

प्रतिलिपि :

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल,
2. सचिव, म. प्र. विधान सभा, भोपाल,
3. सचिव मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय,
4. रजिस्टार जनरल, उच्च न्यायालय, जबलपुर,
5. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,
6. सचिव, मध्यप्रदेश, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इन्दौर,

7. विशेष सहायक, उपमुख्यमंत्री, म. प्र. शासन,
8. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश, शांसन,
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म. प्र. भोपाल,
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म. प्र. भोपाल,
11. रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/रायपुर,
12. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, म. प्र. जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर,
13. महालेखाकार, म. प्र. ग्वालियर/भोपाल,
14. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, म. प्र. भोपाल,
15. प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.
16. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म. प्र. भोपाल,
17. वित्तीय आयुक्त एवं महानियंत्रक मंत्रालय, भोपाल,
18. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र. मंत्रालय,
19. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, भोपाल.
20. अध्यक्ष, म. प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल,
21. अध्यक्ष, शासन से समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
(एम. के. वर्मा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

शाकेमुभो—1993—अससाप्रवि—26-12-2000—दो हजार.